खण्ड–21, अंक–06
मंगलवार, 21 फाल्गुन, शक संवत्, 1929
(11 मार्च, 2008 ई0)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(द्वितीय विधान सभा)
(प्रथम सत्र, 2008)

उत्तराखण्ड विधान सभा

(खण्ड 21 में 10 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2010

मूल्य–

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	''क''
प्रश्नोत्तर	1–10
श्री अरविन्द पाण्डे, सदस्य, विधान सभा की कथित जबरन गिरफ्तारी के सम्बन्ध में नियम–310 के अन्तर्गत सूचना ...	11–13
नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं...	14
सहस्त्रधारा रोड देहरादून में शहर का कूड़ा–कचरा विगत कई वर्षों से डालने से स्थानीय जनता द्वारा विरोध तथा इसे अन्यत्र स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तार्गत सूचना	14
देहरादून से (सुरकण्डा मन्दिर) कद्दूवाला तक तथा देहरादून से थत्युड़ तथा ख्यार्सी तक परिवहन निगम की नियमित बस सेवा शुरू करने के सम्बन्ध नियम–300 के अन्तर्गत सूचना ...	14–15
प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों मे कार्यरत संविदा शिक्षकों को बढ़े हुए मानदेय के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना ...	15–16
उत्तराखण्ड विधान सभा के वर्ष, 2007 के तृतीय सत्र में, उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 2005 के नियम–300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया) ...	16
उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (संशोधन) विधेयक, 2008 (पुरःस्थापित) ...	16–17
उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (संशोधन) विधेयक, 2008 (पुरःस्थापित) ...	17
कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश (स्वीकृत)	18
कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	18–19
वित्तीय वर्ष, 2008–2009 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा (जारी) ...	19–68
नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं	68

विषय	पृष्ठ संख्या
मण्डल मुख्यालय पौड़ी अन्तर्गत श्रीनगर में पर्यटन विकास हेतु गंगा दर्शन मोड़ से पौड़ी क्यूंकालेश्वर मन्दिर तक रोपवे निर्माण के सम्बन्ध में श्री यशपाल बेनाम, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	68–69
जनपद उत्तरकाशी के ग्राम नीलंग एवं जादुंग तहसील भटवाड़ी में पैतृक एवं कृषि भूमि जो कि आई0टी0बी0पी0 व सेना के कब्जे में है, के प्रतिकर भुगतान के सम्बन्ध में श्री गोपाल सिंह रावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	69–70
उत्तराखण्ड के राजकीय तकनीकी संस्थानों में नये आधुनिक पाठ्यक्रम आरम्भ किये जाने के सम्बन्ध में श्री पुष्पेश त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	70–71

"क"

उपस्थिति

1. श्री अजय टम्टा
2. श्री अरविन्द पाण्डे
3. श्री अनिल नौटियाल
4. श्रीमती अमृता रावत
5. श्रीमती आशा
6. श्री ओम गोपाल
7. श्री करन मेहरा
8. सुश्री कैरन हिल्टन
9. श्री केदार सिंह रावत
10. श्री केदार सिंह फोनिया
11. श्री खजान दास
12. श्री खड़क सिंह बोहरा
13. श्री गगन सिंह
14. श्री गणेश जोशी
15. श्री गोपाल सिंह राणा
16. श्री गोपाल सिंह रावत
17. श्री गोविन्द लाल
18. श्री गोविन्द सिंह कुँजवाल
19. श्री गोविन्द सिंह बिष्ट
20. श्री चन्दन राम दास
21. श्री जोगा राम टम्टा
22. श्री जोत सिंह गुनसोला
23. हाजी तस्लीम अहमद
24. श्री तिलक राज बेहड़
25. श्री दिनेश अग्रवाल
26. श्री दिवाकर भट्ट
27. श्री दिवान सिंह
28. श्री नारायण पाल
29. श्री पुष्पेश त्रिपाठी
30. श्री प्रकाश पन्त
31. कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
32. श्री प्रीतम सिंह
33. श्री प्रेम चन्द अग्रवाल
34. श्री प्रेमानन्द महाजन
35. श्री बलवन्त सिंह भौर्याल
36. श्री बलवीर सिंह नेगी
37. श्री बिशन सिंह चुफाल
38. श्री बंशीधर भगत
39. श्री बृजमोहन कोटवाल
40. श्री भगत सिंह कोश्यारी
41. श्री मदन कौशिक
42. श्री मनोज तिवारी
43. श्री महेन्द्र सिंह माहरा 'महूँ भाई'
44. श्री मातबर सिंह कण्डारी
45. श्री मुन्ना सिंह चौहान
46. श्री यशपाल बेनाम
47. चौ0 यशवीर सिंह
48. श्री रणजीत रावत
49. डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'
50. श्री राजकुमार
51. श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
52. श्रीमती विजय बड़थ्वाल
53. श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार)
54. श्रीमती वीना महराना
55. श्री शहजाद
56. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
57. श्री शैलेन्द्र सिंह रावत
58. श्री सुरेन्द्र राकेश
59. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
60. श्री सुरेश चन्द जैन
61. डा0 हरक सिंह रावत
62. श्री हरभजन सिंह चीमा
63. श्री हरिदास
64. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

मंगलवार, दिनाँक 11 मार्च, 2008 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा–मण्डप, देहरादून में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष श्री हरबंस कपूर के सभापतित्व में आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें। आज नियम–310 के अन्तर्गत एक सूचना प्राप्त हुई है। जो माननीय सदस्य श्री अरविन्द पाण्डे जी द्वारा अपने से सम्बन्धित किसी घटना के सम्बन्ध में है, जिसका वे उल्लेख करना चाहते हैं, मैं प्रश्नकाल के बाद इसे सुनूँगा।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

जनपद पौड़ी के मातृ शिशु एवं परिवार कल्याण तथा स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में फार्मासिस्टों की नियुक्ति एवं तैनाती

* 1. श्रीमती अमृता रावत–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या परिवार कल्याण व स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में नियुक्त फार्मासिस्ट औषधीय निर्देशन करने के लिए अधिकृत नहीं हैं?

यदि हाँ, तो इनकी तैनाती मातृ शिशु एवं परिवार कल्याण उपकेन्द्रों में करने का क्या औचित्य है?

यदि नहीं, तो मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के किन–किन उपकेन्द्रों में फार्मासिस्टों की नियुक्ति अभी तक नहीं की गई है और कब तक इन उपकेन्द्रों में फार्मासिस्टों की तैनाती कर दी जायेगी?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक')–

जी हाँ।

उत्तराखण्ड राज्य के अति दुर्गम/सुदूर असेवित क्षेत्रों में, जहाँ जनसामान्य को व्यवस्थित चिकित्सा उपचार सुविधाएँ नहीं मिल पा रही है, इन क्षेत्रों में अवस्थित चिन्हित उपकेन्द्रों में एक अतिरिक्त यूनिट के रूप में सामान्य औषधियों के वितरण एवं प्राथमिक चिकित्सा उपचार हेतु पायलट प्रोजेक्ट योजना के अन्तर्गत फार्मासिस्टों की तैनाती की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्या श्रीमती अमृता रावत जी का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्या सदन में उपस्थित नहीं थी।)

* 2. श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महूं भाई"–

आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के आधार पर निरस्त।

प्रदेश के नर्सिंग होम व अस्पतालों में अंग प्रत्यारोपण पर निगरानी हेतु उपाय

* 3. श्री गणेश जोशी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पिछले दिनों घटित गुर्दा काण्ड को दृष्टिगत रखते हुए उत्तराखण्ड में चल रहे नर्सिंग होम व अस्पतालों पर विशेष निगरानी रखने के लिये सरकार द्वारा कोई उपाय किए गए हैं?

यदि हाँ, तो क्या?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हाँ।

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–340/चि0–2–2002/219 चि0/2001 दिनांक 20 जून, 2002 के द्वारा मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 को सम्पूर्ण राज्य में लागू किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री गणेश जोशी–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि समाचार पत्रों में आया था कि देहरादून के भी कुछ नर्सिंग होम इसमें इन्वाल्व हैं क्या इस दिशा में भी सरकार द्वारा कोई जाँच करायी गयी है या कोई दोषी पाया गया है?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

श्रीमन्, उत्तराखण्ड प्रदेश में अभी तक गुर्दे का प्रत्यारोपण करने की जो अनुमति है वह मात्र अस्पताल हिमालयन इंस्टीट्यूट मेडिकल कॉलेज जौलीग्रांट में है, इस संस्थान को मई, 2005 में गुर्दा प्रत्यारोपण की अनुमति प्रदान की गयी है। इसके अलावा उत्तराखण्ड में कोई भी संस्थान गुर्दा प्रत्यारोपण नहीं करती हैं इसके लिए जो हमने एक अधिनियम के तहत एक कमेटी बनायी है और अधिकारियों को अधिकृत किया है, वह समय–समय पर इस बात की जाँच करते रहेंगे। इस प्रकार की घटना होने का कोई सवाल ही नहीं होगा।

श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहा हूँ कि यदि कहीं पर ऐसी स्थिति आती है कि कोई अवैध रूप से गुर्दे का प्रत्यारोपण करता है तो उसके लिए सजा का प्राविधान किया गया है?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

मान्यवर, इस एक्ट में पर्याप्त प्राविधान है सजायें दिलाने के लिए और गुर्दे का प्रत्यारोपण के लिए जो अधिनियम है भारत सरकार का, इस अधिनियम में सख्त से सख्त अनेक प्रकार की सजायें हैं, वो इस बात पर निर्भर करता है, क्योंकि बिना अनुमति के अपने परिवार के सदस्य भी गुर्दे का प्रत्यारोपण नहीं कर सकते, यदि उस दिशा में भी है तो अलग–अलग धाराओं में अलग–अलग एक्ट के तहत सजाओं का प्राविधान है।

* 4. श्री यशपाल आर्य–

पंचम सोम0 के तारा0–5 में स्था0।

श्री अध्यक्ष–

यह प्रश्न पंचम सोमवार के तारांकित प्रश्न संख्या–05 में स्थानान्तरित हो गया है। अब यदि कोई माननीय सदस्य को प्रश्न संख्या–01 के बारे में अनुपूरक प्रश्न पूछने की रूचि हो तो वह पूछ सकता है। प्रश्न क्रम समाप्त हुआ।

स्थगित अतारांकित प्रश्न

1. श्री गोपाल सिंह रावत–

द्वितीय सोम के स्थगित अता0 प्र0–01 में स्था0।

अतारांकित प्रश्न

अल्मोड़ा जनपद अन्तर्गत तड़ागताल को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने हेतु सर्वेक्षण

1. श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अल्मोड़ा जनपद के द्वाराहाट विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत तड़ागताल के सौन्दर्यीकरण जल भण्डारण व पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए जिलाधिकारी अल्मोड़ा द्वारा सिंचाई विभाग,

---

नोटः– तारांकित प्रश्न संख्या–03 के उपरान्त प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

भू–गर्भ, पर्यटन, वन एवं भूमि अध्यापित विभाग के अधिकारियों के साथ एक संयुक्त टीम गठित कर सर्वेक्षण किया जा रहा है?

यदि हाँ, तो अद्यतन स्थिति क्या है?

एवं कब तक कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा?

पर्यटन मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

संयुक्त टीम गठित की गयी थी किन्तु परियोजना हेतु भूमि की उपलब्धता के सम्बन्ध में विवाद उत्पन्न होने के कारण सर्वेक्षण कार्य नहीं किया जा सका है।

भूमि उपलब्ध न होने के कारण अग्रेत्तर कार्यवाही नहीं की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ के वि0ख0 मूनाकोट ग्राम बलतड़ी में नवनिर्मित ए0एन0एम0 सेन्टर भवन का विभाग को हस्तान्तरण

2. श्री मयूख सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ के वि0ख0 मूनाकोट ग्राम बलतड़ी में नवनिर्मित ए0एन0एम0 सेन्टर का भवन तैयार होने के उपरान्त भी किराये के भवन में चल रहा है?

यदि हाँ, तो क्यों तथा भवन कब तक विभाग को हस्तान्तरित कर दिया जायेगा?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी नहीं।

उपकेन्द्र बलतड़ी का नवनिर्मित भवन विभाग को हस्तान्तरित किया जा चुका है तथा उपकेन्द्र भवन में स्थापित कर दिया गया है।

ऊधमसिंह नगर स्थित खटीमा में स्वीकृत सौ (100) शय्या का स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण करने पर विचार

3. श्री गोपाल सिंह राणा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि रा0 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खटीमा, जनपद ऊधमसिंह नगर हेतु रा0 कृषि फार्म खटीमा, जिला ऊधमसिंह नगर में भूमि स्वास्थ्य विभाग को हस्तान्तरित कर दी गई है?

यदि हाँ, तो स्वीकृत/उच्चीकृत 100 (सौ) शय्या के स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण कब से प्रारम्भ कर दिया जायेगा?

यदि हाँ, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खटीमा, जनपद–ऊधमसिंह नगर के भवन निर्माण हेतु राजकीय कृषि प्रक्षेत्र, खटीमा के स्वामित्व की कुल 2.447 हेक्टेयर भूमि कृषि विभाग के शासनादेश सं0–1391/XIII/2008–1(134)2004, दिनाँक 5–03–2008 द्वारा चिकित्सा विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित की गयी है। विभाग द्वारा भौतिक कब्जा प्राप्त होने के उपरान्त यथाशीघ्र निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद देहरादून स्थित 'दून अस्पताल' में वैन्टिलेटर का उपयोग

4. श्री गणेश जोशी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि देहरादून स्थित प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी दून अस्पताल में 1 वर्ष से भी अधिक समय पूर्व अधिप्राप्त वैन्टिलेटर का अभी तक उपयोग नहीं किया गया है?

यदि हाँ, तो कब तक उक्त वैन्टिलेटर का उपयोग प्रारम्भ किया जायेगा?

यदि हाँ, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हाँ।

कार्मिकों की व्यवस्था के उपरान्त वैन्टिलेटर का उपयोग यथाशीघ्र प्रारम्भ हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पौड़ी के विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल स्थित प्राचीन मन्दिरों के सौन्दर्यीकरण हेतु धनराशि की स्वीकृति

5. श्रीमती अमृता रावत–

क्या तीर्थाटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल के खटलगढ़ महादेव मन्दिर, आर्य समाज मन्दिर, रसिया महादेव मन्दिर तथा गड़री स्थित प्राचीन शिव मन्दिर के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में मंत्री महोदय द्वारा पत्रांक 1107, दिनाँक 31–05–2007, 2237 दिनाँक 16–07–2007, 3030 दिनाँक 03–09–2007 एवं पत्रांक 4459 दिनाँक 23–11–2007 द्वारा सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया गया है?

यदि हाँ, तो उक्त मन्दिरों के सौन्दर्यीकरण हेतु अब तक की गयी कार्यवाही और उसके परिणामों का विवरण क्या है तथा कब तक उक्त मन्दिरों के सौन्दर्यीकरण हेतु आवश्यक धनराशि स्वीकृत कर दी जायेगी?

श्री प्रकाश पन्त–

जी हाँ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल के खटलगढ़ महादेव मन्दिर के सौन्दर्यीकरण हेतु प्राप्त आगणन का तकनीकी परीक्षण किया जा चुका है तथा वित्तीय वर्ष 2007–08 में योजनान्तर्गत धनराशि स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

रसिया महादेव मन्दिर के सौन्दर्यीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2006–07 में रु0 10.96 लाख के आगणन पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुये रु0 5.00 लाख की स्वीकृत धनराशि का व्यय कर 50 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

आर्य समाज मन्दिर एवं गड़री स्थित प्राचीन शिव मन्दिर से सम्बन्धित आगणन/प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुये हैं।

पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में मन्दिरों के सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन विकास हेतु स्वीकृत योजना

6. श्रीमती अमृता रावत–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में मन्दिरों के सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन विकास की ऐसी कौन–कौन सी स्वीकृत योजनाएँ हैं जिनके निर्माण हेतु अभी तक वित्तीय स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है?

पूर्व सरकार के कार्यकाल में स्वीकृत/निर्माणाधीन योजनाओं को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा?

श्री प्रकाश पन्त–

पूर्व सरकार के कार्यकाल में मन्दिरों के सौन्दर्यीकरण एवं पर्यटन विकास की स्वीकृत योजनायें, जिन पर अभी तक वित्तीय स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है, का जनपदवार विवरण निम्नलिखित है:–

1.	उत्तरकाशी	02
2.	टिहरी	17
3.	चम्पावत	08
4.	रुद्रप्रयाग	11
5.	पौड़ी	09
6.	देहरादून	01
7.	नैनीताल	02
8.	पिथौरागढ़	02
9.	बागेश्वर	09

निर्माणाधीन योजनाओं पर कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराने के प्रयास प्रगति पर है।

जिला ऊधमसिंह नगर के वि0स0 क्षेत्र जसपुर में हेमपुर डिपो नेफा फार्म पर नौलिज पार्क बनाने की योजना

7. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

क्या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र जसपुर, ब्लाक–काशीपुर, जिला ऊधमसिंह नगर में हेमपुर डिपो में नेफा फार्म की खाली पड़ी भूमि पर सरकार नौलिज पार्क बनाने की योजना विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण।

8. श्री गोपाल सिंह रावत–

द्वितीय सोम0 के अता0–65 में स्था0।

स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में फार्मासिस्टों की नियुक्ति पर कार्यवाही

9. श्री सुरेन्द्र राकेश–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में फार्मासिस्टों की नियुक्ति विषयक प्रश्नकर्ता का महानिदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को सम्बोधित पत्र दिनांक 21–09–2007 विभाग में प्राप्त हुआ है?

यदि हाँ, तो उक्त पत्र में उल्लिखित बिन्दुवार क्या–क्या कार्यवाही की गई?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हाँ।

परिवार कल्याण उपकेन्द्रों की स्थापना हेतु भारत सरकार के मानक निर्धारित हैं, जो मातृ शिशु कल्याण केन्द्र के रूप में कार्य करते हैं। यह भारत सरकार का शत–प्रतिशत वित्त पोषित कार्यक्रम है, इन उपकेन्द्रों पर फार्मासिस्ट के पद सृजन का कोई मानक नहीं है।

प्रदेश में ग्राम सभा स्तर पर चिकित्सा केन्द्रों की स्थापना हेतु नीति

10. श्री प्रीतम सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ग्राम सभा स्तर पर चिकित्सा केन्द्रों की स्थापना हेतु सरकार की कोई नीति है?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

ग्राम सभा स्तर पर चिकित्सा केन्द्रों के स्थापना की कोई नीति नहीं है अपितु मातृ एवं शिशु कल्याण सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु पहाड़ी क्षेत्र में प्रत्येक 3000 की जनसंख्या पर तथा मैदानी क्षेत्र में प्रति 5000 की जनसंख्या पर उपकेन्द्रों (सब सेंटर्स) की स्थापना की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

देहरादून स्थित रेस्तराँ व होटलों में खाद्य पदार्थों का नियमित निरीक्षण

11. श्री गणेश जोशी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि राज्य की राजधानी बनने के बाद देहरादून में रेस्तराँ व होटलों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है?

यदि हाँ, तो इनमें उपलब्ध कराए जाने वाले खाद्य पदार्थों के नियमित/आकस्मिक निरीक्षण की कोई व्यवस्था की गई है?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

जी हाँ।

रेस्तराँ व होटलों में उपलब्ध कराये जाने वाले खाद्य पदार्थों का निरीक्षण समय–समय पर विभाग में तैनात खाद्य निरीक्षकों द्वारा किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रुद्रप्रयाग में ईको टूरिज्म देवरियाताल के पर्यटन विकास हेतु स्वीकृत धनराशि एवं कार्य की प्रगति

12. श्रीमती आशा–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत केदारनाथ विधान सभा में ईको टूरिज्म के अन्तर्गत देवरियाताल (सारी) पर्यटन विकास में अब तक कितना धन स्वीकृत हुआ है? तथा कार्य प्रगति का विवरण क्या है?

क्या ताल के सौन्दर्यीकरण में रेलिंग तथा मार्ग का निर्माण किया गया है? तथा निर्माण हेतु और अधिक धन की मांग शासन में विचाराधीन है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रकाश पन्त–

भारत सरकार द्वारा रु045.14 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2005–06 में रु0 36.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

कार्य प्रगति का विवरण निम्नवत् है:–

1. ताल का सौन्दर्यीकरण, ताल की सफाई, ताल के चारों ओर खड़ंजा मार्ग निर्माण एवं शोभा स्थली।
2. ग्राम सारी में प्रवेश द्वार, सी0सी0 मार्ग, पथ वृक्षारोपण, सारी देवरियाताल तक सम्पर्क मार्ग मरम्मत।
3. गारवेज विनस क्रय, गारवेज डिस्पोजल के लिए पिट्स का निर्माण, शेड हट्स का निर्माण, शौचालय, चौकीदार कक्ष।

रैलिंग का निर्माण नहीं किया गया है जबकि मार्ग का निर्माण किया गया है।

इस योजना हेतु रु0 9.14 लाख की अवशेष धनराशि भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की जानी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत पर्यटन व तीर्थाटन हेतु विचाराधीन रज्जू मार्ग

13. श्रीमती आशा–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत पर्यटन व तीर्थाटन को दृष्टिगत रखते हुए कितने रज्जू मार्गों का निर्माण किया जाना सरकार के विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो कहाँ–कहाँ?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रकाश पन्त–

जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत पर्यटन व तीर्थाटन को दृष्टिगत रखते हुये 01 रज्जू मार्ग के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन है।

रामबाड़ा से केदारनाथ तक।

प्रश्न नहीं उठता।

रुद्रपुर नगर पालिका क्षेत्र में निर्माणाधीन झील प्रोजेक्ट की लागत तथा कार्य रोके जाने का कारण

14. श्री तिलक राज बेहड़–

क्या पर्यटन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि रुद्रपुर नगरपालिका क्षेत्र में निर्माणाधीन झील प्रोजेक्ट की लागत क्या है?

क्या यह सत्य है कि इस प्रोजेक्ट का कार्य रोक दिया गया है?

यदि हाँ, तो कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रकाश पन्त–

रुद्रपुर नगरपालिका क्षेत्र में निर्माणाधीन झील प्रोजेक्ट की लागत रु0 510.74 लाख है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य की फूड एण्ड ड्रग लैब क्रियाशील किये जाने पर विचार

15. श्री तिलक राज बेहड़–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य की फूड एण्ड ड्रग लैब क्रियाशील हो गयी है?

यदि हाँ, तो कहाँ और कब से?

यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर में राज्य खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला का भवन निर्माण पूर्ण हो चुका है। प्रयोगशाला शीघ्र क्रियाशील किये जाने हेतु संसाधनों की आपूर्ति यथा लैब की एपोक्सी फ्लोरिंग, उपकरण आपूर्ति एवं विद्युत संयोजन के लिये सतत् कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अरविन्द पाण्डे, सदस्य विधान सभा की कथित जबरन गिरफ्तारी के सम्बन्ध में नियम–310 के अन्तर्गत सूचना

* श्री अरविन्द पाण्डे–

माननीय अध्यक्ष जी, 7 अप्रैल, 2006 प्रातः 3:30 बजे रोज की भाँति हम लोग अपने–अपने घर में सोये हुए थे, कि अचानक पुलिस का एक जत्था घर पर आया और उन्होंने कुण्डी खटखटाई। हमने दरवाजा खोला तो बाहर पुलिस का जत्था खड़ा था। मेरी समझ में नहीं आया। पुलिस का जत्था देखकर मुझे घबराहट हुई कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। अचानक जो सी0ओ0, श्री सुल्तान सिंह थे मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब, क्या मामला हो गया, क्या बात हो गयी? उन्होंने कहा कि एक महिला की हत्या हो गयी है। बाद में मैंने पूछा कि उस महिला का नाम क्या है, किसकी माँ है किसकी बेटी है, किसकी बहन है? उन्होंने बताया कि यह सब थाने चलकर पता चलेगा हम कुछ नहीं बता पायेंगे। मैंने पूछा किस–किस को चलना है, मुझे चलना है या जो नामजद हैं उन्हें चलना है? तो वे बोले, आप लोग कितने भाई हैं? मैंने बोला कि सगे भाई तो हम चार हैं, लेकिन मौके पर तो दो ही हैं। तो बोले चचा–ताऊ के कितने हैं?

मान्यवर, पुलिस को भी नहीं मालूम, जिनकी हत्या हुई उनको भी नहीं मालूम। अज्ञात में 7 व्यक्ति नामजद और 10–12 व्यक्ति अन्य के खिलाफ 302 का मुकदमा बाजपुर थाने में कायम हो गया और पुलिस के कहने पर हम जितने भी भाई हैं चचा–ताऊ के, सब थाने में जाकर बैठ गए। बैठने के पश्चात पता चला कि हमने किसी की हत्या की है और जिसकी हमने हत्या की है न उसके भाई का, न चचा न ताऊ का, किसी का नहीं पता था। रिपोर्ट लिखवाने वाले अधिकारी मौके पर थे और वहाँ पर काँग्रेस के तथाकथित नेता थे। वे सब थाने में मौजूद थे। लेकिन जब हम लोग थाने पहुँचे तो सच्चाई का सामना करने का उनके अन्दर दम नहीं था। इसलिए वे लोग दाएँ–बाएँ हो गये थे। पुलिस के जो अच्छे अधिकारी थे उनकी समझ में बात आ गई कि कहीं न कहीं गलती हुई है। उन्होंने मुझसे कहा कि विधायक जी, कुछ बात हमारे समझ में आ चुकी है लेकिन हम आप से क्षमा चाहेंगे और अभी आप जाइये, आवश्यकता पड़ेगी तो हम आपको बुला लेंगे। हम सब भाई वहाँ से चले आए तो अचानक एस0ओ0 का फोन आया कि विधायक जी, किसी एक भाई को यहाँ पर बिठा दीजिए जिससे कि हमारे ऊपर विपक्ष और सत्ता पक्ष का दबाव न पड़े। सत्ता पक्ष से मतलब आज की सत्ता पक्ष से नहीं बल्कि आज से एक साल पहले जो निवर्तमान सरकार थी वह। हमारा छोटा भाई अमर पाण्डे, जो सबसे छोटा भाई है, वह बोला, भईया आप लोग जाइये मैं बैठता हूँ। वह बैठ गया। शासन के सहयोग के लिए बैठ गया।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, अगले दिन पता चला कि हमारे एक सगे भाई का चालान कर दिया गया और मैसेज आया कि वह जेल में है। उस घटना को हमने फेस किया, तत्काल थाने के आगे मैं स्वयं आमरण अनशन पर बैठ गया कि जब तक इस केस की सी0बी0आई0 से जाँच नहीं होगी, आमरण अनशन समाप्त नहीं होगा। आप सब लोगों के सहयोग से माननीय प्रकाश पन्त जी, जो उस समय विपक्ष में थे इन सब लोगों के सहयोग से मान्यवर, 7 दिन अनशन चला और इस केस की सी0बी0आई0 को संस्तुति की गयी। सी0बी0आई0 की संस्तुति के पश्चात भी मुकदमे को रोका नहीं गया। यह हिन्दुस्तान का ऐसा पहला केस है कि जो मुल्जिम होते हुए सी0बी0आई0 की मांग कर रहा है। संस्तुति होने के पश्चात् भी पुलिस हमारे घर दबिश दे रही थी और जो चचा-ताऊ के लड़के थे, उनको पुलिस ने पकड़कर जेल में डाल दिया। सी0बी0आई0 की संस्तुति का कोई महत्व नहीं रहा। स्वयं पुलिस मेरे पीछे पड़ गयी और जैसे-तैसे भागकर और आप लोगों के सहयोग से मैं बचा और दिल्ली से सी0बी0आई0 की संस्तुति 6 जुलाई, 2006 को हो गई। जब यहाँ के पुलिस प्रशासन को लगा कि संस्तुति हो गई है और यह विधायक हमारे हाथ नहीं आयेगा तो 24 घण्टे के अन्दर पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। मान्यवर, बहुत जल्दी चार्जशीट पेश कर दी और वह मुकदमा, जिसकी सी0बी0आई0 की संस्तुति होने के पश्चात चार्जशीट पेश नहीं होने चाहिए थी, सी0बी0आई0 की संस्तुति के बाद भी मुकदमा वापस नहीं हुआ और 302 का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मान्यवर, 302 का मुकदमा कोई बच्चों को खेल नहीं है, 302 के केस में सजा या तो आजीवन कारावास या फांसी की होती है इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता है।

मान्यवर, हमारे खानदान में जितने भी भाई थे उनमें से जो नाबालिक 14 साल का है वह भी इस मुकदमें में है। इसको देवभूमि प्रदेश कहा जाता है, देवताओं का प्रदेश है, अच्छे भले लोगों का प्रदेश है। मान्यवर, स्वयं की पीड़ा है इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम लोग उत्तरांचल के विधायक हैं, देवभूमि के विधायक हैं। यहाँ ऐसे-ऐसे पापी लोग भी हैं जो अपनी छोटी-छोटी प्रतिरोध की भावनाओं से लोगों के जीवन को तबाह करने पर आमादा रहते हैं और वैसी सरकार भी है। मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि यह हमारा विषय नहीं है और जिनसे मैं यह कहना चाहता हूँ वो मेरे सामने नहीं हैं, लेकिन मैं निश्चित समझता हूँ कि मेरी आवाज उनके कानों तक जायेगी। आज किसी अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस किसी विधायक के घर चली जाती है, सहायता मांगने के लिए, तो सदन को मजाक बनाया गया। जब चाहो सदन स्थगित कर दो, जब मन आये हल्ला काट दो, सड़क पर आन्दोलन कर दो। मान्यवर, मैं भी विधायक था उस समय, आप सब हमारे सहयोगी थे।

मान्यवर, 302 का जघन्य अपराध जो एक अपराधी कर सकता है, जिसका पेशा हो वह कर सकता है, इस उत्तरांचल के विधायक पर लगाया गया है। मान्यवर, आप सब की कृपा से, भगवान की कृपा से सी0बी0आई0 की रिपोर्ट भी एक महीने पहले आई और हमको और हमारे पाँचों भाईयों को क्लीन चिट दिया है कि आप पर मुकदमा सौ परसेन्ट झूठा है, एक परसेन्ट का कोई अपराध नहीं बनता है और जिसकी हत्या हुई उनको ये लोग जानते भी नहीं हैं और यह सच्चाई भी है कि हम लोग उनको जानते भी नहीं हैं। (मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, दोष यह भी कि आज से 2 साल पहले जब स्कॉर्ट फार्म का मुद्दा हुआ था तो हमारे और माननीय चीमा जी के सहयोग से आम जनता को राहत मिली थी। उस निवर्तमान सरकार को लगा कि इन दोनों विधायकों की वजह से हमारी पोल खुल गई तो उस बदले की भावना से हमारे और माननीय चीमा जी के पीछे पड़ गये ये लोग और उन्होंने झूठा मुकदमा दायर किया, आप सभी लोगों के सहयोग से बचे। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने यह अपराध को अंजाम दिया, सी0बी0आई0 उनकी जाँच की सिफारिश कर रही हैं वास्तविक मुल्जिम कौन है। सामने आयें, लेकिन उस समय निवर्तमान सरकार ने उनको डेढ़ लाख रुपये का अनुदान दिया कि हाँ, दलित परिवार के साथ नाइंसाफी हुई है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि क्या जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया और सरकारी पैसे का दुरूपयोग किया तो क्या ऐसे पापियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही बनती है? तो मैं अपनी बात कहते हुए पुनः कहूँगा कि ऐसे पापी लोगों के खिलाफ सरकारी धन का दुरूपयोग करने का, पुलिस और प्रशासन को गुमराह करने की अगर कानून में जगह है तो निश्चित ही कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। मान्यवर, आपने मुझे अपने विषय को सदन में रखने का अवसर दिया, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य द्वारा 7 अप्रैल, 2006 को घटित घटना के सम्बन्ध में यहाँ पर सदन का ध्यान नियम–310 के तहत आकर्षित किया गया है। श्रीमन्, इस घटना की जाँच सी0बी0आई0 द्वारा कराई गई और सी0बी0आई द्वारा जाँच की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। इस सम्पूर्ण प्रकरण का परीक्षण हो रहा है और मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि उनके प्रति न्याय होगा और जो भी इस प्रकरण पर लिप्त हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी, यह मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। धन्यवाद।

नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–300 के अन्तर्गत श्री गणेश जोशी, श्री खजान दास, श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री गोपाल सिंह रावत तथा श्रीमती आशा नौटियाल की कुल 05 सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं। मैं इन सभी सूचनाओं को नियम–300 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ।

सहस्रधारा रोड, देहरादून में शहर का कूड़ा–कचरा विगत कई वर्षों से डालने से स्थानीय जनता द्वारा विरोध तथा इसे अन्यत्र स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

* श्री गणेश जोशी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित बिन्दु पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मान्यवर, सहस्रधारा रोड, देहरादून में शहर का कूड़ा–कचरा विगत कई वर्षों से डालने का स्थानीय जनता विरोध कर रही है। इससे वहां के लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। गन्दगी, बदबू से वातावरण दूषित हो गया है। चील–कौवे पूरे दिन भर पूरे क्षेत्र में गन्दगी से ऊपर मंडराते रहते हैं। इस सम्बन्ध में स्थानीय प्रतिनिधि मण्डल डिप्टी मेयर तथा मुख्य नगर अधिकारी से मिलकर ज्ञापन भी दे चुके हैं। दिनांक 10 मार्च, 2008 को अतारांकित प्रश्न–2 के माध्यम से सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया था, जिसमें शासन ने यह स्वीकार किया है कि डाण्डा लखौड़, सहस्रधारा रोड में 4.047 हेक्टेयर भूमि पर नगर निगम, देहरादून द्वारा कई वर्षों से कूड़ा निस्तारित किया जा रहा है, जिसका लोगों द्वारा विरोध भी किया गया, किन्तु सरकार का यह कहना है कि इस कूड़े–कचरे से गन्दगी व दुर्गन्ध नहीं फैल रही है, कदापि उचित नहीं है। सरकार ने कचरा डालने के स्थान को अन्यत्र स्थानान्तरित करने की कोई सूचना नहीं दी है, जबकि मामला जनस्वास्थ्य से जुड़ा होने के कारण महत्वपूर्ण है और इसका निराकरण किया जाना परमावश्यक है।

अतः मैं औचित्य के इस प्रश्न पर नियम–300 के अन्तर्गत सूचना देते हुए तत्काल प्रभावी कार्यवाही करवाने की मांग करता हूँ।

देहरादून से (सुरकण्डा मन्दिर) कद्दूवाला तक तथा देहरादून से थत्यूड़ तथा ख्यार्सी तक परिवहन निगम की नियमित बस सेवा शुरू करने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री खजान दास–

मान्यवर, मैं उत्तराखण्ड परिवहन निगम की एक बस देहरादून से (सुरकण्डा मन्दिर) कद्दूवाला तक तथा एक बस देहरादून से थत्यूड़, ख्यार्सी तक नियमित सेवा शुरू करने के विषय में कहना चाहता हूँ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, उपरोक्त विषयक मेरे द्वारा सरकार से अनेकों बार अनुरोध किया जाता रहा है कि उक्त दोनों मार्गों पर क्षेत्रीय जनता की माँग के अनुरूप बस सेवा नियमित रूप से प्रारम्भ कर दी जाय, किन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा कोई सकारात्मक कार्यवाही की जानी प्रतीत नहीं होती है। मेरे संज्ञान में आया है कि सरकार द्वारा अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में बस सेवा आरम्भ कर दी गई है, किन्तु मेरी विधान सभा क्षेत्र को वंचित रखा गया है, जिससे क्षेत्र की जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है।

आपके संज्ञान में यह बात भी लाना आवश्यक है कि विकास खण्ड मुख्यालय थत्यूड़ में स्थापित होने के बावजूद भी सरकार द्वारा विकास खण्ड की महत्ता को भी अनदेखा कर बस सेवा आरम्भ नहीं की गई है, जिससे क्षेत्रीय जनता को विकास खण्ड कार्यालय आने–जाने में भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। पूर्व में चलाई जाने वाली बस सेवा को भी विगत कई वर्षों से बन्द कर दिया गया है। इस क्षेत्र में स्थापित सुरकण्डा मन्दिर में पर्यटकों का आवागमन अत्यधिक होने के कारण यहाँ पर बस सेवा का प्रारम्भ किया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः इस उक्त प्रकरण की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए मैं जनहित में अविलम्ब तत्काल कार्यवाही कर अनुरोध करते हुए सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूँ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्या श्रीमती विजय बड़थ्वाल का नाम पुकारे जाने पर, माननीय सदस्या सदन में उपस्थित नहीं थी।)

प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत संविदा शिक्षकों के बढ़े हुए मानदेय के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री गोपाल सिंह रावत–

मान्यवर, मैं प्रदेश के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत संविदा शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं से उत्पन्न स्थिति को नियम–300 के अन्तर्गत कहना चाहता हूँ। मान्यवर, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में दिसम्बर, 2006 में शिक्षा की बिगड़ती स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के अनुसार विजिटिंग प्रवक्ता नियुक्त किये गये थे। माह, अगस्त, 2007 में इनके कार्यों से सन्तुष्ट होकर पुनः नियुक्ति प्रदान की गई। परन्तु विजिटिंग प्रवक्ताओं का मानदेय शासनादेश संख्या–279 / xxiv(2007) के अनुसार 9000 / – से 15000 / – कर दिया गया, जबकि साथ ही कार्य कर रहे संविदा शिक्षकों के मानदेय में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई, जबकि समान कार्य का समान मानदेय दिया जाना चाहिये।

संविदा शिक्षकों द्वारा अपनी समस्याओं को पूर्व में भी सरकार के संज्ञान में लाया गया। सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत सभी विजिटिंग/संविदा प्रवक्ताओं हेतु माह, अगस्त, 2007 से मानदेय 15000/– प्रतिमाह दिये जाने की घोषणा समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई। परन्तु उक्त मानदेय का लाभ सिर्फ विजिटिंग प्रवक्ताओं को ही दिया जा रहा है, जिससे कि संविदा प्रवक्ताओं में भारी रोष व्याप्त है तथा संविदा प्रवक्ताओं में हीन भावना विकसित होकर कार्य के प्रति उत्साह कम हो रहा है, समस्त संविदा शिक्षक भविष्य को लेकर चिंतित हैं।

अतः समस्त कार्यरत संविदा शिक्षकों को विजिटिंग प्रवक्ताओं की भांति मानदेय दिया जाना आवश्यक है।

अस्तु, इस लोक महत्व के प्रश्न को सरकार के संज्ञान में लाकर प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूँ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्या श्रीमती आशा नौटियाल का नाम पुकारे जाने पर, माननीय सदस्या सदन में उपस्थित नहीं थी।)

उत्तराखण्ड विधान सभा के वर्ष, 2007 के तृतीय सत्र में, उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 2005 के नियम–300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से विधान सभा के वर्ष, 2007 के तृतीय सत्र में उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य–संचालन नियमावली, 2005 के नियम–300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश संख्या–14(3), की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (संशोधन) विधेयक, 2008

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (संशोधन) विधेयक, 2008

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 (संशोधन) विधेयक, 2008 को पुरःस्थापित करता हूँ।

कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश

श्री अध्यक्ष–

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनाँक 10 मार्च, 2008 की बैठक में दिनाँक 11 मार्च, 2008 के उपवेशन के कार्यक्रम निम्नलिखित रूप से रखे जाने की सिफारिश की है:–

मार्च, 2008

11 मंगलवार वित्तीय वर्ष 2008–2009 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी द्वारा सदन को दी गयी, से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

कार्यस्थगन की कोई सूचना नहीं है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यह अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य अभी तक सदन में नहीं आये हैं। किसी प्रकार से गतिरोध समाप्त हो क्योंकि यह महत्वपूर्ण बजट सत्र है और इसमें सारे प्रदेश के बजट की व्यवस्था होनी है। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि एक प्रयास और कर लें माननीय विपक्ष के सदस्यों से, वे अगर सदन में आ जाएं तो अच्छा है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, विगत दिनों से लगातार हमारे माध्यम से, सरकार के माध्यम से प्रयास हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार वार्ता पर उनको आमंत्रित कर रहे हैं लेकिन आपके निर्देशानुसार एक बार पुनः आज हम प्रयास करते हैं और प्रयत्न करेंगे कि वे माननीय सदन की कार्यवाही में प्रतिभाग करें।

श्री अध्यक्ष–

हाँ, एक बार फिर प्रयास कर लीजिए।

वित्तीय वर्ष, 2008–2009 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा

श्री खजान दास–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर चर्चा के लिये आपके द्वारा अनुमति प्रदान की गई, उसके लिये मैं तहेदिल से आपका आभारी हूँ। सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट का अध्ययन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि बजट प्रदेश के विकास के लिए ऐतिहासिक व दूरगामी परिणाम देने वाला सिद्ध होगा। सरकार द्वारा अपने द्वितीय बजट में भी समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिये विकासोन्मुखी एवं आत्मनिर्भरता लाने वाला बजट प्रस्तुत किया गया है, उसके लिए सरकार की जितनी भी प्रशंसा की जाये, उतनी ही कम है। माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यकुशलता एवं लोकप्रियता के फलस्वरूप इस वर्ष की कार्य योजना का आकार बिना किसी अतिरिक्त कर के चार हजार तीन सौ अठहत्तर करोड़ से बढ़ाकर चार हजार सात सौ पिचहत्तर करोड़ करते हुये तीन सौ छियानब्बे हजार करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी की गई है। जिसके लिये मैं माननीय मंख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सामान्य जन के दैनिक उपयोग की वस्तुओं जैसे आटा, मैदा, सूजी एवं दालों पर से वैट की दर चार प्रतिशत से एक प्रतिशत कर दिये जाने से आम जन के चेहरे पर मुस्कान हैं इसी प्रकार प्रदेश का आम जन अचल सम्पत्ति क्रय कर सके, इस हेतु स्टाम्प शुल्क में एक प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र में भी 2 प्रतिशत अतिरक्त स्टाम्प ड्यूटी को 1 प्रतिशत किया जाना एवं सर्किल दर से अधिक दर पर बैनामा किये जाने से सर्किल दर से अधिक की धनराशि पर 50 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क की छूट दिये जाने से भी आम जन को लाभ पहुंचाने की पहल की गई है, वहीं सरकार द्वारा जल कर व सीवर टैक्स को समाप्त करते हुये बकाया माफ किये जाने से भी उत्तराखण्ड के आम जन को लाभ मिलेगा। इसी प्रकार जहां राज्य सरकार द्वारा एक ओर गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करते हुये 30 हजार प्रति वर्ष चिकित्सा क्षतिपूर्ति किया जाना तथा परिवार के किसी सदस्य की दुर्घटना पर मृत्यु हो जाने की स्थिति में 25 हजार की बीमा धनराशि जैसी लाभकारी योजना लागू करके आम जन के दर्द की पीड़ा को पहचाना है।

वहीं दूसरी ओर श्रीनगर, मेडिकल कॉलेज में पठन–पाठन प्रारम्भ किये जाने हेतु की जा रही त्वरित कार्यवाही भी जनहित में अति सराहनीय कदम है। यहां यह

भी उल्लेखनीय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखण्ड के आम जनों की पीड़ा को समझते हुये दिल्ली में विश्रामगृह की जो व्यवस्था की है, उससे आम उत्तराखण्डियों को लाभ पहुंचाया है।

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार द्वारा दीन दयाल उपाध्याय योजना ग्रामीण क्षेत्र में तथा जयानन्द भारती आवास योजना शहरी क्षेत्र में, आवास विहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराये जाने की जो योजना बनाई गई है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाय वह कम है। मेरा सुझाव है कि आवास विहीन परिवारों का पुनः सर्वेक्षण कराया जाना आवश्यक है। निश्चित रूप से इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ–साथ सामान्य जाति के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को भी मिलेगा, जिससे समाज में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का सपना साकार होगा।

माननीय अध्यक्ष जी, यमुना घाटी में जहां नौगाँव, पुरोला, मोरी जनपद उत्तरकाशी एवं जौनपुर थत्युड़ जनपद टिहरी गढ़वाल में 90 प्रतिशत लोग पिछड़ी जाति के हैं, किन्तु थत्युड़ विकास खण्ड की सकलाना पट्टी को पिछड़े क्षेत्र से पिछली सरकार ने वंचित किया है। मेरा सुझाव है कि भौगोलिक दृष्टि से उपरोक्त पट्टियों से मेल खाती हुई सकलाना पट्टी को भी पिछड़े क्षेत्र में शामिल किया जाय। माननीय अध्यक्ष जी, पर्यटन की अपार सम्भावनाओं को देखते हुए यदि जनजाति क्षेत्र जौनसार से जुड़ा यमुनाघाटी क्षेत्र तथा अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल मसूरी एवं कैम्पटीफाल से जुड़ी अगलाड़ी क्षेत्र में अलग यमुना घाटी विकास प्राधिकरण बनाया जाय तो इससे इस क्षेत्र के विकास के साथ–साथ रोजगार को भी अधिक बल मिलेगा। पूर्व में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी इस क्षेत्र के विकास के लिए 5 विकास खण्डों को सघन विकास कार्यक्रम स्वीकृत था। माननीय अध्यक्ष जी, लोकप्रिय सरकार द्वारा कन्याधन, तीलू रौतेली पुरस्कार योजना स्वीकृत कर महिलाओं के उत्थान एवं स्वावलम्बन की दिशा में ठोस पहल की है। पर्यटन की दिशा में जहां सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों को रज्जूमार्ग योजना से जोड़ने की कार्य योजना शुरू की, मेरा अनुरोध है कि धनोल्टी विधान सभा के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल माँ सुरकण्डा देवी के मंदिर को भी रज्जूमार्ग से जोड़ा जाय। अंत में पुनः बजट का समर्थन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को कोटि–कोटि धन्यवाद देते हुये और अंत में:–

"सरप्लस बजट की खुशी से हर किसी का गुलवे मकसद खिलाया है।

तमन्ना जिसकी सबके दिलों में भी, वो दिन आज आया है।"

श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने इस बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। वास्तव में यह बजट जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल प्रस्तुत किया, इससे पूरे प्रदेश के अन्दर खुशी की लहर है और लगता है कि जन सामान्य के लिए बजट बनाया गया है। यह ऐतिहासिक इसलिए भी है कि हर क्षेत्र का इस बजट के अन्दर प्राविधान किया गया है चाहे बेरोजगारी को लेंकर युवाओं के लिए, चाहे जेंडर बजट में दुगनी राशि बढ़ाने के बाद महिलाओं के लिए, किसानों के लिए और खास कर व्यापारियों के लिए, जो चार प्रतिशत वैट लगता था आटा, मैदा, सूजी आदि वस्तुओं पर, उसको एक प्रतिशत करने के लिए या कर्मचारियें की बात कहो तो उनके लिए गरीब और मध्यम वर्ग के तमाम क्षेत्रों का इसमें समावेश किया गया है। हमें खुशी होती है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जल कर, सीवर कर की माफी की बात कही तो निश्चित रूप से माननीय अध्यक्ष जी, आज पूरे प्रदेश के अन्दर, जैसा आज हम समाचार पत्रों में देख रहे हैं, पूरे प्रदेश के अन्दर खुशी की लहर है, जगह–जगह इसकी खुशियां मनायी गयी हैं, बहुत सी जगह तो लोगों ने मिठाइयां बांट कर और पूरे प्रदेश में आतिशबाजी करके यह बताने का प्रयास किया कि आज पूरे प्रदेश की जनता निश्चित रूप से सरकार के साथ है, माननीय मुख्यमंत्री के साथ है। जिन्होंने इस बजट को प्रस्तुत किया। इसके लिए पूरी तरह से जनता इस सरकार को दुहाई दे रही है।

माननीय अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से 1695 करोड़ 74 लाख के ऋण के सापेक्ष अगले वित्तीय वर्ष में 300 करोड़ कम ऋण लिया जाना प्रस्तावित किया गया है, यह माननीय मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता को भी उजागर करता है और हम लोग महसूस करते हैं कि जिस प्रकार से 2008–09 के बजट में कोई भी नया कर नहीं लगाया गया है और जिस प्रकार से वित्तीय अनुशासन के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने दूसरी बार सरप्लस राजस्व बजट प्रस्तुत किया, इससे लगता है कि आज पूरे प्रदेश के अन्दर जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली थी, उस समय जो लोगों की आशाएं थी, उस पर निश्चित रूप से एक स्वीकृति जनता की तरफ से प्राप्त हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से अचल सम्पत्ति स्थानान्तरण पर स्टाम्प शुल्क को 8 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत किया गया है, निश्चित रूप से जनता इसके लिए भी सरकार की आभारी होगी।

मान्यवर, मैं यह बात भी कहना चाहता हूँ कि सर्किल रेट से अधिक दर पर जो बैनामे, जैसा कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी अपने बजट भाषण में कह रहे थे कि बैनामे में जो उससे अधिक की धनराशि होगी, उसमें 50 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क की जो छूट दी है, तो निश्चित रूप से उसमें जो दूसरे प्रकार का धन है, उससे

सरकार को लाभ होगा और वह पैसा निश्चित रूप से प्रदेश के विकास में लगेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं यदि किसानों की बात कहूँ, जिस प्रकार से किसानों के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बनी हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि एक लाख के स्थान पर 3 लाख के कृषि ऋणों पर स्टाम्प शुल्क में छूट दी हैं वहीं लघु सिंचाई में देख रहा था कि पूरे क्षेत्र के अन्दर जिस प्रकार सिंचाई के बिना फसलें सूख जाती थी, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने लघु सिंचाई के माध्यम से 391 करोड़ 16 लाख रुपये का जो प्राविधान किया है और पूरे क्षेत्र में जो सिंचाई की गूलें बनेंगी, उससे सिंचाई के बाद हमारी फसलें लहरायेंगी। हमारे प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि यहाँ फसलें बहुत कम होती हैं और पंजाब, हरियाणा की बात करते हैं तो वहाँ पर फसलें बहुत अच्छी होती हैं, उनके बारे में कहा जाता था कि वह एग्रीकल्चरल स्टेट हैं। उसी प्रकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के बारे में एक मुस्कराहट का प्राविधान किया है।

माननीय अध्यक्ष जी, जब हमारा उत्तराखण्ड राज्य बना था यहाँ पर रोजगार की समस्या को लेकर अनेकों लोग आन्दोलित थे आज भी उसी प्रकार की लोग चर्चा करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के अन्दर जो बड़ी-बड़ी इन्डस्ट्रीज लगी हैं, यहाँ पर 976 बड़ी औद्योगिक इकाईयाँ उत्पादन में आ चुकी हैं और लगभग 55 हजार 47 लोगों को इसमें रोजगार भी मिला है। इसके साथ-साथ खुशी की बात यह है कि जो पर्वतीय अंचल के लोग हैं जहाँ पर बेरोजगारी बहुत बड़ी संख्या में है उस पर्वतीय अंचल में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्राविधान किया गया है कि प्रदेश का जो सुदूर पर्वतीय अंचल है वहाँ पर भी औद्योगिक इकाईयाँ लगाई जायेंगी जिससे कि जो लागे रोजगार के लिए बाहर चले जाते थे उनको रोका जा सके, इसके लिए भी निश्चित रूप से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा।

माननीय अध्यक्ष जी, बी0पी0एल. को सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत 30 हजार रुपये प्रति वर्ष चिकित्सा प्रतिपूर्ति दी गई है और किसी भी व्यक्ति की दुर्घटना या मृत्यु होने पर 25 हजार रुपये की जो बीमा राशि दी है, निश्चित रूप से बी0पी0एल0 के तमाम जो गरीब लोग हैं, उनको भी इसमें राहत प्रदान की है और इसके साथ-साथ जिस प्रकार से हम महसूस करते हैं कि जो लोग दूर रहते हैं और अस्पताल तक नहीं आ सकते हैं, माननीय अध्यक्ष जी, मुझे ध्यान आता है कि परसों मैं अपने एक कार्यकर्ता के पिता की मृत्यु पर गया तो अचानक एक व्यक्ति ने जनता के बीच में से एक विषय रखा कि कुछ ऐसे एम्बूलेन्स पूरे क्षेत्र में जाने चाहिए कि जो लोग अस्पताल में नहीं जा सकते उनको उससे इलाज मिल सके। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जैसे जनता के तार सीधे माननीय

मुख्यमंत्री जी के बातों में जुड़े हैं। मुझे खुशी है कि इस बजट में उसका भी प्राविधान रखा है कि जो सुदूर क्षेत्रों में जन सामान्य रहता है उसको सचल चिकित्सालयों के माध्यम से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ।

मान्यवर, चाहे कोई सा भी वर्ग हो उसमें पेंशनर्स के लिए कैश विहीन चिकित्सा की योजना के माध्यम से स्मार्ट कार्ड बनाने की योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट में रखा, निश्चित रूप से उसके लिए भी वह बधाई के पात्र हैं। जैसा मुझे महसूस होता है कि पूरे देश के अन्दर उत्तराखण्ड मात्र एक ऐसा राज्य है जिसने महिलाओं के लिए जेंडर बजट पिछली बार प्रस्तुत किया, इससे यह लगता है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए अग्रसर रही है। बहुत अच्छा लगता है कि पिछली बार इसमें जो 33 करोड़ की राशि थी, वह 18 विभागों में थी, अब उसे बढ़ाकर 20 विभागों में करके 656 करोड़ की जो व्यवस्था की है, निश्चित रूप से इसका संदेश हमारे पूरे प्रदेश में जा रहा हैं इसके साथ–साथ उत्तराखण्ड राज्य द्वारा जो हमारी स्वतंत्र निर्माण इकाई है, उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम है उसका गठन किया गया है, इसका भी लाभ निश्चित रूप से हमें मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, एक बहुत खुशी तब होती है क्योंकि हमारा राज्य ऊर्जा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। पिछले दिनों महसूस होता था कि हमारे क्षेत्र में ऊर्जा की कमी है। रोज रोस्टिंग, रोज लाईट चली जाती थी लेकिन आज हमें इस बात को कहते हुए बड़ी खुशी होती है, बड़ा अच्छा लगता है कि आज पूरे प्रदेश में कहीं भी रोस्टिंग नहीं है और विद्युत की कटौती नहीं हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य में नया प्राविधान किया है कि राज्य में जितने भी गाँव हैं, इस वित्तीय वर्ष में उनका विद्युतीकरण कर दिया जायेगा और उससे भी अच्छा तब लगता है जब आपने प्रस्तावित किया कि अगले एक वर्ष के बाद यानि 2009 में हर घर में विद्युतीकरण करके हर व्यक्ति को इस बात को अहसास कराया जायेगा कि वह वास्तव में ऊर्जा प्रदेश में रहता है।

माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ–साथ हमारा प्रदेश देवभूमि का प्रदेश कहलाता है और देवों की संस्कृति है और उनकी जो भाषा है संस्कृत, उसके विकास के लिए जो प्राविधान माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बनी इस सरकार ने बजट में किया है, निश्चित रूप से बहुत बधाई के पात्र हैं। मुझे खुशी होती है संस्कृत, जो समस्त भाषाओं की जननी कही जाती है उसके संवर्द्धन व उत्थान के लिए कोई बहुत अधिक कार्य आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया और इस बजट में जिस प्रकार से संस्कृत शिक्षा के कार्यों हेतु एक अलग से संस्कृत शिक्षा का निदेशालय और जिला स्तरीय ढांचे के निर्माण का निर्णय इस बजट में लिया गया है। इसके लिए निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी साधुवाद के पात्र हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा हम लोग गाँव में अपने क्षेत्र भ्रमण पर जाते थे तो लोग कहते थे कि लोग इण्टर के बाद अपनी बच्चियों को, लड़कियों को पढ़ाई से हटा देते थे क्योंकि उनके पास धन का अभाव रहता था। वे अपनी लड़कियों को आगे पढ़ाई कराने में असमर्थ होते थे। वे अपनी बच्चियों को आगे पढ़ाई नहीं करवा पाते थे। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कल्याणकारी कदम उठाया था कि बी0पी0एल0 श्रेणी में आने वाली तमाम छात्राओं को, जिन्होंने 2007 के बाद इण्टर की परीक्षा पास की, उनको रु0–25 हजार की धनराशि राष्ट्रीय बचत–पत्र के रूप में देने का प्राविधान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है और उस प्राविधान को आज भी इस बजट में जारी रखने का जो प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, निश्चित रूप से मैं तमाम प्रदेश की जनता की तरफ से आपको बधाई देना चाहूँगा।

माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ–साथ अनेक ऐसे काम हैं जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में रखे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आटा, मैदा, सूजी एवं दालें जैसी जो जनसामान्य की दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं उस पर 4 प्रतिशत का वैट था, निश्चित रूप व्यापारी बहुत दिनों से आंदोलित थे पूरे प्रदेश के अन्दर और माननीय अध्यक्ष जी, आपको जानकारी होगी कि पूरे प्रदेश के अन्दर वैट लागू नहीं होना चाहिए, इसके लिए भी हमारे व्यापारियों ने आन्दोलन किया था। चूँकि मैं भी एक भारतीय जनता पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष रहा था, हमने भी पिछले दिनों विधान सभा घेरी थी, उसमें विषय रखा था कि वैट लागू नहीं होना चाहिए। लेकिन किन्हीं कारणों से हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने वैट लागू किया और उसके बाद वैट की जो दरें बढ़ाई गई और उसके बाद आज हमारी सरकार ने आटा, मैदा, सूजी एवं दालों जैसी जनसामान्य के उपयोग की वस्तुओं पर लगने वाले वैट को चार प्रतिशत से घटाकर जो एक प्रतिशत किया है। मैं निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत–बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उनके नेतृत्व में जो इस प्रकार से जन सामान्य के बारे में जो आपने निर्णय लिया, जिस प्रकार से हमारे पूरे प्रदेश में इसका आज जो मैसेज गया है, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। इसके साथ–साथ अनेकों ऐसी व्यवस्थाएं इस बजट में की हैं जिससे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर वर्ग के राहत के लिए पैकेज दिए हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ–साथ तमाम बिन्दुओं पर अपनी बात न रखते हुए एक–दो बिन्दुओं में मैं चाहूँगा कि जिस प्रकार से इसमें रेलवे के बारे एक विषय आया था कि 47 करोड़ का प्राविधान माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है तो मेरा आग्रह है आपके माध्यम से कि ऋषिकेश से डोईवाला के बीच में रेलवे लाईन बिछाई जानी चाहिए। यह अनेकों वर्षों से माँग चली आ रही थी ताकि जो हमारा ऋषिकेश

है उसके व्यापार में वृद्धि हो सके, वहाँ के लोगों को उसका लाभ मिल सके। इसके साथ–साथ माननीय अध्यक्ष जी, पूरे सदन को शायद जानकारी होगी कि यहाँ से जब हम लोग पर्वतीय अंचल की तरफ बढ़ते हैं तो लच्छीवाला के पास एक रेलवे पुल आता है, जहाँ अक्सर ट्रैफिक जाम रहता है और ट्रैफिक जाम का सबसे बड़ा कारण बरसात के दिनों में महसूस होता है। मुझे ध्यान आता है कि पिछले दिनों जब मैं गढ़वाल मण्डल विकास निगम का अध्यक्ष था और महामहिम राज्यपाल, श्री सुरजीत सिंह बरनाला जी भी उस जाम में फँसे थे। वहाँ पर वी0आई0पी0 लोग ही नहीं सामान्य जन भी उस जाम में बुरी तरह से फँस जाते हैं। मान्यवर, कभी–कभी जो यहाँ से शव यात्रा लेकर जाते हैं वे ट्रैफिक जाम में फँस जाते हैं, कोई बारात भी वहाँ पर कभी फँस जाती है।

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा अनुरोध है कि इसमें कुछ ऐसा प्राविधान हो कि लच्छीवाला पुल या तो ऊँचा हो या उसमें इस प्रकार का प्राविधान हो ताकि जो पूरे उत्तराखण्ड में जाने वाले लोग हों, देहरादून से बाहर जाने वाले लोग हों, उनको उसमें ज्यादा कठिनाई उत्पन्न न हो सके। इसके साथ–साथ ऋषिकेश पर्यटक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।

जब हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में थी तब वहाँ पर संजय झील का निर्माण हुआ था। लेकिन उसके बाद वह काम पूरे तरीके से अवरुद्ध हो गया था। मुझे लगता है उस झील के निर्माण के बाद पर्यटन की दृष्टि से उसमें इजाफा ऋषिकेश में होगा। मैं इसके लिए आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि इसमें भी इसका प्राविधान किया जाय, साथ–साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने मेरे क्षेत्र में गौ–विज्ञान प्रौद्योगिक संस्थान के लिए निर्णय लिया और मैं बधाई भी देना चाहूँगा पूरे प्रदेश की तरफ से। जैसा मैंने बताया कि उत्तराखण्ड देवभूमि रहा है और देवभूमि के कारण जो गौ सेवा आयोग का निर्णय लिया और गौ–सेवा आयोग की स्थापना के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। अतः मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दूँगा। निश्चित रूप से जिस प्रकार प्रदेश के अन्दर खुशी है। उनको लगा कि आज दूसरी बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने नया बजट प्रस्तुत किया। पूरे क्षेत्र को, पूरे जाति को और पूरे वर्ग के लोगों का इसमें ध्यान रखा इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। अन्त में माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे क्षेत्र की समस्याओं को जोड़ने का प्रयास करेंगे, इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूँगा। धन्यवाद।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके निर्देशानुसार माननीय नेता प्रतिपक्ष को और बी0एस0पी0 के माननीय नेता प्रतिपक्ष से वार्ता के लिए माननीय डा0 पोखरियाल जी, माननीय मदन कौशिक जी, माननीय दिवाकर भट्ट जी, माननीय राजेन्द्र भण्डारी जी, मंत्रिगण तथा माननीय हरभजन सिंह चीमा जी, माननीय सुरेश जैन जी, माननीय चन्दन राम दास जी, माननीय अरविन्द पाण्डे जी इत्यादि सदस्यगण गये थे। उन्होंने यह संदेश भेजा है कि 12:00 बजे तक माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता करने के उपरान्त ही कोई अग्रिम निर्णय लेंगे और ये सूचना आपके संज्ञान के लिए थी श्रीमन्।

श्री अनिल नौटियाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे माननीय खण्डूड़ी जी की सरकार के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, सर्वप्रथम मैं खण्डूड़ी जी की सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अपने दूसरे बजट में जो आपने कल पेश किया था उसमें कोई नया कर आपने प्रस्तावित नहीं किया। हमारी सरकार द्वारा निश्चित रूप से इस प्रदेश की जनता को लाभ मिलेगा। आपने वैट में 4 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत की जो घोषणा की है इस बजट में, और खाद्य सामग्री पर, जो काफी पूर्व से इस प्रदेश की सरकार परेशान दिखायी दे रही थी कि केन्द्र सरकार द्वारा निरन्तर बढ़ायी जा रही खाद्य सामग्री की दरों में निश्चित रूप से कमी आयेगी और इस प्रदेश की जनता को आभास होगा कि उनके हितों की और उनका संरक्षण करने वाली सरकार इस प्रदेश में बनी है। इस सरकार द्वारा जो दूसरी बार सरप्लस बजट प्रस्तुत किया गया। इसके लिए मैं खण्डूड़ी जी की सरकार का आभार व धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ।

मान्यवर, सबसे महत्वपूर्ण घोषणा जो हमारी सरकार द्वारा की गयी है। जिन उद्देश्यों को लेकर इस प्रदेश का निर्माण किया गया था। हमारे पर्वतीय क्षेत्र की जो समस्याएँ थी, वहाँ पर औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत आपने उद्योगों को स्थापित करने के लिए जो नीति घोषित की है उससे पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योग स्थापित होंगे और वहाँ के बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। मान्यवर, सरकार के द्वारा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों को, जो पूर्व में जूनियर हाईस्कूल तक के लिए संचालित किये जाते थे, उनको हाईस्कूल तक संचालित किये जाने की जो व्यवस्था इस बजट में की है, उससे निश्चित रूप से हमारे प्रदेश को और पर्वतीय क्षेत्र की बालिकाओं को लाभ मिलेगा। हमारी सरकार के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था की गयी है कि दिल्ली में जाने वाले रोगी जिनको वहाँ रहने की समस्या होती थी, जो परेशानी होती थी वहाँ पर एम्स के ही बगल में सरकार के द्वारा निःशुल्क रहने की जो व्यवस्था रोगियों के लिए की गयी है और उनके साथ जाने वाले अटेन्डेन्टों के लिए की गयी है इससे निश्चित रूप से इस प्रदेश के लोगों को लाभ मिलेगा।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि जो बहुत महत्वपूर्ण है इस बजट में, इस वर्ष से प्राविधान किया गया है, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में पठन–पाठन प्रारम्भ किए जाने की जो व्यवस्था इस बजट में की गयी है, निश्चित रूप से हम सब लोगों की जो समस्या रहती थी कि जो दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सक नहीं पहुँच पाते। इस मेडिकल कॉलेज के प्रारम्भ होने से समस्या का समाधान होगा। सरकार के द्वारा जल विद्युत परियोजनाओं में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित किये जाने से हमारे बेरोजगार साथियों को इससे एक नया अवसर प्रदान होगा और इससे बेरोजगारी कम होगी। महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन देने का प्राविधान इस बजट में किया गया है। जिससे हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं को काफी लाभ इससे प्राप्त होगा।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार के द्वारा जो यह बजट प्रस्तुत किया गया है उस बजट में दूर–दराज क्षेत्रों में भी रहने वाले ग्रामीणों तक सरकार के द्वारा जो सुविधाएँ इस बजट के माध्यम से दी गयी हैं लोगों को और इस प्रदेश की जनता को महसूस होने लगा है कि अब उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है वह निश्चित रूप से उनको संरक्षण प्रदान करेगी। जनरल बजट पेश किया गया है। उससे निश्चित रूप से हम सबको लाभ मिलेगा। युवा प्रतिभाओं को उभारने के लिए इस बजट में पर्वतीय क्षेत्रों में और प्रत्येक जनपद में स्टेडियम बनाने, मिनी स्टेडियम बनाने का प्राविधान किया गया है जिससे युवा प्रतिभाओं और खेल प्रतिभाओं को अवसर प्राप्त होगा और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी सरकार द्वारा एक नीति बनाई गई है कि दूर दराज के विद्यालयों में जो अध्यापक नहीं पहुँच पाते थे, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से खण्डूड़ी जी की सरकार को बधाई देना चाहता हूँ और आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ कि आज वो शिकायत जो पूर्व में हमेशा रहती थी कि हमारे विद्यालय में अध्यापक नहीं हैं। सरकार की नीति बनने के पश्चात् आज हमारे विद्यालयों में अध्यापक और प्रधानाचार्य पहुँच रहे हैं। मैं आपके माध्यम से खण्डूड़ी जी की सरकार ने जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल और शिक्षा के क्षेत्र में जो प्राविधान इस बजट के माध्यम से किया गया है, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ।

मान्यवर, अन्त में मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ सरकार को कि आपने गौचर में जो हवाई पट्टी निर्मित हुई है, उसमें इस वर्ष से हवाई सेवा प्रारम्भ करने का निर्णय लिया है और माननीय पर्यटन मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मेरे क्षेत्र में राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है और साथ ही माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे क्षेत्र में ट्रामा सेन्टर स्थापित करने की घोषणा की है। मान्यवर, इसके साथ ही मैं प्रस्तुत बजट का पूर्ण समर्थन करता हूँ और सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ और आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ।

*श्री शैलेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे वित्तीय वर्ष 2008–09 के बजट की चर्चा में समय दिया इसके लिए आपका ह्रदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मान्यवर, इस सरकार को, माननीय जनरल खण्डूडी सरकार को धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हमारी कल्पना थी कि हमारा अलग राज्य होगा और जब राज्य का निर्माण हुआ, उसके बाद उत्तराखण्ड की जनता की कल्पना थी, वो बगल के राज्यों से तुलना करते थे, जैसे उदाहरण के तौर पर हिमाचल प्रदेश की तरह हमारा प्रदेश भी कभी किसी तरीके से विकास की अग्रणी पंक्ति में खड़ा होगा, तो आज उत्तराखण्ड की जनता ऐसा महसूस कर रही है, इसके लिए मैं सरकार को, माननीय खण्डूड़ी जी को साधुवाद देता हूँ। इस तरीके से सरकार ने, आदरणीय खण्डूड़ी जी ने इस प्रदेश की उद्योग नीति, एक ठोस नीति बनाने में कामयाबी प्राप्त की है, क्योंकि इस प्रदेश का अधिकतम भू–भाग, लगभग 65 प्रतिशत वन भूमि है और उसमें राजस्व भूमि भी है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लगभग 70 प्रतिशत इस प्रदेश की सरकारी भूमि होने के बावजूद इस प्रदेश के लिए एक ठोस उद्योग नीति बनाई गई। आज जिस तरीके से पूरे भारतवर्ष में एक चुनौती के रूप में गम्भीर समस्या बेरोजगारी की हमारे आगे खड़ी है। मान्यवर, कोई भी सरकार आये, 100 प्रतिशत रोजगार का संसाधन नहीं दे पाती, लेकिन आदरणीय खण्डूड़ी जी ने इस प्रदेश को ऐसी नीति बनाते हुये जनता में एक संदेश दिया है कि सम्भव सब कुछ है, अगर इच्छाशक्ति है।

मान्यवर, 30 प्रतिशत में हमारा आबादी क्षेत्र है, इस उत्तराखण्ड प्रदेश में और उसमें से भी अधिकतम भू–भाग पर्वतीय क्षेत्र में आता है। आदरणीय खण्डूड़ी जी ने, सरकार ने जो उद्योग पॉलिसी बनाई है, तो मेरा मानना है कि जिस तरीके से हमारी कभी सोच हुआ करती थी कि हिमाचल इतना आगे विकास की ओर बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से हमारा उत्तराखण्ड प्रदेश भी आने वाले समय में अग्रणी पंक्ति में होगा, क्योंकि आज जो बेरोजगारी का मुद्दा समाज के अन्दर है और उसमें पर्वतीय क्षेत्र में। मान्यवर, उद्योगपतियों को भारी पैकेज विद्युत दरों में दी गयी है, जिस तरीके से देखा गया था कि एक ट्रांसपोर्टेज चार्ज जो पर्वतीय क्षेत्रों में ज्यादा दिये जाते थे, उससे उद्योगों में जो भारी छूट विद्युत दरों में दी गयी है। निश्चित रूप से उद्योगपति अब हर पर्वतीय क्षेत्रों में जायेंगे और हर पर्वतीय क्षेत्र में उद्योग स्थापित होंगे। यह सरकार का सराहनीय कार्य है। इसके लिए मैं सरकार को ढेर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सारी बधाई दूँगा और आदरणीय खण्डूड़ी जी का धन्यवाद करूँगा। मान्यवर, और भी इस बजट में जो अन्य सभी वर्गों को देखते हुए, चाहे वह बी0पी0एल0 श्रेणी में हों या चाहे वे व्यवसाय के क्षेत्र में लगे भाई हों। क्योंकि वैट के सम्बन्ध में, पिछले दिनों में जब पूर्ववर्ती सरकार इस प्रदेश में थी तो व्यापारी भाईयों के द्वारा समय-समय पर आन्दोलन चलाया जाता था और उनमें वैट के प्रति बड़ा रोष व्याप्त था।

मान्यवर, जब हम क्षेत्र में जाते थे तो व्यापारी भाईयों की एक ही बात होती थी कि सरकार ने वैट चार प्रतिशत लगाया है। यह सरकार बधाई की पात्र है। मैं धन्यवाद करूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का कि जिन्होंने, जिस तरीके से केन्द्र सरकार ने पूरे भारत वर्ष में जनता के ऊपर महँगाई थोप रखी है, लेकिन आदरणीय खण्डूड़ी जी ने इसको मध्यनजर रखते हुए प्रदेश की जनता को इससे राहत पहुँचाने का कार्य किया है। आदरणीय खण्डूड़ी जी ने जो वैट चार प्रतिशत था, इसको घटाकर एक प्रतिशत कर दिया है। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, जिस तरह से इस सरकार ने बी0पी0एल0 श्रेणी के अन्तर्गत जो लोग जीवनयापन करते हैं, उन लोगों का विशेष ध्यान दिया है।

मान्यवर, एक गरीब आदमी जब सौ रु0 की मजदूरी करके आता था और परिवार का कोई सदस्य बीमार पड़ जाता था तो उसको कर्जा भी नहीं मिल पाता था और उसके परिवार का सदय चारपाई में लेटे-लेटे अपने प्राण त्याग देता था। मान्यवर, मैं बधाई दूँगा इस सरकार ने एक गरीब और आम जनता को ध्यान में रखते हुए, उनके लिए एक बीमा योजना लागू की। निश्चित रूप से इससे गरीब लोगों को राहत पहुँचेगी। इस सरकार के द्वारा जो हमारी गरीब महिलाएं/माताएं, जो स्कूलों में मध्याह्न का भोजन बनाती हैं, और उनको पूरा मानदेय नहीं मिल पाता था। इस सरकार ने इस ओर भी ध्यान दिया और उन गरीब महिलाओं को जो स्कूलों में मध्याह्न का भोजन बनाती हैं, उनका विशेष ध्यान देते हुए उनके मानदेय में 25 प्रतिशत की वृद्धि की है, निश्चित रूप से इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है।

मैं माननीय खण्डूड़ी जी को धन्यवाद दूँगा कि हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए आज पूरे प्रदेश में एक खुशी की लहर है। पूर्व में जब हम मलिन बस्तियों में जाते थे तो वहाँ पर यह सुनने को मिलता था कि आप लोग सरकार में हैं, यह बात उठाइएं कि हम लोग गरीब हैं और 100 रु0 मजदूरी करके लाते हैं और शाम को अपने परिवार का भरण-पोषण उससे पूरा नहीं कर पाते हैं। विभाग द्वारा हम पर जो महीने में सीवरेज जल कर 300-400 रु0 आता है, उसका हमें भुगतान करना पड़ता है, लेकिन इसका भुगतान हम 100 रु0 प्रति दिन की मजदूरी में नहीं कर पाते हैं, इसलिए यह भुगतान न कर पाने के कारण यह बकाया राशि हो जाती है और इसके बाद विभागीय अधिकारियों द्वारा उनका उत्पीड़न किया जाता था।

मान्यवर, या तो उनके कनेक्शन काट दिये जाते थे और फिर वह गरीब जनता हम लोगों के पास आती थी। जो यह कार्य किया है, सरकार ने, आदरणीय खण्डूड़ी जी ने, मान्यवर, गरीब जनता को बहुत ही राहत देने वाला कार्य किया है। निश्चित रूप से इसका लाभ पूरी जनता को मिलेगा। सरकार द्वारा अच्छा कार्य किया गया है। मैं इसके लिए सरकार को बधाई देता हूँ। माननीय खण्डूड़ी जी का धन्यवाद करता हूँ। मान्यवर, इससे पूर्ववर्ती सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया गरीब लोगों का, मेरे अनुसूचित जाति के भाईयों का, मेरे अनुसूचित जनजाति के भाईयों का, मेरे पिछड़ी जाति के भाईयों का और बी0पी0एल0 श्रेणी के अन्तर्गत जीवन यापन करने वाले परिवारों का। हमेशा वोट की राजनीति के अलावा कोई कार्य नहीं किया गया। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं, उन्होंने कभी ध्यान भी नहीं दिया कि इन गरीब परिवारों का स्तर गरीबी रेखा से ऊपर किस तरह बढ़ाया जाय, लेकिन मैं धन्यवाद करूँगा, माननीय खण्डूड़ी जी का और इस सरकार का कि उन्होंने इस बारे में सोचा। इसका उदाहरण बजट के माध्यम से दिया गया है। जिस तरीके से गौरा कन्या धन योजना लागू की गयी है, उसके अन्तर्गत एक बी0पी0एल0 श्रेणी का परिवार, चाहे वह किसी जाति का हो, जनजाति का हो, पिछड़ी जाति का हो, सामान्य जाति का हो, उन्होंने जाति की बाध्यता को हटाते हुए इस प्रदेश में जितने भी बी0पी0एल श्रेणी के अन्तर्गत परिवार आते हैं, उन परिवारों की बालिका यदि 12वीं पास कर लेती है तो उसको उच्च शिक्षा के लिए 25 हजार रुपये का विकास पत्र सरकार द्वारा दिया जाएगा।

मान्यवर, इसके पीछे इस सरकार का स्पष्ट मत है कि गरीबों का उत्थान हो, गरीबों का स्तर ऊँचा हो। जिससे कि हमारे पूरे प्रदेश में गरीबी मिटे, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया और केवल वोट की राजनीति करती रही। उदाहरण के तौर पर यदि किसी गरीब परिवार की बेटी 12वीं पास कर लेती है और उसको उच्च शिक्षा के लिए 25 हजार रुपये मिलते हैं, वह अगर बी0ए0, एम0ए0 पढ़ लेती है, ग्रेजुएशन कर लेती है, तो किसी परिवार में उस बालिका की शादी भी होगी और शादी होने के बाद उसके बच्चे भी होंगे। निश्चित रूप से अगर वह बालिका पढ़ी–लिखी होगी तो उसके परिवार में उससे जो बच्चे होंगे तो वह उन बच्चों को भी उच्च शिक्षा के लिए प्रेरणा देगी और जब वे बच्चे भी पढ़े–लिखे होंगे तो समाज का स्तर बढ़ेगा, इसके लिए यह सरकार बधाई की पात्र है। मैं आदरणीय खण्डूड़ी जी का भी धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने इतनी छोटी–छोटी बातों को सोचा और बहुत नीचे से उन्होंने जिस तरीके से गरीब की भावनाओं को अपने से जोड़ते हुए एक ऐसी कार्ययोजना बनायी, ऐसा बजट बनाया, जिससे आज पूरे प्रदेश में खुशी की लहर है।

मान्यवर, जिस तरीके से सरकार ने इस बजट में अचल सम्पत्तियों के हस्तांतरण पर देय स्टाम्प शुल्क की दर 8 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत कर दी है, इसके लिए भी सरकार धन्यवाद की पात्र है, जनरल खण्डूड़ी बधाई के पात्र हैं। इसके अतिरिक्त शहरी इलाकों में अचल सम्पत्ति के हस्तांतरण पर देय 2 फीसदी अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी को कम कर एक फीसदी कर दिया है। निश्चित रूप से यह सराहनीय कार्य सरकार द्वारा किया गया है, इससे जनता को राहत मिलेगी। जिस तरीके से आज तक देखा जाता था कि गवर्नमेंट के सर्किल रेट कम होते थे और उससे अधिक रेट पर जमीनों की खरीद–फरोख्त होती थी। इसको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने इस पर भी ध्यान दिया, इसके लिए भी सरकार बधाई की पात्र है। यदि कोई व्यक्ति सर्किल रेट से अधिक दर पर बैनामा कराता है तो सर्किल रेट से अधिक धनराशि पर स्टाम्प ड्यूटी में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। तो इससे ऐसा महसूस होता है कि हमारे प्रदेश में जो काला धन है, उसका एक प्रचलन था इससे वह काला धन भी बाहर निकल कर आयेगा तो इस कार्य के लिए सरकार बधाई की पात्र है और माननीय खण्डूड़ी जी धन्यवाद के पात्र हैं। सरकार ने बजट में किसानों के लिए विशेष पैकेज दिया है, जैसा कि हमें विभिन्न अखबारों, समाचार पत्रों के माध्यम से पता चलता है कि कई प्रदेशों में किसान आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि वहां की सरकार किसानों पर ध्यान नहीं देती है, जबकि किसान हमारे समाज का मुख्य अंग हैं, यदि किसान अन्न का उत्पादन नहीं करेंगे तो हम लोगों को अनाज कहां से मिलेगा, यह भी एक बड़ा विषय है। लेकिन इस सरकार ने किसानों की समस्याओं के ऊपर विशेष ध्यान दिया है। उनकी ऋण लेने की सीमा को एक लाख से बढ़ाकर तीन लाख तक कर दिया है और इस ऋण पर उन्हें कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं देनी होगी। इस अच्छे कार्य के लिए मैं सरकार को बधाई दूँगा और माननीय खण्डूड़ी जी को बधाई दूँगा।

मान्यवर, पर्यटन के क्षेत्र में सरकार ने अभूतपूर्व निर्णय लिये हैं और कुछ समस्यायें मेरे क्षेत्र की हैं, मैं आपके माध्यम से माननीय पर्यटन मंत्री जी का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र कोटद्वार का एक बहुत बड़ा भाग पर्यटन विकास में अपना योगदान दे सकता है, यदि इस पर सरकार का ध्यान जाय। मान्यवर, मेरी विधान सभा से लगे दो–दो राष्ट्रीय उद्यान हैं, दायीं ओर जिम कार्बेट नेशनल पार्क तथा बायीं ओर राजाजी नेशनल पार्क। मेरा सुझाव है और मैं चाहूँगा कि माननीय पर्यटन मंत्री जी इस बारे में गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे, जिससे उस क्षेत्र की जनता को पर्यटन के क्षेत्र में आगे आने का मौका मिलेगा। मेरे क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। मान्यवर, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और पंजाब से आने वाला पर्यटक यहाँ से हरिद्वार होते हुये आगे उत्तर प्रदेश में चला

जाता है और इससे उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है, क्योंकि वह पर्यटक वहाँ पर खाना खाता है, ठहरता है और वाहन आदि लेता है। तो वह पर्यटक वहाँ से न जाकर उत्तराखण्ड में ही रहे।

महोदय, कार्बेट नेशनल पार्क में लगभग 2 लाख पर्यटक प्रतिवर्ष जाते हैं। जैसा कि मुझे आंकड़ों से ज्ञात हुआ है, एग्जेक्ट फीगर तो मैं नहीं बता सकता। हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और पंजाब से पर्यटक आते हैं, जो सीधे उत्तर प्रदेश जाते हैं, उसके बाद उत्तराखण्ड आते हैं। मान्यवर, देहरादून से लगे हरिद्वार के बीच राजाजी नेशल पार्क है, अगर उधर से एक द्वार बने, जिससे हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और पंजाब से पर्यटक आता है वह राजाजी नेशनल पार्क में प्रवेश करे और फिर वहाँ से वह कण्व ऋषि के आश्रम, उनकी तपस्थली और भरत की जन्मस्थली की ओर जायं। मान्यवर, भरत की जन्मस्थली आज वीरान पड़ी है, जहाँ पर भरत ने जन्म लिया, जिसके नाम से हमारे देश का नाम भारत वर्ष है। लेकिन मान्यवर, बड़ा कष्ट होता है, बहुत पीड़ा होती है, जब हम मंचों से कहते हैं कि हम उस देवभूमि से हैं, जहाँ भरत ने जन्म लिया। जो भरत की जन्मस्थली है, लेकिन आज वह वीरान पड़ी है। इससे हमें बड़ा दुःख होता है, कष्ट होता है और पीड़ा होती है। क्षेत्र के लोग हमसे पूछते हैं कि क्या यहाँ भरत की जन्मस्थली है, जहाँ पर भरत ने जन्म लिया था? मान्यवर, यदि राजाजी नेशनल पार्क से होते हुये कण्व ऋषि के आश्रम से और भरत की जन्मस्थली से होकर एक रास्ता बनाकर कार्बेट नेशनल पार्क तक इसे जोड़ा जाय तो निश्चित रूप से मेरे क्षेत्र के बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा, कोई होटल खोलेगा, कोई ढाबा खोलेगा, कोई गाइड का काम करेगा और इससे कहीं न कहीं हमारे उत्तराखण्ड के बेरोजगारों के लिये रोजगार के संसाधन मिलेंगे।

मान्यवर, इसके साथ ही मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ और सरकार को ढेरों बधाई देता हूँ। मान्यवर, यह बजट 2008-09, यह ऐसा बजट है जिससे जनता में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। हर वर्ग को साथ लेकर, हर वर्ग का ध्यान रखते हुए उन्होंने बजट प्रस्तुत किया। मैं पुनः सरकार का, माननीय खण्डूड़ी जी का धन्यवाद करूँगा और पुनः आपका भी हृदय से धन्यवाद करता हूँ।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत बजट 2008-09 के समर्थन में बोलते हुए आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार की तरह ही इस बार भी सरप्लस बजट प्रस्तुत किया है और इसे और अधिक बढ़ाने का लक्ष्य रखते हुए ऋण को भी पिछले वर्ष की तुलना में 300 करोड़ रुपये कम किया है। इस प्रकार

ऋणग्रस्तता के अनुपात में निरन्तर कमी, वास्तव में सरकार की एक बड़ी उपलब्धि के साथ–साथ आत्मनिर्भरता की ओर उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 396.37 करोड़ अधिक की योजना अनुमोदित कर राज्य के विकास के लिए बढ़े हुए आकार की योजना रखी गयी है। इस बजट में कोई भी नया कर प्रस्तावित न करने के साथ–साथ राजकोषीय घाटा कम करने का भी प्रयास किया गया है और साथ ही वित्तीय सुधार हेतु निर्धारित मानक भी 3 प्रतिशत की तय सीमा में है। आटा, मैदा, सूजी व दालें जैसे दैनिक उपयोग में काम आने वाली वस्तुओं पर वैट की दर 3 प्रतिशत तक कम करने के साथ–साथ, सम्पत्ति के लिए रजिस्ट्री करने पर एक प्रतिशत की कमी और किसानों के हित में कृषि ऋण पर स्टाम्प शुल्क में भारी छूट का दिया जाना भी किसानों के साथ–साथ आम आदमी के लिए लाभकारी होगा।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कई सराहनीय प्रयास किये गये हैं जैसे गरीबों के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करना व कमाऊ व्यक्ति के अस्पताल में भर्ती होने पर प्रतिदिन 50 रुपये की व्यवस्था करने के साथ–साथ एम्बूलेंस सेवा, स्मार्ट कार्ड की व्यवस्था, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, परिवार कल्याण उपकेन्द्र, राजकीय यूनानी, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के निर्माण के साथ–साथ पंचकर्म पद्धति व नर्सेज प्रशिक्षण व होम्योपैथिक चिकित्सा के विस्तार के कार्य करना स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम हैं। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी व सरकार को धन्यवाद देता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में भी शत–प्रतिशत साक्षरता दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखते हुए कन्याओं की शिक्षा के लिए छात्रावासों का निर्माण व 8वीं कक्षा तक निःशुल्क पुस्तकें प्रदान करना व 6, 7 तथा 8वीं कक्षा तक के छात्रों को मध्याह्न भोजन की व्यवस्था के साथ भोजन माताओं व सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि करना तथा सभी की पहुँच उच्च शिक्षा तक हो इसके लिए महाविद्यालयों की स्थापना व पारम्परिक पाठ्यक्रमों के साथ–साथ व्यवसायिक पाठ्यक्रम लागू करना, हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य के निर्माण में सहायक होगा। ऐसा मेरा मानना है और साथ ही मेरी विधान सभा में बी0एड0 का जो विषय माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शुरू किया गया है, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ।

पेयजल क्षेत्र की सेवाओं में सरकार स्वैप के अन्तर्गत कार्य कर रही है और ग्रीष्म ऋतु में पेयजल समस्या व जल स्रोतों को घटने से रोकने के लिए बजट में जल स्रोतों के संवर्द्धन व रैन वाटर हार्वेस्टिंग योजना को लागू करने का प्रावधान भी किया गया है। मेरा अपनी सरकार से निवेदन है आपके माध्यम से, कि स्वैप के तहत कार्यों में शीघ्रता लाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया जाना भी आवश्यक है, क्योंकि धन काफी मात्रा में होने के बावजूद योजनाओं में गति काफी

कम हो रही हैं इसके साथ ही माननीय अध्यक्ष जी, जल स्रोतों को बचाने व बढ़ाने के लिए मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ कि पर्वतीय क्षेत्रों में नदी और गधेरे काफी मात्रा में हैं, यदि वहाँ छोटे–छोटे चेकडैम बनाकर पानी को रोक दिया जाए तो जल स्तर बढ़ने के साथ–साथ वहाँ मत्स्य पालन भी किया जा सकता है और पर्वतीय क्षेत्रों में मत्स्य पालन को एक बड़े उद्योग के रूप में लगाकर बेरोजगारी को भी दूर किया जा सकता है। उत्तराखण्ड को पर्यटन प्रदेश बनाने व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्थापित करने का हमारी सरकार का जो प्रयास है, वास्तव में प्रदेश के आर्थिक विकास की पूर्ति करेगा। सुगम आवागमन हेतु रोप–वे परियोजनायें व वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली योजना प्रदेश के विकास में सहायक होगी। मेरा सरकार से निवेदन है कि मेरे क्षेत्र के मानिला, जौरासी, नैथना देवी, स्याल्दे व देघाट जैसी जगहों को भी सरकार पर्यटक स्थलों के रूप में विकसित करने की कृपा करेंगी तो वहाँ रोजगार के साधन विकसित होंगे और पलायन पर भी रोक लगेगी। ये क्षेत्र वास्तव में काफी दर्शनीय हैं और पर्यटक एक बार आने के बाद बार–बार यहाँ आना चाहेंगे।

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन नीति बनाना, राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम को सभी जिलों में लागू करना, योजनाओं में निजी पूंजी निवेश व प्रबन्धन हेतु पब्लिक–प्राईवेट–पार्टनरशिप प्रकोष्ठ की स्थापना करना व राज्य में अपनी स्वयं की निर्माण इकाई का गठन करना व बेहतर वित्तीय प्रबन्धन के साथ–साथ रोज के लेन–देन के लिए प्रदेश के सभी कोषागारों को इण्टरकनेक्टिविटी से जोड़ा जाना आदि व्यवस्थायें प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होने वाली हैं। इसके लिए मैं सरकार को आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, उत्तराखण्ड राज्य को भारत का सबसे सम्पन्न, विकसित, आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने की सरकार की अभिलाषा को यह बजट अवश्य पूरा करेगा। इसके लिए मैं अपनी ओर से और अपने क्षेत्रवासियों की ओर से सरकार को धन्यवाद देता हूँ।

* श्री चन्दन राम दास–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे वर्ष 2008–09 के बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका अन्तरमन से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसा कि यह हमारी सरकार का दूसरा बजट है, और 11वीं पंचवर्षीय योजना का चूँकि यह दूसरा वर्ष चल रहा है और हमारे मुख्यमंत्री, मेजर जनरल खण्डूड़ी जी के नेतृत्व में सदन में लगातार दूसरी बार सरप्लस का जो बजट प्रस्तुत हुआ है, उसके लिए मैं अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को बहुत–बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसा कि पिछली बार भारत सरकार से हमारी जो 4378 करोड़ रुपये की योजना अनुमोदित हुई थी, इस बार हमारी सरकार ने 4775 करोड़ की योजना स्वीकृत कराई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 396.37 करोड़ रुपये अधिक है, जिसके लिए हम अपने मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहते हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, बजट में कोई नया कर प्रस्तुत न करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक आम गरीब जनता को राहत देने की पूरी कोशिश की है, जिससे पूरे प्रदेश की जनता बहुत ही खुश और आशान्वित है, क्योंकि हम लोग चुनाव के समय में जब क्षेत्रों में जाते थे तो जनता की सबसे बड़ी समस्या महंगाई की रहती थी। चूँकि महंगाई का विषय भारत सरकार का है और प्रदेश सरकार इतना ही कर सकती थी कि जो वैट यहाँ लागू हुआ है भारत सरकार की ओर से, उस पर उन्होंने 4 प्रतिशत के स्थान पर 3 प्रतिशत कम करके मात्र 01 प्रतिशत लागू किया है, इससे महंगाई को कम करने के लिए हमारी सरकार ने एक सार्थक प्रयास किया है, इसके लिए हमारी सरकार बधाई की पात्र है। मान्यवर, राजकोषीय घाटे को कम करने की कोशिश की है और राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्राविधानों तथा राज्य के लिए सुदृढ़ वित्तीय आधार को बनाने के लिए वित्तीय सुधार कार्यक्रम को आगे बढ़ाये जाने का जो प्राविधान है, उस पर भी कटौती करके हमारी सरकार ने एक अच्छा काम किया है।

मान्यवर, वर्ष 2008–09 के प्रस्तुत बजट के अनुसार राजकोषीय घाटा 1155.30 करोड़ रुपये रह गया है, जो वित्तीय सुधारों हेतु निर्धारित मानक 03 प्रतिशत की सीमा में है, इसके लिए भी सरकार बधाई की पात्र है। आटा, मैदा, सूजी और दालों पर जो मूल्य वृद्धि कम की है, यह एक सराहनीय काम है, इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। मेरा सुझाव है कि तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, यदि तेल की कीमतों में भी कुछ कटौती कर दी जाय तो जनता की ओर से भी सरकार और ज्यादा बधाई की पात्र होगी।

मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार ने बहुत ही अनुकरणीय काम किया हैं चाहे शिक्षा आचार्य का मामला हो या शिक्षा मित्र का, हमारी सरकार ने शिक्षकों की नियुक्ति कर एक बहुत ही अच्छा प्रयास किया है। मिड–डे मील योजना, जो पहले प्राईमरी स्तर तक लागू थी, अब वह जूनियर हाईस्कूल स्तर तक करके सरकार ने एक नई शिक्षा के क्षेत्र में बचनबद्धता सिद्ध की है। उसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ।

समाज कल्याण के क्षेत्र में सरकार ने विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन सभी वर्ग के लोगों को देने के लिए जो नई वचनबद्धता की है उसके लिए भी मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। मान्यवर, जो विशेष मात्राकरण योजना है, उसका जो बजट है अनुसूचित जाति के क्षेत्र में लगे और पूरे बजट का उपयोग हो, यह भी प्रयास किया जाना आवश्यक है। इसके लिए भी मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। इसमें मेरा एक सुझाव है, जो समाज कल्याण की योजनाएं हैं जैसे जनश्री योजना, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन योजना

हों या चाहे बी0पी0एल0 परिवारों के लिए गौरा कन्या धन योजना चलाई गई है उसमें एक संशोधन की आवश्यकता भी है कि बी0पी0एल0 क्रमांक की बाध्यता को समाप्त किया जाए ताकि गरीब से गरीब लोगों को इसका लाभ मिल सके क्योंकि जो गौरा कन्या धन योजना पहले अनुसूचित जाति के 12वीं पास कन्या को यह पैसा मिलता था अब सवर्णों की कन्याओं को भी यह लाभ हमारी सरकार ने दिया है। उसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। परन्तु इसमें मेरा एक सुझाव है कि बी0पी0एल0 परिवारों की जो सूची रखी जाए उसमें क्रमांक की बाध्यता को समाप्त किया जाए क्योंकि देखने में यह आता है कि कई ऐसे परिवार हैं जिनके पास बी0पी0एल0 कार्ड है, अन्त्योदय कार्ड है किन्तु सर्वेक्षण में क्रमांक न होने से लाभ नहीं मिल रहा है, गरीब आदमी इस लाभ से चूक जाता है, इसमें संशोधन की आवश्यकता है। समाज कल्याण के लिए एक और सुझाव है, जो अनुसूचित जाति का जो हमारा बैक लॉग है वह भरा जाना चाहिए। सरकार इसके लिए एक योजना बनाये। बैक लॉग की भर्ती और प्रमोशनों में अनुसूचित जाति के लोगों को बराबर लाभ देने की आवश्यकता है। इसके लिए भी सरकार द्वारा प्रयास करने की आवश्यकता है। खेल-कूद के क्षेत्र में हमारी सरकार ने प्रत्येक विकास खण्ड में एक मिनी स्टेडियम बनाने का प्राविधान रखा है इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ और अपने प्रदेश के जो राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं उनको सम्मानित करने की आवश्यकता है। मेरे बागेश्वर क्षेत्र में कई ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं।

इस बीच हमारी एक बिटिया जो हंगरी के गोल्ड मेडल लाई। मेरी स्वयं की बिटिया ने बैंकॉक और वियतनाम में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। ऐसे कई लोगों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय बच्चों को, जो हमारे प्रदेश में कोई खेल नीति है, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए अच्छी खेल नीति बनाने की आवश्यकता हैं ताकि अपने पूरे प्रदेश में, चूँकि आपने वाले समय में हमारे यहाँ खेल-कूद के कार्यक्रम होने वाले भी हैं और उसके लिए अलग से जो धनराशि रखी गई है, मैं चाहता हूँ कि इन खेलों को विकसित करने के लिए सरकार कोई ठोस योजना बनाये। मैं पुनः माननीय खेल मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि राज्य में खिलाड़ियों के लिए सरकार द्वारा कोई विशेष पैकेज की योजना बनाई जाए। आपदा प्रबन्धन के विषय में मैं कहना चाहता हूँ जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि हम पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं। आपदा के समय कई बार ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं कि हम लोगों को लाभ नहीं दे पाते हैं।

मान्यवर, परिवहन के क्षेत्र में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और परिवहन मंत्री जी ने एक नई योजना की शुरूआत की है। मान्यवर, मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और परिवहन मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने दुर्घटना की घटनाओं में जो 50 हजार रुपये और घायल होने पर 25 हजार रुपये तत्काल धनराशि देने का प्राविधान किया है, इसके लिए मैं अपनी सरकार को बधाई दना चाहता हूँ। परन्तु इसमें भी एक संशोधन की आवश्यकता है कि कई स्थानों पर ऐसी स्थिति हो रही है कि यदि राजकीय वाहन से या बस से या जीप से जो दुर्घटना होती है। तब तो उनको पचास हजार रुपया मिलता हैं अगर यदि कोई प्राइवेट बस से दुर्घटना हो गयी या किसी बस ने कुचल दिया तो इसमें दैवीय आपदा में इसके लिए कोई प्राविधान नहीं किया गया है। इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से अपनी सरकार से यह अनुरोध करूँगा कि दैवीय आपदा प्रबन्धन के लिए एक अलग से नीति बनायी जाए और जैसे मकान गिर जाय उसके लिए पैसा है, जब मकान में दरार है या बरसात के कारण अगर मकान गिर रहा है तो उसको दैवीय आपदा में नहीं मान रहे हैं। मेरे क्षेत्र में परसों एक परिवार के मकान में आग लग गयी थी, वहीं पर मृत्यु हो गयी, दो लोगों को ट्रक ने कुचल दिया और एक परिवार में दो बच्चे जा रहे थे उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी नदी में जा गिरी। लेकिन आज तक उनको एक पैसे की राहत नहीं मिल पायी। क्योंकि वे इस दैवीय आपदा के मानकों के अन्तर्गत नहीं आ रहे हैं। तो इन नियमों को परिवर्तित करने की आवश्यकता है।

मान्यवर, मेरा एक सुझाव है कि हमारी सरकार ने जलकर और सीवरेज कर को माफ किया। आम जनता को इससे बहुत राहत मिली हैं इसके लिए हमारी सरकार बहुत-बहुत बधाई की पात्र है और मैं एक सुझाव और देना चाहूँगा कि हमारे पूरे प्रदेश में भारत सरकार द्वारा 12.50 प्रतिशत सर्विस टैक्स लगा दिया गया है जिसके कारण प्रदेश के पूरे ठेकेदारों द्वारा टेण्डरों की होली जलायी जा रही है और टेण्डरों की होली जलाने से हमारे प्रदेश के जो निर्माण कार्य हैं वे बाधित हो रहे हैं। चूँकि भारत सरकार के वाणिज्य विभाग द्वारा जो टैक्स लगाया गया है और इसकी वसूली 2005 से की जा रही है। भारत सरकार द्वारा लगाये गये इस कानून की मैं निन्दा करता हूँ और सरकार से निवेदन करता हूँ कि आने वाले समय में जो भी योजनाओं के लिए आंकड़े बनाये जायें और जो भारत सरकार द्वारा इसको इंक्लयूड करके वसूली की जा रही है। उसको निरस्त करने की आवश्यकता है तभी हमारे प्रदेश के निर्माण कार्य हो सकते हैं। वन विभाग की ओर से भी इस बजट में काफी प्राविधान हैं जिसमें काफी कार्यक्रमों के लिए सरकार ने काफी धनराशि दे रही है। मैं इसके लिए सरकार को बधाई देना चाहता हूँ और एक सुझाव भी देना चाहता हूँ कि जो पूरे प्रदेश की समस्या है, यहाँ पर माननीय वन मंत्री जी भी बैठे हुए हैं अगर पूरे प्रदेश में जो समस्या हो रही है वो हो रही है बन्दरों की और सुअरों की, हमारे

वैज्ञानिक बड़े–बड़े शोध कर रहे हैं, अच्छी खाद दे रहे हैं, अच्छे बीज दे रहे हैं और अच्छे पॉली हाउस बन रहे हैं और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। परन्तु बन्दर, सुअर एक रात और एक दिन में उजाड़ दे रहे हैं। जिससे हमारे कृषकों का कृषि उत्पादन घट रहा है और इसके लिए कोई कारगर योजना बनाने की आवयकता है। जो वन्य जीव–जन्तु हैं, जैसा कि हमारे माननीय सदस्य श्री अग्रवाल जी ने बताया है कि हाथियों की भी समस्या हैं और हाथियों की समस्या तो है ही मगर हमारे पहाड़ में हाथी अभी नहीं चढ़े हैं। (हँसी) मगर ट्रकों से हमारे पहाड़ को भेजे जा रहे हैं। हाथी वाले तो वैसे भी बाहर बैठे हुए हैं। लेकिन हमारे वहाँ बन्दरों की बहुत समस्या है। इसके लिए मैं माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि वन विभाग के माध्यम से इनको पकड़ने के लिए कोई व्यवस्था की जाय ताकि जो हमारे कृषि का उत्पादन है वह भी सुरक्षित हो सके और कृषि के क्षेत्र में एक अग्रणी वृद्धि हो सके।

अतः मैं अपनी सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ और साथ ही अपने जनपद बागेश्वर में कुछ समस्याएँ हैं मैं देख रहा था कि प्राविधिक शिक्षा के क्षेत्र में अपने प्रदेश में कई पॉलिटेक्निक स्वीकृत हुए हैं। सम्भवतः मेरे क्षेत्र में भी 2005 में पॉलिटेक्निक स्वीकृत हुआ है। काण्डा विधान सभा क्षेत्र में भी पॉलिटेक्निक स्वीकृत हुआ है। परन्तु आज तक धरातल में कोई पॉलिटेक्निक नहीं हैं कहते हैं कि हमारा गरुड़ का पॉलिटेक्निक द्वाराहाट में संचालित हो रहा है, गंगोलीहाट का पॉलिटेक्निक लोहाघाट में संचालित हो रहा है तो यह सब चूँकि पिछली सरकार की कारगुजारी है। मान्यवर, मैं इस सरकार से निवेदन करता हूँ कि जो भी हमारे क्षेत्र में स्वीकृत पॉलिटेक्निक है प्राविधिक शिक्षा क्षेत्र में, वो हमारे क्षेत्र में शुरू करें और वहीं के लोगों को उसका लाभ मिले तब सरकार की कथनी और करनी का अन्तर पाटा जा सके। मैं पुनः सबको धन्यवाद देते हुए और सरकार का धन्यवाद देते हुए इस प्रस्तुत बजट का घोर समर्थन करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ।

श्री यशपाल बेनाम–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मुझसे पहले कई सम्मानित सदस्यों ने अपनी बात को आपके सम्मुख रखा। यह हमारा सौभाग्य है कि इस सरकार के एक साल के कार्यकाल को हम देख चुके हैं। इसलिए जो पिछली सरकार से अलग इस सरकार द्वारा किया गया है तो मैं बेखौफ सबसे पहले पर्यटन के क्षेत्र में, सरकार का और माननीय पर्यटन मंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने तमाम पर्यटन स्थलों पर रोप–वे निर्माण की बात कही और उन पर्यटन स्थलों को चयनित करने की भी बात

कही जो कि पर्यटकों को लुभा सकते हैं लेकिन महोदय, मैं यह निवेदन माननीय पर्यटन मंत्री जी से करना चाहूँगा कि मण्डल मुख्यालय पौड़ी जोकि विगत कई वर्षों पूर्व पर्यटन नगरी घोषित किया जा चुका था, उसके लिए इस बजट में रोप–वे की व्यवस्था नहीं की गयी हैं मैं सरकार से उम्मीद करता हूँ कि इस बजट में पर्यटन नगर मण्डल मुख्यालय पौड़ी के लिए रोप–वे की व्यवस्था की जायेगी और साथ ही पौड़ी से सटी हुई गंगवाड़स्यूं घाटी में झील निर्माण, जोकि पूर्व में भी प्रस्तावित था, उसे भी यहाँ पर किया जायेगा।

मान्यवर, सबसे बड़ी बात इस सरकार के लिए, जो जनता के लिए कही गयी है कि साक्षात्कार की प्रक्रिया को समाप्त करके सरकार ने जो पारदर्शिता दिखाई और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की बात कही थी। निश्चित रूप से भ्रष्टाचार एक तो कमीशनखोरी के जरिये होता है अगर उसे खत्म किया जाए तो वह समाप्त हो सकता है और दूसरा अगर सिफारिश न की जाए तो मैं समझता हूँ कि भ्रष्टाचार खत्म होता है। यह हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि सरकार जिस पारदर्शिता के साथ नियुक्तियाँ कर रही है इसमें किसी की भी सिफारिशों को नहीं सुना जा रहा है तो ये मैं समझता हूँ कि जो भ्रष्टाचार फैला था उसे खत्म करने के पीछे एक बहुत बड़ा सरकार द्वारा प्रयास किया गया है।

शिक्षा विभाग में माननीय शिक्षा मंत्री जी यहाँ पर नहीं हैं। मैं उनका भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि स्थानान्तरण प्रक्रिया को जिस तरह से उन्होंने सुलभ बनाया है और जिस तरह से उसमें पारदर्शिता की जा रही है यह बड़ी अच्छी बात है कि उसी कारण आज जो पिछली सरकार में शिक्षा के कारण व्यवधान हुआ था और पिछली सरकार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने प्रत्येक ब्लॉक में मण्डल मुख्यालय पर जो आवासीय परिसर खोलने की बात की है वह स्वागत योग्य है लेकिन इसकी गहराईयों में माननीय अध्यक्ष जी, जाना होगा। यदि पौड़ी में 15 ब्लॉक हैं और 15 ब्लॉकों में मण्डल मुख्यालयों पर हम आवासीय परिसर का निर्माण करते हैं तो उसमें हमें यह देखना चाहिए कि वहाँ शिक्षक और शिक्षिकाओं की उपस्थिति, इस आवासीय परिसर में किस हद तक वे रह पायेंगे, क्योंकि आप लोग यह जानते हैं कि आज सड़कों का जाल उत्तराखण्ड में इस तरह फैल चुका है कि लोग, शिक्षक शिक्षिकाएँ 20–25 किमी0 दूर होने के बावजूद भी अपने घरों की तरफ रूख करती हैं तो मान्यवर, जब ये आवासीय परिसर खोले जायें तो इन तमाम बातों का ध्यान रखा जाना उचित होगा। महोदय, मैं समाज कल्याण सम्बन्धी योजनाओं के बारे में सरकार के कदम का स्वागत करता हूँ। इस सम्बन्ध में सम्मानित माननीय सदस्य जी ने भी सदन को बताया। इसमें परिवर्तत की, निश्चित रूप से जो हमने अपने कार्यकाल के दौरान

देखा है कि समाज कल्याण की जितनी योजनाएँ हैं वो बजट के हिसाब से निर्धारित की जाती हैं जबकि मेरा माननीय समाज कल्याण मंत्री जी से यह निवेदन है कि इन योजनाओं में आवेदन पत्रों के हिसाब से, बजट इसके लिए निर्धारित किया जाना चाहिए। माना कि रु0 10,000 लड़कियों की शादी के लिए जो दिया जाता है अगर महोदय, अप्रैल में किसी लड़की की शादी है तो वह मार्च में निश्चित रूप से कार्ड छपाने के बाद समाज कल्याण अधिकारी को उसका ब्यौरा देंगे और अगर बजट जो है मार्च महीने में ही शादियों पर खत्म हो जाता है तो इससे आगे की शादियों की व्यवस्था नहीं की जाती है, तो मैं यह चाहता हूँ कि जिस तरह माननीय पंचायत राज मंत्री जी ने कहा है जो उनसे मेरी मौखिक रूप से वार्ता हुई थी कि आवासीय भवन जो बनाये जायेंगे उसमें बी0पी0एल0 कार्डों की छूट दे दी जायेगी और जिनकी आय 10–15 हजार रुपये वार्षिक से कम है उन्हें भी इन्दिरा आवास योजना के तहत दिया जायेगा, तो मैं सरकार का समर्थन करता हूँ कि सरकार धीरे–धीरे आगे बढ़ रही है।

मान्यवर, स्वास्थ्य के रूप में जब पिछली बार बजट सत्र था तो हमने कहा था कि उप केन्द्रों, पी0एच0सी0 और सी0एच0सी0 खोलने के लिए केन्द्र सरकार से, कि मानकों में शिथिलता के प्रयास किया जाना चाहिए लेकिन दुःख की बात है कि सरकार द्वारा इस तरह के प्रयास नहीं किये गये हैं, जिससे कि अगर उप केन्द्र और सब केन्द्र खोले जायेंगे तो निश्चित रूप से बेरोजगारी दूर होगी और रोजगार मिलेगा। मान्यवर, अन्त में मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म करते हुए, कई लोगों ने कहा कि तब भी मैं नहीं समझता कि बजट में कुछ प्रभाव पड़ेगा, अभी माननीय प्रतिपक्ष के नेता होते तो वे 3 घण्टे बोलते तब भी बजट में कोई फर्क नही पड़ता, क्योंकि बजट पूरी तरह से स्वीकार्य है। और बजट में कुछ भी गलत नहीं है हालांकि उसमें कुछ परिवर्तन किये जाने की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि धीरे–धीरे सरकार इन बातों पर आयेगी, लेकिन सबसे बड़े दुःख की बात है जो इस बजट में देखने को नहीं मिला कि बेरोजगारों के लिए इस तरह की सुविधा नहीं की गई है, न दैनिक वेतन भोगियों के स्थाई करने की बात कही गई है, जो मजदूर सड़कों पर गैंग मजदूर के रूप में काम करते हैं उनका मानदेय बढ़ाने की बात नहीं की गई, न कर्मचारियों की वेतन विसंगति को दूर करने की बात कही गई।

मान्यवर, पुराने समय से जब वक्त की नजाकत होती है तो नारे दिये जाते हैं जिस तरह से इस चुनाव में नारा दिया गया था कि "गणपत्ति बप्पा मोरिया, जनरल–जनरल होरिया", इसी तरह से 30–40 साल पहले नारा था 'रोटी, कपड़ा और मकान', वो रोटी, कपड़ा और मकान उस समय की जरूरत थी:, इस समय की जरूरत शिक्षा और स्वास्थ्य को नारा नहीं दिया गया था। रोटी, कपड़ा, मकान के बाद शिक्षा, स्वास्थ्य की बात आई। जब मैं नगरपालिका में था तो नारा दिया

'पानी, बिजली, सड़क, सफाई' तो रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, सड़क, सफाई सारे नारे जमीन पर उतर कर काम कर रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी खत्म करने का नारा मैं समझता हूँ इस बजट में हमारी सरकार द्वारा नहीं रखा गया, यह दुर्भाग्य है और सबसे बड़ा दुर्भाग्य उत्तराखण्ड आन्दोलनकारियों की अवहेलना की है।

मान्यवर, पिछले बजट में जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना बजट पेश किया था तो प्रथम पेज में लिखा था कि इस राज्य का विकास राज्य निर्माण के आन्दोलनकारियों की भावना के अनुरूप किया जायेगा। परसों जब 7 तारीख को महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बड़ी गम्भीरता के साथ और प्रमुखता के साथ कहा कि इस राज्य का विकास हम उत्तराखण्ड आन्दोलनकारियों की भावना के अनुरूप कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखण्ड आन्दोलनकारियों के लिए जो तमाम धरने और प्रदर्शन राज्य में चल रहे हैं उत्तराखण्ड आन्दोलनकारी 7 दिन से नीचे एक दिन भी जेल में रहे हैं, तो वे नौकरी की मांग कर रहे हैं, अपने आश्रितों के लिए नौकरी की मांग कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि इन उत्तराखण्ड आन्दोलनकारियों की भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए, मैं भी आन्दोलनकारी हूँ। आपने परसों 7 तारीख को विपक्ष के साथ न देने पर अपनी नाराजगी को, अपनी अभिव्यक्ति को एक मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया तो मैं कहना चाहता हूँ कि हम सब का दुर्भाग्य है, सरकार को इस बजट में लोगों की भावना को देखते हुये यह क्लियर करना चाहिए था कि परिसीमन का ड्राफ्ट जिस पर महामहिम राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर हो चुके हैं, उत्तराखण्ड क्रान्तिदल ने हाई कोर्ट में रिट दायर की है मगर यह तमाम परिणाम भी परिसीमन को पूर्ववत् नहीं रखने के लिए अलग करते हैं तो क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट में जायेगी या सरकार यह चाहती है या नहीं चाहती है कि परिसीमन को पूर्ववत् रखा जाये, क्योंकि तमाम जो बजट पेश किया जा रहा है, जो तमाम बातें की जा रही हैं वह उत्तराखण्ड राज्य की पहाड़ की गरिमा को बचाने के लिए की जा रही हैं। अन्त में मैं कहना चाहता हूँ कि इस बजट में बेरोजगारी दूर करने के लिए और उत्तराखण्ड आन्दोलनकारियों को सम्मान देने की बात की जायेगी। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री ओम गोपाल–

"जिन्दा वही रहते हैं,
जो मौसम के सितम को सहते हैं।
वर्ना पत्ते तो झड़ जाते हैं,
लेकिन पेड़ खड़े रह जाते हैं।"

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका ह्रदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, यह बात मैंने इसलिए कही है कि जो बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर प्रस्तुत किया, उसमें उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति और उत्तराखण्ड आन्दोलन से उनका जुड़ाव साफ–साफ नजर आ रहा है। मान्यवर, लगातार दूसरी बार राजस्व सरप्लस बजट पेश करके, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिखा दिया है कि वह सिर्फ अखबारों में ही नहीं, वाकई में भी देश के नम्बर एक मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने इस प्रदेश में नम्बर एक बजट पेश किया है। माननीय अध्यक्ष जी, जो बजट माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पेश किया गया वह अपने आप में एक अभूतपूर्व, सबसे अच्छा और सुव्यवस्थित बजट है। यह मैं ही नहीं, पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि इससे पहले इससे अच्छा बजट कभी पेश नहीं हुआ।

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा राज्य आन्दोलन को ध्यान में रखते हुए ही बजट को पेश किया गया है। हमारे राज्य आन्दोलन की जो मूल अवधारणा थी। एक बहुत बड़ा धब्बा जो हमारे माथे पर लगा हुआ था, एक लेबल चिपका हुआ था कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आयी। इस धब्बे को मिटाने के लिए इतना बड़ा जो आन्दोलन चला जिसमें हमारे 42–42 लोगों ने कुर्बानियाँ दीं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन तमाम लोगों की राज्य आन्दोलन की जो मूल अवधारणा थी उसी के अनुरूप बजट पेश किया, विशेषकर उन्होंने इसमें जो गरीब तबके के लोग थे उनके लिए, जैसे हमारे यहाँ आटा, मैदा, सूजी में जो वैट का कर था, उसे घटाकर के चार प्रतिशत से एक प्रतिशत किया गया और इस बजट में किसी नये कर का प्रस्ताव नहीं है। मान्यवर, जबकि पिछली सरकार के द्वारा जो यहाँ पर कर्जा हुआ था, 11269 करोड़ का जो कर्ज था इसमें हमें जो केन्द्र से 40 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता मिलती है, वह सिर्फ इस कर्जे के मूल धन और कर्जे में अदायगी होती है, लेकिन माननीय मुखयमंत्री जी की दृढ़ इच्छाशक्ति से यहाँ पर किसी भी नये कर का प्रस्ताव नहीं है, जोकि अपने आप में एक अभूतपूर्व फैसला है।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सबसे गरीब तबके की हमारी महिलाएं/गरीब माताएं हैं उनका मानदेय बढ़ाने की बात कही, किसानों को जो तीन लाख तक के कृषि ऋण थे उस पर कोई स्टाम्प शुल्क नहीं लगाया, होमगार्ड्स का मानदेय बढ़ाया है, यह अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है, इनके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, आज हमको लगता है कि जो हमारी राज्य निर्माण के पीछे अवधारणा थी, उसी के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कार्य किया जा रहा है। आज पहाड़ का पानी भी पहाड़ के काम आ रहा है और पहाड़ की

जवानी भी पहाड़ के काम आ रही है। आज हमारे पानी में जितनी भी जल विद्युत परियोजनाएं बन रही हैं, उसमें हमारे तमाम, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य है कि तमाम छोटी–छोटी जल विद्युत परियोजनाएं जो बनेंगी, उसमें यहाँ के लोकल लोगों की, स्थानीय ग्राम सभाओं के बेरोजगारों की सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी।

मान्यवर, यह काम वहीं के लोग करेंगे और यहाँ का पलायन रूकेगा। महोदय, हम लोग पहाड़ के निवासी हैं और पहाड़ के बारे में हम लोग पूरी तरह से अवगत हैं। हम लोग जब तमाम जगह जाते हैं तो देखते हैं कि पूरे गांव के गांव खाली पड़े हैं। जब पूछते हैं तो कोई कहता है, हमारा लड़का दिल्ली गया है, कोई कहता है मुम्बई गया है, कोई कहता है, चण्डीगढ़ गया है और कोई कहता है, लुधियाना गया है, कोई कहता है, अमृतसर गया है। पूरे पहाड़ से युवाओं का पलायन हो रखा था। आज यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार ने सुदूरवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों में उद्योगों के लिए जो पॉलिसी बनायी है, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल से धन्यवाद करता हूँ, इससे हमारे पहाड़ का पलायन रूकेगा। यहाँ के जो बेरोजगार हैं, युवा हैं, उनको दर–दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी और अन्य राज्यों में उनको रोजगार के लिए नहीं जाना पड़ेगा।

माननीय अध्यक्ष जी, इन सब के बारे में जो तमाम बातें बजट में हैं, वह मेरे से पूर्व हमारे तमाम सदस्यगणों ने बता दी हैं। मैं इसमें ज्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। महोदय, मात्र कुछ अंश आपकी आज्ञा से इस बजट में जोड़ने का निवेदन करता हूँ। जैसा कि मेरे से पूर्व बड़े भाई यशपाल बेनाम जी ने कहा कि आज भी तमाम आन्दोलनकारी साथी सड़कों में आन्दोलन कर रहे हैं, जिनकी बदौलत राज्य बना, जिनकी बदौलत आज हम इस विधान सभा में बैठे हुए हैं, जिनकी बदौलत हमारा अलग से बजट पेश हो रहा है, वे आज तमाम दर–दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो रहे हैं और आन्दोलन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मान्यवर, पिछली बार जब यहाँ बजट पेश हो रहा था, तब भी हमने आपकी आज्ञा से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि इस बजट में उत्तराखण्ड आन्दोलनकारियों के लिए भी अलग से व्यवस्था हो। जब तमाम लोगों के लिए इसमें व्यवस्थाएं हैं, तो क्या कारण हैं कि हमारे उत्तराखण्ड आन्दोलनकारियों के लिए इसमें व्यवस्था नहीं दी गयी है? उन लोगों न अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के बांद कभी नहीं सोचा था कि इस प्रकार से यहाँ पर हमको ये दिन देखने पड़ेंगे। मेरा आपसे निवेदन है महोदय, कि आन्दोलनकारियों के लिए इस बजट में व्यवस्था दी जाय।

अभी हमारे माननीय बड़े भाई श्री प्रेम चन्द अग्रवाल जी और मैं परसों एक धरने में ऋषिकेश गये थे। आज विधान सभा के सामने उन लोगों का धरना प्रदर्शन

चल रहा है। देहरादून, जो हमारे उत्तरखण्ड आन्दोलन की कर्मस्थली रही है, जहाँ से तमाम उत्तराखण्ड आन्दोलन की रणनीतियाँ बनती थीं, वहाँ पर भी लगातार आये दिन धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, सरकार से बार–बार माँग की जा रही है। महोदय, इसमें नया कुछ करने की जरूरत नहीं है। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा इसमें जो कुछ हो रखा है, उसमें बस हमको आगे बढ़ना है। चयन की प्रक्रिया भी जो चल रही है, तमाम हमारे जो इन्टेलीजेंस के लोग हैं, सबको यह पता है कि आन्दोलनकारी कौन–कौन हैं, किसको क्या–क्या लाभ मिलना है। बहुत बुरे वक्त से वे लोग गुजर रहे हैं। जो बूढ़े आन्दोलनकारी हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। वे बीमार हैं, उनके लिए कोई स्वास्थ्य सुविधाएँ नहीं हैं। कुछ भी उनके लिए हम लोग नहीं कर पाये। इसके लिए महोदय, हमको हमेशा खेद रहेगा। विशेषकर हम लोग आन्दोलनकारी हैं, हमको बहुत बुरा लगता है, जब हम उनके सामने जाते हैं और उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं। आपसे यही निवेदन है महोदय, कि आन्दोलनकारियों के लिए विशेषकर इस बजट में प्राविधान किया जाय और बेरोजगारों के लिए पहाड़ में पूँजीनिवेश के लिए भी इस बजट में प्राविधान रखा जाय।

महोदय, दूसरी बात, पर्यटन, धर्मस्व और संस्कृति, यह हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी, चाहे वह राजस्व के मामले में हो या किसी और अन्य मामले में, अहम भूमिका रखते हैं और इनको ज्यादा मजबूत बनाये जाने की आवश्यकता है। सरकार ने इस क्षेत्र में भी काफी बजट की व्यवस्था कर रखी है और पूरे प्रावधान करके सरकार ने बजट में रखा है, लेकिन मान्यवर, इसका अहम पहलू यह है कि यदि हम 13 जिलों में जायें तो इन विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों की बहुत कमी है। हमारे जनपद टिहरी में एक अकेले अधिकारी हैं रावत जी, उनके साथ कोई फोर्थ क्लास और बाबू आदि नहीं है। हमारी तमाम बड़ी योजनायें इस कारण कागजों में खाक छानती रहती हैं। सरकार ने बड़ी–बड़ी योजनायें बना रखी हैं, लेकिन इन योजनाओं का तभी क्रियान्वयन होगा, जब वहाँ पर हम कर्मचारियों और अधिकारियों की व्यवस्था करें। यही स्थिति अन्य विभागों की भी है, जब इन विभागों में अधिकारी, कर्मचारी होंगे, तब ही यह योजनायें परवान चढ़ पायेंगी, तभी इन योजनाओं पर अमल हो सकेगा और अमली जामा पहनाया जा सकेगा।

महोदय, बेराजगारों के लिए सरकार ने कई व्यवस्थायें कर रखी हैं, हमारे विभिन्न विभागों में, चाहे वह समाज कल्याण विभाग की योजनायें हों, चाहे उद्योग विभाग की योजनायें हों या मत्स्य पालन, दुग्ध विकास विभाग की योजनायें हों, चाहे पशुपालन विभाग की योजनायें हों या वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली योजना हों, सरकार ने इसमें बजट के प्राविधान कर रखे हैं लेकिन इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जब हमारे बेरोजगार सारी फार्मेल्टी को पूरा करके, सारी पॉलिसी की प्रक्रिया

को पूरा करने के बाद बैंकों में जाते हैं, वह प्रक्रिया इतनी जटिल है कि वह वहाँ से निराश होकर वापस लौट जाते हैं। सरकार ने योजनायें तो चला रखी हैं, लेकिन हमारे गरीब और बेरोजगारों को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि बैंकों की जो लोनिंग प्रक्रिया है, वह बहुत जटिल है। इस प्रक्रिया को सरल किया जाना चाहिए, व्यवहारिक किया जाय। बेरोजगार व्यक्ति के पास गारन्टर नहीं होता है, उसके पास गारन्टी के लिए जमीन नहीं होती है, क्योंकि जमीन उसके पिताजी के नाम पर होती है, अब या तो वह पिताजी के मरने का इन्तजार करे, क्योंकि तभी उसके नाम पर जमीन होगी। कोई भी व्यक्ति गारन्टर नहीं बन पा रहा क्योंकि सभी लोग बेरोजगार पड़े हैं।

मान्यवर, इसलिए इस लोनिंग प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए, ताकि बेरोजगार लोग इन योजनाओं का लाभ ले सकें। आज तक पलायन का यही सबसे बड़ा कारण रहा कि इन सभी योजनाओं का लाभ एक विशेष वर्ग का आदमी ही ले पाता है, जो ठीक-ठाक हैं, धनाढ्य लोग हैं, वही इन योजनाओं का लाभ लेते हैं। गरीब आदमी इनका लाभ नहीं ले पाता है, वंचित रह जाता है, इसलिए लोनिंग की प्रक्रिया को सरल बनाया जाय।

मान्यवर, सरकार इन बेरोजगारों की गारन्टी ले और जो हमारे मंत्री हैं, विधायक हैं, इनकी गारन्टी ले, ताकि बैंक उनको बगैर पूछ-ताछ के लोन दे। मान्यवर, पहाड़ के लोग सब ईमानदार होते हैं, बहुत ईमानदारी से वह ऋण की अदायगी करते रहे हैं। सरकार का जो बजट बड़ा ही अद्भुत और ऐतिहासिक है, मूल रूप से तभी कार्य कर पायेगा जब हम जमीनी हकीकत में कार्य करेंगे, कि इन योजनाओं का लाभ, जिन तमाम विभागों को पैसा आवंटित किया गया है, उसका लाभ, यहाँ की गरीब जनता और जिन लोगों के लिए यह पॉलिसी बनाई गई है, उनको उसका पूरा लाभ मिल सके। मान्यवर, आप तो गढ़वाली समझते हैं, जब चुनाव हो रहे थे तो हम लोग चुनाव मा छा जांण लाग्यां, तो एक माता जी थी, ग्राम सभा, राणाकोट थोकु टैण काटन लग्यां, क्योंकि चुनाव का टाइम था, हम लोगों ने कहा कि माता जी, नमस्कार, ताई जी प्रणाम, हम लोग भोट मांगण आयां, आपण भोट दिणी तो उन्होंने यह कहावत कही और हम लोग बहुत विचार मा पड़ ग्यां कि उले यो शब्द कितें बोली, भट्ट जी को लफ्ज थौ उकि

काच्चा जौ का बल कीस, ज्यों-ज्यों ठण्ड पाणि प्या, त्यों-त्यों और तीस।

उसका मतलब था कि अब चुनाव में नये-नये लड़के लड़ने लगे हैं, देश को भविष्य अब कथ जांणु, तो एक उदाहरण द्वील उं। तो वाकई जो उदाहरण उन्होंने दिया, सरकार इतना काम कर रही है।

मान्यवर, हम लोग इतना काम कर रहे हैं, लेकिन बाहर इसका मैसेज सही जाये, लोगों में इसका मैसेज सही जाये। हमारी ये पॉलिसियाँ, विरोधी लोग जो बयानबाजियाँ कर रहे हैं, उसको कैसे बन्द किया जाय? इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, जो सब लोग कहते हैं कि कड़क हैं, लेकिन हमारी माननीय सदस्या जो आगे बैठी हुई हैं माननीय आशा नौटियाल जी, वे कह रही थीं कि वे कच्चे नारियल की तरह हैं, बाहर से कठोर और अन्दर से नरम। कर दीजिए महोदय, इतना कर दिया है, बाहर आन्दोलनकारी बैठे हुए हैं, वो शिक्षा बन्धु बैठे हुए हैं, एन0टी0टी0 वाले बैठे हैं, इनको एक दफे जब आपने सब कुछ कर दिया तो इन लोगों के लिए भी, शिक्षा आचार्य बैठे हुए हैं, कर दीजिए, इसमें सबका भला है। ताकि सबके मुँह बन्द हो जाएं। इन तमाम बातों को रखते हुए पुनः आपका धन्यवाद देते हुए जय हिन्द, जय भारत, जय उत्तराखण्ड।

श्रीमती आशा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे उत्तराखण्ड के वर्ष 2008–09 के बजट पर बोलने का शुभ अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ और माननीय अध्यक्ष जी, अपना सौभाग्य समझती हूँ कि इस बजट पर जो उत्तराखण्ड के प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक समाज के लिए और उत्तराखण्ड के हर वर्ग के लिए इस बजट में जिस प्रकार का समावेश हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी जी ने किया है, मैं अपने आपको सौभाग्यशाली समझ रही हूँ कि मैं इस बजट पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ और माननीय अध्यक्ष जी, हम उत्तरखण्डवासियों का बड़ा ही सौभाग्य है कि ऐसा व्यक्तित्व जिसने देश की सीमाओं पर रह कर इस देश में रहने वाले हर नागरिक की सुरक्षा के लिए अपना पूरा जीवन इस देश की सुरक्षा में एक सैनिक के नाते लगाया। माननीय अध्यक्ष जी, अपनी सरकारी सेवा के बाद 1991 से अब तक, 1991 के बाद लोकसभा सदस्य के नाते हमारे परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस उत्तराखण्ड में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए, इस उत्तराखण्ड में रहने वाले उन महान सैनिकों के लिए और इस उत्तराखण्ड में रहने वाले उन महान सैनिकों के परिवारों के लिए इस देश की संसद में जाकर जिस प्रकार से उनकी रक्षा के लिए, उन सैनिकों के परिवारों के सम्मान के लिए जो कार्य किया। वास्तव में आज लगता है कि उत्तराखण्ड का हर व्यक्ति, उत्तराखण्ड का हर बच्चा, उत्तराखण्ड का हर नौजवान, उत्तराखण्ड की महिलाएँ उनकी आभारी हैं और अपने आपको गौरवमयी समझते हैं।

(इस समय 1 बजकर 50 मिनट पर अधिष्ठाता श्रीमती विजय बड़थ्वाल पीठासीन हुई।)

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखण्ड का इस देश की लोकसभा में और भारत वर्ष की सरकार में एक मंत्री रहते हुए, मान्यवर, मैं उत्तराखएण्ड के निवासियों के साथ–साथ अपना सौभाग्य समझती हूँ कि ऐसे व्यक्तित्व को इस देश की माननीय अटल बिहारी बाजपेयी सरकार में एक मंत्री का दायित्व मिला, तो आज उत्तराखण्ड का हर सुदूरवर्ती गाँव अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है।, जिन्होंने मंत्री का दायित्व निभाते हुए एक ऐसी महत्वपूर्ण सोच इस देश के सुदूरवर्ती उन गाँवों के लिए रखी जहाँ पर हम यातायात की सुविधा उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे। आज मैं इस सदन के माध्यम से उनको धन्यवाद देती हूँ कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत आज हमारे दूरस्थ गाँव, ढ़ाई सौ तक की जनसंख्या वाले गाँवों में प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से हमारी ग्रामीण जनता लाभान्वित हो रही है। हमारे उत्तराखण्ड का यह सौभाग्य है कि हमें ऐसा व्यक्तित्व प्राप्त हुआ।

माननीय अध्यक्ष जी, इसके अलावा इस प्रदेश को बनाने में और इस उत्तराखण्ड राज्य के लिए यहाँ की जनता ने, यहाँ के कर्मचारियों ने, यहाँ की महिलाओं ने, नवजवानों ने, मैं समझती हूँ कि हर बच्चे और वृद्धों ने जिस तरह का योगदान इस राज्य को बनाने में किया है, मैं इस बजट में देख रही थी और समझ रही थी कि उन्होंने हर एक के लिए यह बजट बनाया है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी जी का बहुत–बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, पर्यटन के क्षेत्र में मैं समझती हूँ कि जिस प्रकार से हमारे पूर्व वक्ताओं ने, सम्मानित सदस्यों ने अपनी बातें रखी, मैं सभी माननीय सदस्यों से अपने आप को सम्बद्ध करते हुए और उन्होंने जो–जो बातें रखी हैं, मैं इतना कहना चाहूँगी कि पर्यटन जो हमारी उत्तराखण्ड की संस्कृति, हमारे उत्तराखण्ड की धार्मिक विरासत को पर्यटन के क्षेत्रों के नाम पर इस उत्तराखण्ड राज्य की पहिचान को पूरे विश्व में दिखाता है। वास्तव में माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने जिस तरह से पर्यटन के क्षेत्र में यहाँ के विकास के लिए हर पर्यटन क्षेत्रों के लिए रज्जू मार्ग की स्थापना की जो योजना बनायी है, मैं इसके लिए उनका बहुत–बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही मैं यह कहना चाहती हूँ कि मेरी विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ के अन्तर्गत आता है, उसमें केदारनाथ तक मोटर मार्ग की अति आवश्यकता है। मैं सदन के माध्यम से यह आग्रह करना चाहती हूँ कि केदारनाथ तक मोटर मार्ग, जिसके लिए तमाम क्षेत्रीय जनता और यात्रियों की कई बार माँग रहती है, इसमें उसको भी सम्मिलित किया जाय।

मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि इस राज्य की जो मूल धारणा थी, इस राज्य के पीछे जो सोच यहाँ की महिलाओं की थी, उस सोच को परिलक्षित रखते हुए, उस सोच को साकार रूप में परिणित रखने के लिए, जिस प्रकार से महिलाओं को 50 प्रतिशत पंचायतों में आरक्षण की घोषणा की और उसका

विधेयक सदन में ला करके यहाँ की महिलाओं को यह संदेश दिया है कि जिस प्रकार इस राज्य को बनाने में यहाँ की महिलाओं ने सर्वस्व न्यौछावर किया, जिस प्रकार इस राज्य को बनाने में उनका बलिदान रहा है, इसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ अपनी सरकार का उन तमाम महिलाओं की तरफ से, इतनी बड़ी सोच रखकर महिलाओं को आगे बढ़ाने में उनका मार्ग प्रशस्त करने में जो भूमिका निभाई और जो योगदान दिया इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपनी सरकार का बहुत–बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपने वास्तव में यहाँ की महिलाओं को बहुत बड़ा सम्मान जो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था वह आज आपके द्वारा हुआ है, वह सम्मान हमारी सरकार के द्वारा हुआ है। अधिष्ठाता महोदया के द्वारा भी हो गया है।

माननीय अधिष्ठाता महोदया, मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि अभी रोजगार की दिशा में हमारे सदन के सदस्य बंधु कह रहे थे, मैं बहुत–बहुत आभार प्रकट करती हूँ अपनी सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योग लगाने की बात कही है। जो बात मैं समझती हूँ पिछले कई साल पहले हो जानी चाहिए थी। आज हमारे माननीय विपक्ष के सम्मानित सदस्यगण यहाँ उपस्थित नहीं हैं, वे बहुत कुछ इस सम्बन्ध में बोलते हैं लेकिन बोलना उसको चाहिए जो किसी बात को कार्यरूप में परिणित करे। हमने पिछली बार इस बात को सदन के माध्यम से सरकार के सामने रखा था कि ऐसे औद्योगिक पैकेज पर्वतीय क्षेत्रों में भी लगने चाहिए जिससे हमारे युवाओं को रोजगार मिले।

हमने कहा था यहाँ की जवानी और पानी इस राज्य के काम आनी चाहिए। यहाँ की जवानी और यहाँ का पानी, जब यहाँ पर औद्योगिक संस्थान स्थापित होंगे। हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं, वहाँ से अधिक संख्या में पलायन होकर के, उन लड़कों को रोजगार नहीं मिल पाता है और जिस कारण पलायन निरन्तर बढ़ता जा रहा है। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों में और कल एक प्रश्न के माध्यम से यहाँ सदन में एक बात आई और प्रत्येक जिलों में जिस प्रकार से छोटे, कुटीर और बड़े उद्योगों की स्थापना हो रही है उसके लिए मैं बहुत–बहुत आभार अपनी सरकार का करती हूँ और मूल रूप में जो हम बेरोजगार युवाओं को रोजगार की बात करते हैं उस बात को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने उस पलायन को रोकने के लिए और बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिले इस दिशा में जो सही सोच रखी है। मैं समझती हूँ कि पर्वतीय क्षेत्रों में, इस प्रकार के उद्योगों की स्थापना के बाद यह पलायन रूकेगा और हमारे बेरोजगार बन्धुओं को रोजगार मिलेगा।

माननीय अधिष्ठाता महोदया, जिस प्रकार का सम्मान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने महिलाओं को दिया है, चाहे वह गौरा देवी कन्या धन योजना हो, बालिका समृद्धि योजना हो या चाहे वह विधवा पेन्शन योजना हो, वृद्धा पेन्शन योजना हो, अनेकों योजना हमारी सरकार ने ग्रामीण महिलाओं के लिए जिस प्रकार से बनाई हैं। वास्तव में एक मूल रूप में इस राज्य की जो अवधारणा थी वह अवधारणा इस बजट के माध्यम से मैं समझती हूँ कि उत्तराखण्ड के हर निवासी, हर बहन, बेटी को लगेगा कि वास्तव में मेरे परिवारजनों ने, वास्तव में हमने, इस राज्य को बनाने में हमने जो संघर्ष किया उसका सही लाभ आज हमको मिल पा रहा है। इस बजट के माध्यम से मैं बहुत–बहुत बार उन विधवाओं की तरफ से और उन बेटियों की तरफ से जो इण्टरमीडिएट तक की शिक्षा ग्रहण करने के बाद या हाई स्कूल पढ़ने के बाद उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती थीं, बी0पी0एल0 श्रेणी की वे कन्याएं थीं, उनके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने जिस प्रकार से उनके लिए उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए 25 हजार की धनराशि देकर, उनको, समाज में एक अच्छी महिला बनकर रहें, उनको भी उच्च शिक्षा ग्रहण करने का लाभ मिल सके, इस प्रकार से जो योजना बनाई है उसके लिए मैं बहुत–बहुत आभार अपनी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी का करती हूँ।

माननीय अधिष्ठाता महोदया, मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए अपने सभी माननीय सदस्यों से अपने आपको पुनः सम्बद्ध करते हुए यह आग्रह करना चाहती हूँ कि इस बजट में महिलाओं को जिस प्रकार से सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, हमारी सरकार ने दिया है। मेरा यह भी आग्रह है कि प्रत्येक विकास खण्ड मुख्यालय पर बालिका इण्टर कॉलेज और मान्यवर, प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर बालिकाओं के लिए महिला पॉलिटैक्निक की स्थापना और अनेक प्रकार की योजना को इस बजट में सम्मिलित किये जाने का आग्रह करती हूँ और माननीय अधिष्ठाता महोदया जी का बहुत–बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस गौरवमयी बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपकी बहुत–बहुत आभारी हूँ।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अधिष्ठाता महोदया, आपने मुझे इस बजट भाषण के प्रति चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं इस बजट भाषण के बारे में बोलने से पहले इसको तीन चरणों में विभक्त करूँगा, पहले चरण में बजट भाषण की रूपरेखा, दूसरे चरण में जनता की समस्याएँ और उनके निराकरण हेतु सुझाव और तीसरे चरण में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक वर्ष की उपलब्धि। पहले चरण में, प्रदेश में दूसरी बार हमारी इस सरकार ने इस वर्ष 1800 करोड़ का राजस्व सरप्लस बजट प्रस्तुत करके एक सराहनीय कार्य किया है। सरप्लस बजट

बहुत ही कम सरकारों में आता है और केन्द्र में तो देखने को भी नहीं मिलता। ये पहला वक्त था जब माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार ने पहले ही सत्र में सरप्लस बजट प्रस्तुत किया और आज इसकी सीमा लगभग 18 करोड़ रुपये तक बढ़ाकर ये सिद्ध किया कि हमारा प्रदेश किस प्रकार से विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा हैं सरकार ऋण की सीमा में जो कमी लायी है सिद्ध होता है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत हो रही है। सरकार केन्द्र सरकार से पहले वर्ष 300 करोड़ रुपये से अधिक की वार्षिक योजना को स्वीकार कराने में सफल हुई थी, इस वर्ष चार हजार करोड़ से अधिक की वार्षिक योजना को अनुमोदित कर सरकार ने ये सिद्ध किया है कि राज्य विकास की ओर गतिमान है।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य में कोई नया कर नहीं लगाया। बल्कि आटा, सूजी, मैदा और दाल इन वस्तुओं पर वैट 4 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत करके व्यापार को राहत दी है। अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण में नगरी क्षेत्र में 2 प्रतिशत एवं देहाती क्षेत्र में 1 प्रतिशत स्टाम्प डयूटी कम करके आम जनता को राहत दी है तथा इसके अतिरिक्त कृषि ऋणों के स्टाम्प शुल्क में एक लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये की छूट देकर गरीब किसानों को राहत दी गयी है। नयी ऊर्जा नीति तय करके प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश कहलाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया है। पिछले एक वर्ष में पूरे प्रदेश में जितना काम हुआ हैं भले ही पिछले दिनों में प्रदेश में ऊर्जा की कमी रही है। उसका कारण पिछली सरकार के द्वारा जो दूसरे प्रदेश में या केन्द्र में हमारी ऊर्जा का जो समायोजन होना चाहिए था वह समायोजन न किया जाना था, लेकिन अब ऊर्जा के क्षेत्र में पिछले एक वर्ष में सरकार ने एक सराहनीय कार्य किया है और ऐसा प्रतीत होने लगा है कि आने वाले समय में हमारा प्रदेश ऊर्जा प्रदेश के नाम से जाना जायेगा। किसी न किसी रूप में इस बजट में शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, उद्योग और नागरिक विकास के क्षेत्र में, प्रदेश के विद्यार्थियों को, व्यापारियों को, किसानों को, मजदूरों को, उद्योगपतियों को राहत दी गयी है। यह एक ऐसा सराहनीय कदम है सरकार का। प्रदेश में हर वर्ग ने इस बजट को सुनने के बाद खुशी का इजहार किया है।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने इस बजट भाषण में नई योजनाओं को शुरू करने का इशारा किया है जैसे सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना, कर्मचारियों एवं पेंशनर हेतु कैश विहीन चिकित्सा सेवा प्रतिपूर्ति योजना, पर्वतीय क्षेत्रों के विकास हेतु विशेष एकीकृत औद्योगिक नीति प्रोत्साहन 2008 की तरफ जो इशारा किया गया है इससे सरकार का रूख भविष्य में आम जनता को राहत पहुँचाने एवं प्रदेश के चहुँमुखी विकास को प्रदर्शित करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पतित पावनी

गंगा एवं उसकी सहायक नदियों को स्वच्छ रखने के लिए 15.5 करोड़ रु0 रखा जाना सराहनीय कदम है। जहाँ मैंने इस बजट के प्रति कुछ प्रकाश डाला है, वहीं मैं, आम जनता की कुछ समस्याएँ हैं जिनकी मुझे जानकारी है, उसकी तरफ भी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। प्रदेश का बहुत बड़ा नीचे का मैदानी भाग खेती का भाग है और खेती हमारी जीविका का आधार है। खेती के क्षेत्र में यहाँ पर बसे किसानों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे प्रदेश में जहाँ–जहाँ भी चकबन्दी प्रक्रिया लागू है, उत्तर प्रदेश के समय से बहुत सारे स्थानों पर चकबन्दी के आदेश हुए और वहाँ के क्षेत्रीय लोग इसके विपरीत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में चले गए। वहाँ से स्थगन आदेश प्राप्त हो गया और चकबन्दी प्रक्रिया रोक दी गयी लगभग 20 साल बीत चुके हैं वहाँ के रेवेन्यू रिकार्ड अभी तक चकबन्दी कर्मचारियों और अधिकारियों के पास हैं।

रेवेन्यू रिकार्ड पुनः तहसील में न जाने के कारण वहाँ के लोगों को चकबन्दी विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को ढूँढने में बड़ी असुविधा होती है और उनकी जो रेवेन्यू रिकार्ड में जो नयी एन्ट्रियाँ होनी चाहिए वो एन्ट्रियाँ नहीं हो पा रही है। जिस वजह से लगभग 20 साल से रेवेन्यू रिकार्ड पिछड़ रहा है। इसके लिए, मेरा यह सुझाव है कि एक बार प्रदेश में चकबन्दी प्रक्रिया को रोककर, क्योंकि प्रदेश में बन्दोबस्त हुए बड़ा लम्बा समय बीत चुका है और चकबन्दी प्रक्रिया होने से पहले बन्दोबस्त का किया जाना अति आवश्यक होता है। बन्दोबस्त एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे चकबन्दी के सामने आने वाली सैकड़ों समस्याओं का समाधान बन्दोबस्त प्रक्रिया के माध्यम से निकल जाता है और चकबन्दी सुविधापूर्वक हो जाती है। मेरा यह सुझाव है कि प्रदेश में अभी बन्दोबस्त कराया जाए और जिस चरणबद्ध तरीके से बन्दोबस्त पूरा हो उसी चरणबद्ध तरीके से चकबन्दी प्रक्रिया कराई जाए।

मान्यवर, बहुत सारी अराजी, किसानों के कब्जे काश्त में बड़े लम्बे समय से ऐसी अराजी है जिस पर उनका नाम भूमिधरी में अंकित न होकर वर्ग–4 में अंकित है, वर्ग–4 का अर्थ सरकारी भूमि पर किसान का लम्बा कब्जा, काश्त होना है। ऐसे किसान जो कई दशकों से जमीन के कब्जे काश्त में हैं, जिसके लिए कई बार उत्तर प्रदेश के समय में भी भूमिधरी का अधिकार देने की चर्चा हुई, वार्तायें हुई और अब भी हमारे उत्तराखण्ड शासन के सामने समस्या खड़ी हुई है। पूर्व सरकार ने इसके ऊपर थोड़ा सर्वेक्षण करके वर्ग–4 के नियमितीकरण के प्रति जो आदेश पारित किया उन आदेशों से और समस्या उलझ गई और किसानों का विनियमितीकरण करने का जो महत्व था, लक्ष्य था वह समाप्त हो गया और तहसीलों के अधिकारियों के द्वारा किसानों को विनियमितीकरण कराए जाने हेतु बुलाये जाने पर भी किसान नहीं आये और यह समस्या ज्यों की त्यों खड़ी है, कारण पिछली सरकार ने इसके नवीनीकरण

के प्रति जो किसानों से मुआवजा मांगा, वह आज के भूमि के सर्किल रेट से कई गुना अधिक है। अधिक मुआवजा देने के लिए किसान सक्षम नहीं हैं कि वह अपनी अराजी का अपने नाम विनियमितीकरण करा सकें।

मान्यवर, मेरा सुझाव है कि वर्ग–4 की इस समस्या के प्रति समाधान हो। मान्यवर, नजूल भूमि हमारे प्रदेश में बड़ी ही संख्या में शहरी क्षेत्र में उपलब्ध है, जहाँ पर कई सारे लोग, कई दशकों से कब्जे में हैं, उनके मकान बन चुके हैं, रिहायशी मकान हैं, दादा–परदादा से वो वहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन नजूल भूमि होने के कारण उनका स्वामित्व उनके ऊपर नहीं है। मान्यवर, नजूल भूमि और वर्ग–4 की इन समस्याओं के लिए सरकार द्वारा एक समिति का गठन करके इनका समाधान कराया जाना अति आवश्यक है।

मान्यवर, प्रदेश के मैदानी भाग में विशेष तौर पर जिला ऊधमसिंह नगर में बौर डैम, नानक सागर डैम और तोमड़िया डैम, ये ऐसे बड़े–बड़े जलाशय हैं जिन जलाशयों को बनाने के लिए वन भूमि का प्रयोग किया गया था और उस समय वन भूमि रेवेन्यू रिकार्ड में सिंचाई विभाग के नाम स्थानान्तरित करने के आदेश हुये। मान्यवर, बहुत सारी भूमि ऐसी है, विशेषतर तोमड़िया डैम में, जो वन विभाग द्वारा सिंचाई विभाग को स्थानान्तरित हुई तो सिंचाई विभाग ने फिर वन विभाग को दी, वन विभाग ने पुनः सिंचाई विभाग को लिखा और आज ऐसा क्षेत्र वहाँ पर है जो न सिंचाई विभाग के रिकॉर्ड में है और न रेवेन्यू विभाग के रिकॉर्ड में है और वन विभाग ने अपना अस्तित्व समाप्त कर दिया है, हजारों छोटे–छोटे किसान दशकों से खेती कर रहे हैं, वो किसान भूमिधरी का अधिकार चाहते हैं, सरकार को रेवेन्यू देना चाहते हैं, लेकिन बड़े दु:ख की बात है कि न तो उनके ऊपर रेवेन्यू लगाया जा रहा है और न ही सरकार रेवेन्यू लेना चाहती है, और न उन्हें किसी प्रकार का भूमिधरी का अधिकार अब तक देने के लिए सरकार तैयार हुई है, यह उनकी बड़ी भारी समस्या है और रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज न होने के कारण सरकारी अधिकारी और कर्मचारी जो वहाँ पर हैं उस भूमि को अपनी भूमि मानते हैं और उनके द्वारा उन गरीब किसानों का निचोड़न और उत्पीड़न बहुत बुरी तरह से हो रहा है, उन किसानों की अब तक कोई सनुवाई नहीं हुई। इस बारे में मैं सरकार को निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसी भूमि चाहे वह तोमड़िया डैम में है, चाहे वह बोर डैम में है, या नानक सागर के ऊपरी हिस्सों में हो, ऐसी भूमि का सर्वेक्षण होना चाहिए और रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसका अंकन होना चाहिए और दशकों से बैठे किसानों को भूमिध ारी का अधिकार देते हुए, उनके नाम से रेवेन्यू अंकित होना चाहिए।

मान्यवर, एक बहुत बड़ी समस्या प्रदेश में धरती में जल का स्तर नीचे जाने की है। धीरे–धीरे जल स्तर नीचे जाने की वजह से आने वाले समय में सिंचाई के क्षेत्र में और पेयजल के क्षेत्र में, दोनों ही क्षेत्रों में बहुत बड़ी समस्या आने की हैं

इसकी तरफ शासन का ध्यान दिलाते हुए मैंने अपनी कई विदेश यात्राओं में इसके समाधान के प्रति देखा है कि कई देशों ने सिंचाई का साधन ट्यूबवेलों से सीधे न बना करके, स्प्रिंकल सिस्टम के ऊपर आधारित किया है और इस सिस्टम से जहाँ खेती के लिए बहुत ही कम पानी की आवश्यकता पड़ती है वहाँ पर इस स्प्रिंकल सिस्टम से पानी, क्योंकि पौधे के ऊपर से पड़ता है, इससे उसकी उपज भी काफी अधिक हो जाती है। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि पूर्व में उत्तर प्रदेश के शासन काल में स्प्रिंकल सिस्टम जो किसान अपनाते थे इसके संयत्रों के ऊपर सरकार सब्सिडी दिया करती थी। उस समय इसका थोड़ा–थोड़ा प्रचलन किसानों में चला था, लेकिन अब जब से उत्तराखण्ड बना है, यह सब्सिडी बन्द हो गयी और किसानों का इस तरफ ध्यान भी हट गया और उसका प्रचलन बन्द होता जा रहा है और ऐसा प्रचलन न चलने से मैं यह समझता हूँ कि आने वाले समय में धीरे–धीरे पानी का जो लेवल है, वह धरती के निचले हिस्से में जाते–जाते यह पेयजल और सिंचाई की जो समस्याएं हैं, वह हमारे सामने विराट रूप में बनेगी।

मान्यवर, पिछड़ी जातियाँ प्रदेश में जैसे शिड्यूल कास्ट, थारू जाति, बुक्सा जाति इन जातियों की भूमिधरी की अराजी पर पिछले बहुत लम्बे समय से इसके हस्तान्तरण पर रोक लगी हुई है। मान्यवर, यह रोक होने से यह गरीब लोग अपनी जीविका की जरूरतों को पूरा करने से वंचित हैं और जब इनको कोई जीविका की मजबूरी आती है तो उस समय ये उस अराजी को, क्योंकि हस्तान्तरित नहीं हो सकती है, इसलिए ओने–पोने दामों में दूसरे किसानों को बेच देते हैं और उनको जो अपनी भूमि का उचित मूल्य मिलना चाहिए, नहीं मिल पाता और, जिससे वह चाहे उसकी बेटी की शादी हो या कोई स्वास्थ्य सम्बन्धी ऐसी समस्या हो, जिसके प्रति उसे धन की आवश्यकता हो, उसकी उपलब्धि उसे न हो रही हो तो ऐसे समय में वह किसान अपनी भूमि को अपना धन समझता है और उसका उपयोग करना चाहता है। मान्यवर, ऐसे किसानों को जब उनकी भूमि के हस्तान्तरण पर रोके लगी होने से, उनकी भूमि का उचित मूल्य न मिलना उनके साथ बड़ा भारी अन्याय है। मैं सरकार का ध्यान इसकी तरफ भी दिलाते हुए, इस रोक को हटाये जाने के लिए सुझाव दूँगा और इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि कोई एक ऐसी उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाय। जिससे आने वाले समय में अध्ययन करते हुए इस समस्या का समाधान निकाला जाय।

मान्यवर, हमारा पर्वतीय क्षेत्र मौसम के लिहाज से कुदरत की एक देन है, यह इतनी बड़ी देन है कि हमारे प्रदेश में हर–एक ट्रैम्प्रेचर साल के 12 महीने में हर समय उपलब्ध है। जहाँ बर्फीले पहाड़ हमारे पास हैं, वहीं हर ट्रैम्प्रेचर बदलते–बदलते 12 महीने में हमें उपलब्ध हैं और इसका लाभ हमें मास्टर प्लान के रूप में, पर्वतीय

क्षेत्रों का मौसमी मास्टर प्लान बनाकर समय–समय पर वहाँ पर सब्जियों एवं फलों का बेमौसमी उत्पादन करके, उसका एक्सपोर्ट करके उठाना चाहिए। हमें इस प्रदेश को फलों के रूप में, सब्जियों के रूप में स्वावलम्बी बनाना होगा। इसके लिए मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि हमारे पड़ोसी प्रदेश, हिमाचल प्रदेश ने इसके ऊपर बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने मौसमी मास्टर प्लान बनाया और मटर, गोभी, आलू, बैंगन, टमाटर, ऐसी सब्जियाँ, जिनकी आज पूरे देश में बड़ी माँग है, उन सब्जियों का वे हर टैम्प्रेचर में, हर मौसम में, 12 महीने उत्पादन कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसका हमें भी संज्ञान में लेना चाहिए। इसके लिए हमारी सरकार एक मास्टर प्लान बनाए, जिससे हमारे फलों की और सब्जियों की उत्पादकता 12 महीने बने और हमारा प्रदेश उनको एक्सपोर्ट करके लाभान्वित हो।

हमारा चीनी का उद्योग धीरे–धीरे पंगु होता चला जा रहा है। आज तक हमारा जो गन्ने का क्षेत्र था, साथ में लगा उत्तर प्रदेश का क्षेत्र उसमें सम्मिलित था। आज उत्तर प्रदेश में हमारी बाउण्ड्री के ऊपर बड़ी–बड़ी शुगर मिलें लगा दी गयी हैं और उन शुगर मिलों के लगने से आने वाले समय में हमारे प्रदेश को उत्तर प्रदेश से गन्ना मिलने की कोई भी सम्भावना नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारे प्रदेश की शुगर मिलें आने वाले समय में गन्ने के अभाव में पैराइलाईज हो जाएंगी और हमारा प्रदेश चीनी के उत्पादन में पिछड़ेगा। मुझे सरकार को यह भी सुझाव देना है कि इसके प्रति प्रदेश के किसानों को प्रोत्साहित किया जाय, गन्ने का उत्पादन बढ़ाया जाय और ऐसी जातियां और प्रजातियां गन्ने की यहाँ पर लायी जाएं, जिनसे किसान प्रति एकड़ गन्ने का उत्पादन बढ़ा सके।

मैं अपने प्रदेश की नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के बढ़ रहे और बढ़ चुके आकार की तरफ भी सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा क्योंकि नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं का पिछले लम्बे समय से परिसीमन न होने के कारण उनके आकार बहुत बड़े हो चुके हैं, आबादी बहुत बढ़ चुकी है और अभी तक वहाँ पर पेयजल और सीवरेज की व्यवस्था नहीं हैं जो पहले का सिस्टम था, वह अभी तक लागू है इसलिए न तो प्रकाश की उपलब्धता है और न सीवरेज की सुविधा है। साथ ही पेयजल की भारी समस्या बढ़ती चली जा रही हैं मैं सरकार का ध्यान इसकी तरफ दिलाना चाहूँगा कि सफाई व्यवस्था के प्रति पिछली सरकार के द्वारा जो एक कमेटी सिस्टम बनाया गया था, उसमें भी सफलता प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए बढ़ रही आबादी और नगर पालिकाओं व नगर पंचायतों के बढ़ रहे आकार को ध्यान में रखते हुए हमें प्रकाश व्यवस्था,सीरवेज व्यवस्था और पेयजल व्यवस्था की तरफ विशेष तौर पर ध्यान देना होगा।

एक समस्या हमारे प्रदेश के मैदानी भाग में झुग्गी–झोपड़ी वालों की हैं हमारे बहुत बड़े ग्रामीण क्षेत्र छप्परों में हैं जिनको झुग्गी–झोपड़ी कहा जाता है, उनमें उनका निवास है। बड़े–बड़े गाँव हैं, जिनमें पक्का मकान अभी तक है ही नहीं, वहाँ सारी झुग्गी–झोपड़ियाँ ही हैं। वहाँ पर गर्मियों के दिनों में किसी न किसी कारण से जब किसी गाँव में आग लग जाती है तो वहाँ पर कई घर जल कर भस्म हो जाते हैं। इसके लिए दैवीय आपदा कोष से सहायता प्रदान करने का प्राविधान नहीं है, क्योंकि इसको दैवीय आपदा माना ही नहीं जाता। कहते हैं, दैवीय आपदा वो है, जो देवी की तरफ से हो, परमात्मा की तरफ से हो और यह जो आग लगती है, यह परमात्मा नहीं लगाता, इसलिए यह दैवीय आपदा में कवर नहीं होती और जब एक घर जलता है, तो उससे दसियों घर जल जाते हैं, बीसियों घर जल जाते हैं, उसको आपदा का रूप न मानते हुए हमारे बजट में इसके लिए कोई भी प्राविधान, उनको किसी भी तरह का मुआवजा दिये जाने का नहीं है। मैं सरकार का ध्यान इसकी ओर आकृष्ट करना चाहूँगा कि यह मैदानी क्षेत्रों में बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे गरीब लोग जिनकी झुग्गी–झोपड़ी में आग लगती है, उनको मुआवजा दिये जाने के लिए बजट में प्रावधान किया जाना उचित होगा।

मान्यवर, मैं थोड़ा ध्यान औद्योगिक विकास की तरफ भी लाना चाहता हूँ, यह सर्वविदित है कि हमारे प्रदेश में नेपाल की सीमाओं की तरफ से माओवाद धीरे–धीरे पैर पसार रहा है और इस माओवाद का प्रभाव हमारे औद्योगिक क्षेत्रों में दाखिला ले रहा है। आतंकवाद और माओवाद से जहाँ हमें अपने उद्योगों को सुरक्षा देनी होगी, वहीं दूसरी ओर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो हमारी प्रदेश में सड़कें हैं, उनका चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण करना भी अति आवश्यक है। यह तराई का क्षेत्र जिसमें जल स्तर थोड़ा ऊपर होने की वजह से सड़कों के मानक इस तरह से बनाये जाने चाहिए कि हैवी लोड ट्रांसपोर्टेशन होने की वजह से वह सड़कें बैठे नहीं और बार–बार सड़कों को बनाये जाने की आवश्यकता महसूस न हो। इसके साथ ही मैं सरकार का ध्यान एक्सपोर्ट ओरियंटेड उद्योगों की मंदी की ओर भी ले जाना चाहता हूँ, इस समय एक्सपोर्ट ओरियंटेड उद्योग बहुत मंदी के दौर से गुजर रहे हैं, इसके लिए हमारा प्रदेश तो कुछ नहीं कर सकता लेकिन प्रदेश को केन्द्र पर दबाव बनाना चाहिए, जिससे एक्सपोर्ट ओरियंटेड उद्योगों का जो उत्पादन है, उसमें जो मंदी आई है, यह उद्योग बैठने के कगार पर हैं, उससे उनको बचाया जा सके।

मान्यवर, पर्यटक स्थलों को चिन्हित किया जाना बहुत आवश्यक है। हमारे प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में बहुत गुंजाइश है, अगर हम पर्यटक स्थलों को चिन्हित करके आगे बढ़ेंगे तो अच्छा होगा, यदि इन जगहों को चिन्हित नहीं किया जायेगा तो हम अनियमित विकास की ओर चले जायेंगे। इसलिए इन स्थलों को चिन्हित करने

की बहुत आवश्यकता हैं प्रदेश के संतुलित विकास के लिए एक अहम सुझाव मैं सरकार के समक्ष रखना चाहता हूँ, जहाँ हमें कानून व्यवस्था में सुधार और संतुलित विकास की अति आवश्यकता है, इसके लिए क्योंकि हमारा प्रदेश मात्र दो मण्डलों में विभक्त है, एक कुमायूँ मण्डल और दूसरा गढ़वाल मण्डल। लेकिन अब चूंकि यह प्रदेश एक ऐसा प्रदेश बन चुका है, जिसमें पर्वतीय भू–भाग के साथ–साथ एक बहुत बड़ा मैदानी भू–भाग भी इसका अंग बन गया है। इसलिये जब तक तराई और भाबर को मिलाकर इसका तीसरा तराई मण्डल नहीं बनाया गया, तब तक मैं नहीं समझता कि तराई और भाबर के क्षेत्र को विकास के क्षेत्र में न्याय मिलेगा और न ही जो यहाँ की कानून व्यवस्था है, उसमें सुधार हो पायेगा।

जहाँ इस नए मण्डल का निर्माण होना आवश्यक है वहाँ काशीपुर सहित जो वांछित जिले हैं, तहसीलें हैं, कोतवालियां हैं, इनका और गठन किया जाना अति आवश्यक है। इनका गठन होने पर हमारा विकास भी संतुलित होगा और कानून व्यवस्था में प्रदेश सरकार की जो पकड़ है, वह मजबूत होगी। एक्जाम्पल के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ कि देश में जो भी छोटे–छोटे प्रदेश बने हैं, उन राज्यों को आप देख लीजिये, हर राज्य ने अपना प्रशासनिक परिसीमन समय–समय पर किया है और नये मण्डलों, जिलों और तहसीलों का नये सिरे से परिसीमन करके अपनी कानून व्यवस्था को मजबूत किया है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय चीमा जी, कृपया संक्षेप करें।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, मैं अपनी इस सरकार के इस एक वर्ष के कार्यकाल में जो सफलताएं हुई हैं, उन पर प्रकाश डालना चाहूँगा। एक साल के समय में, विशेष तौर पर प्रशासनिक तंत्र में बहुत बड़ा सुधार आना, वित्तीय अनुशासन होना, जमीनों की गलत खरीद–फरोख्त पर पाबंदी लगना और उनके रेट कम होने की वजह से मध्यम और गरीब वर्ग को आवासीय स्थलों की खरीद का अवसर मिलना, विकास के कार्य मानकों के अनुरूप होना है। हमारे क्षेत्र में कई बार लोग यह कहते थे कि साहब, जब यह सरकार अभी अस्तित्व में नहीं आयी थी और कांग्रेस का जाने का समय बन रहा था तो सड़कों पर आवाज बहुत आती थी। मैंने पूछा कि कैसी आवाज आती थी तो कहते थे कि बहुत पत्थर गिरता था, खड़–खड़, खड़–खड़, की आवाज आया करती थी। अब वो आवाज आनी बन्द हो गयी है। क्या विकास बन्द हो गया है? तो मैं उत्तर देता हूँ कि विकास नहीं बन्द हुआ उस समय पत्थर बिना डामर के पड़ा करता था अब जब बिना डामर के पत्थर पड़ेगा तो उसमें खड़–खड़ की आवाज

आयेगी। अब पत्थर के साथ डामर पड़ेगा, सीमेन्ट पड़ेगा, मसाला पड़ेगा, मानकों के अनुरूप काम होगा तो उसमें आवाज आ ही नहीं सकती। रिश्वतखोरी, कमीशनखोरी का स्तर प्रदेश में नीचे आया है पर्वतीय क्षेत्र से जो पलायन की बात कही जा रही है, मैं इसके ऊपर जरूर एक बात कहना चाहूँ कि सही मायनों में पलायन उल्टा हो चुका है। पहले पर्वतीय क्षेत्र से पलायन बाहर की तरफ होता था अगर कोई हमारा पर्वतीय भाई दिल्ली में नौकरी करता था तो नौकरी पूरी होने के बाद (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

चर्चा आगे जारी रहेगी भोजनावकाश के बाद।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, वह दिल्ली में ही बसना ठीक समझता था, पंजाब में नौकरी करता हुआ आदमी पंजाब में बसना ठीक समझता था, हरियाणा का हरियाणा में, लेकिन आज आप देखिए सर्विस पूरी होने के बाद हमेशा हमारा पर्वतीय साथी वह अगर दिल्ली में सर्विस पूरी करता है तो वह तराई में आता है, पंजाब में पूरी करता है तो उत्तराखण्ड में वापस आता है और वापस अपने घर में आकर बसता है। यह पलायन उल्टा है। यह एक अच्छा निशान है कि हमारे प्रदेश के लोगों में आत्मविश्वास बढ़ा है और अपने घर में आना, वापस आना यह पलायन नहीं, यह घर को वापसी है हमारे पर्वतीय भाईयों की। महिलाओं को सशक्त करने हेतु महिला के नाम पर खरीदी गई सम्पत्ति के ऊपर स्टाम्प शुल्क 50 प्रतिशत किया जाना, किसी भी व्यक्ति के मरणोपरान्त विरासत में सम्बन्धित आदमी की सम्पत्ति पर महिला का भी अधिकार होना यह दो बड़े चिन्ह हैं जिससे हमारे प्रदेश में महिलाओं का सशक्तीकरण हुआ है। मैं अन्त में सारे सुझावों के साथ, अपने विचारों के साथ आज के इस बजट के प्रति अन्तिम लाईन यह कहना चाहूँगा कि लोग काफी समय से इस बजट की तरफ ध्यान लगाये हुए थे कि हमारे प्रदेश का बजट कैसा आयेगा और विपक्षी विशेष तौर से इस सोच में बैठे थे कि कब यह बजट आये और कब हमें बोलने का, कुछ उफान निकालने का मौका मिले। धन्यवादी है हमारी सरकार, धन्यवादी हैं हमारे मुख्यमंत्री कि उन्होंने ऐसा बजट प्रस्तुत किया है कि यह विपक्ष का मुंह चुप तो क्या होना था, वह तो अपने यहां से बर्तन–भांडे उठाकर कहीं बाहर भाग गये हैं। प्रदेश में आज जहां से भी आवाज आई है वहां इस जम्बों बजट की पूरे प्रदेश में प्रशंसा हुई है। इसके लिए मैं आभारी हूँ अपने मुख्यमंत्री का, अपनी सरकार का और विशेष तौर पर हमारे अध्यक्ष जी का, जिन्होंने मुझे अपने विचारों को रखने का अवसर दिया है। धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता–

वित्तीय वर्ष 2008–2009 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा जारी रहेगी।

अब हम अपराह्न 3:00 बजे तक के लिए उठते हैं।

(भोजनावकाश)

(सदन की कार्यवाही अपराह्न 3:00 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में आरम्भ हुई।)

सिंचाई एवं पेयजल मंत्री (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे वर्ष 2008–09 के बजट पर चर्चा में भाग लेने का सुअवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट सदन में पेश किया है यह बजट विकासोन्मुखी है अर्थात हमारे उत्तरांचल प्रदेश का चहुँमुखी विकास होगा। रोजगार के अवसर हमारे बेरोजगार भाईयों व बहनों को मिलेगा और बजट में नया चिन्तन, नया नियोजन और नई दिशा का समावेश किया गया है।

श्री अध्यक्ष–

पढ़ना नहीं है। भाषण दें। (हँसी)

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इसलिए बधाई दे रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी सरप्लस बजट प्रस्तुत किया। इस वर्ष भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरप्लस बजट प्रस्तुत किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह प्रयास किया कि ऋण लेने के बजाए हम अपनी आय में वृद्धि करें। जैसे खनन से, आबकारी से व वाणिज्य से और परिवहन से इनकम में वृद्धि करके मुख्यमंत्री जी ने ऋण को कम करने का प्रयास किया है। पहले की सरकार का मत था कि 'यावत् जीवेंत् सुखम् जीवेत, ऋणम् कृत्वा घृतम् पीवेत्' अर्थात ऋण लेते जाओ और घी पीते जाओ। पिछली सरकार ने 18 हजार करोड़ का कर्ज लिया हालांकि कहीं–कहीं पर 16 हजार करोड़ भी कहते हैं मगर मैं कहता हूँ कि 18 हजार करोड़ के कर्जे की देनदारी पिछली सरकार ने हमारे ऊपर छोड़ी थी और इस समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर्ज कम लेना और आय के साधन में वृद्धि करने का पूरा प्रयास किया। उनका सदैव यह प्रयास रहता है कि हम किस प्रकार से पैसे का सदुपयोग करें, मितव्ययिता की ओर ध्यान दें। इसके लिए उनके द्वारा जो प्रयास किये गये उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ।

मान्यवर, जहाँ हमारी सरकार ने ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून में भारी उद्योग को लगाने का प्रयास किया उसी प्रकार से, विगत सरकार ने उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं पर भी कोई उद्योग धन्धा लगाने का कोई प्रयास नहीं किया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में लघु उद्योग, कुटीर उद्योग धन्धे लगाने के लिए विशेष पैकेज देने की नीति बनाई है। इससे पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन काफी हद तक रूकेगा और इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी ने जो संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना करने का संकल्प लिया और इसके लिए एक अलग विभाग बनाने का संकल्प लिया अर्थात संस्कृत भाषा को एक पृथक से संस्कृत शिक्षा निदेशालय का गठन करने का जो संकल्प लिया यह अपने–आप में एक महत्वपूर्ण कदम है। मान्यवर, संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है जिसमें ज्ञान भरा पड़ा रहता है।

मान्यवर, अगर ज्ञान का सागर, किसी भाषा में ज्ञान मिलता है वह संस्कृत भाषा में है। संस्कृत भाषा को महत्व देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही सराहनीय कदम उठाये, इसके साथ–साथ मुख्यमंत्री जी ने नया कर कोई नहीं लगाया उससे राहत दी। हमारे व्यापारी भी खुश हैं और इसके साथ–साथ उद्योगपति भी खुश हैं और किसान भी खुश हैं। आटा, मैदा, सूजी और दाल में जो वैट 04 प्रतिशत से घटाकर 01 प्रतिशत किया। मान्यवर, इसका अच्छा प्रभाव होगा कि महंगाई कम होगी और आम जनता को राहत मिलेगी अर्थात माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह प्रयास किया कि आज जनता को राहत मिले, इस प्रकार का बजट कभी किसी सरकार ने सदन में नहीं रखा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने केविल और टी0वी0 में जो 30 प्रतिशत की कमी की, इसकी भी काफी प्रशंसा जनता द्वारा की गयी है और कृषि ऋण में भी तीन लाख तक की जो स्टाम्प शुल्क में छूट दी इससे कृषकों को लाभ मिलेगा। इस बजट में कृषकों को फायदा दिया गया। हमारे अल्पसंख्यक हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए बजट में प्राविधान किया गया है। महिलाओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण योजनाएँ बनाई गई, निःशुल्क गैस की व्यवस्था की है। विद्युत क्षेत्र में, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि मनेरी भाली विद्युत परियोजना, जो लम्बे समय से पूर्ण नहीं हो पा रही थी।

माननीय मंख्यमंत्री जी के प्रयास से वहाँ पर विद्युत का उत्पादन होने लग गया है और यह भी संकल्प लिया है कि वर्ष 2009 तक प्रत्येक घर में बिजली देंगे। इसके साथ–साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का ये ऐतिहासिक कदम है, पेयजल में, जिस प्रकार से पेयजल का संरक्षण कर सकते हैं, संचय कर सकते हैं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में उत्तराखपण्ड जल संरक्षण संवर्द्धन मिशन 2007 की स्थापना की गयी है। इस मिशन के अन्तर्गत प्राकृतिक स्रोत से जो पानी बहता है, उसका संचय करेंगे और इससे बैलेंस बना रहेगा। जो पानी का अभाव है वहां पर हम जनता को पानी पीने के लिए उपलब्ध करायेंगे। इस मिशन के अन्तर्गत यह भी

निश्चय किया है कि जो वर्ष 2007 का जल संरक्षण मिशन है कि इसमें सभी 10 विभाग जैसे कृषि, पेयजल, जलागम, उद्यान और सिंचाई आदि सब मिलकर एक ऐसी योजना बनायेंगे जिससे सघन वृक्ष रोपड़ करेंगे, ऐसे पेड़ जो पेड़ वर्षाकाल में अपनी जड़ों में पानी का संचय करते हैं और धीरे–धीरे उसको छोड़ते हैं ताकि हमारे प्राकृतिक स्रोत रिचार्ज हो सके। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ऐसा नियोजन किया कि हम कन्डयूट बनायेंगे, चैक डैम बनायेंगे और उससे पानी को रोकेंगे। अर्थात हमारा उद्देश्य है कि अपने क्षेत्र में जो पानी हमारा फालतू बह रहा है, उसका हम संचय करेंगे और उस संचय से हम पीने का पानी और साथ ही साथ हम सिंचाई के लिए पानी की सुविधा देंगे।

मान्यवर, हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि 'जल संचय जीवन संचय' के नारे को साकार करते हुए 2012 तक हम प्रत्येक ग्रामवासी को और गाँव को पानी देंगे, प्रत्येक परिवार को स्वच्छ और पर्याप्त पानी देंगे। इसके साथ–साथ सिंचाई में हमने कई जगहों पर नलकूप बनाये, लघु डाल योजनाएं बनाई और कहीं नहरों का निर्माण किया। उद्देश्य हमारा यह है कि सिंचाई बढ़ाओ और खुशहाली लाओ। अर्थात सिंचाई बढ़ाकर हम अपने कृषकों को समृद्धशाली बना सकते हैं। यदि किसान समृद्धिशाली होगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार हम बहुउद्देशीय योजनाओं का निर्माण कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है यह जानकारी देते हुए कि जमरानी बांध योजना की हमने डी०पी०आर० बना दी है और इसके साथ–साथ सौंग नदी पर जो जलाशय बनना है उसका डी०पी०आर० बनाने की कार्यवाही गतिमान है। इस बहुउद्देशीय योजना को बना करके हम पर्यटन को बढ़ावा देना चाहते हैं, मत्स्य पालन को बढ़ावा देंगे और पर्यटन स्थल बनायेंगे और साथ ही साथ पीने के पानी के साथ–साथ सिंचाई का पानी इन बहुउद्देशीय योजनाओं से देंगे और इसके साथ हम कुछ योजनाओं में जैसे जमरानी बांध में सौंग बांध बना करके हम बिजली उत्पादन करना चाहते हैं। मेरा कहना है कि हमारी सरकार की योजना तो एक है इसके उद्देश्य पाँच हैं, तो हम एक योजना के माध्यम से पाँच योजनाओं का जनता को लाभ पहुँचाना चाहते हैं। मेरा यह कहना है कि यह पहली सरकार है जिसने यह संकल्प लिया है कि बहुउद्देशीय योजनाओं का निर्माण करके उत्तरांचल की जनता का हम चौहुमुखी विकास करना चाहते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी करों में थोड़ा–थोड़ा कटौती करके जनता को यह एहसास दिलाया है कि यह सरकार जनता की सरकार, जनता की द्वार वाली सरकार है।

मान्यवर, जनता की पीड़ा को हम भली प्रकार से समझते हैं और जनता के हितों के लिए हमारी सरकार काम करना चाहती है उसी प्रकार का बजट हमारे

माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ, ढेर सारी बधाई देता हूँ कि इस बजट से हमारे प्रांत का चौहुँमुखी विकास होगा, बेरोजगारी दूर होगी, रोजगार बढ़ेगा। पलायन रूकेगा और इसके साथ-साथ हमारी कृषि का विकास होगा और जब चारों तरफ हमारा विकास होगा तो हमारा यह प्रदेश जो मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि हम इस प्रदेश को समृद्धशाली प्रदेश बनाना चाहते हैं, विकसित प्रदेश बनाना चाहते हैं और उत्तरांचल की संस्कृति के अनुरूप इस प्रदेश को चलाना चाहते हैं तो मान्यवर, मैं इस बजट का समर्थन करता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे 2008–09 के आय–व्ययक पर बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आभारी हूँ, आपको धन्यवाद देती हूँ। मान्यवर, उत्तराखण्ड पर्वतीय राज्य गठन की जो मूल अवधारणा थी। विशेषकर तीन बातों पर केन्द्रित था, यहाँ की जनता की सोच थी कि हमारा जो इस पर्वतीय प्रदेश का विकास नहीं हो रहा है, महिलाओं की जो इस प्रांत के निर्माण के लिए भागीदारी है, उनमें महिलाओं का विकास, उनका सशक्तीकरण और आर्थिक सबलता का प्रश्न था, और बड़ी मात्रा में पर्वतीय जिलों से हो रहे पलायन का, इसी अवधारणा के तहत राज्य गठन हुआ था और पहली बार 2007–08 का माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो बजट इस सदन में पेश किया गया उस बजट ने उस मूल अवधारणा को साकार किया और महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए जो प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुदृढ राज्य की नींव का शिलान्यास किया है, पिछले 2007–08 में भी बजट सरप्लस के रूप में पेश किया गया था और दूसरी बार फिर राजस्व सरप्लस बजट यहाँ पर पेश किया गया है।

मान्यवर, सरप्लस को और अधिक बढ़ाकर इस बजट में रु0 1106.71 करोड़ से बढ़ाकर रु0 1794.03 करोड़ तक ले जाने का जो लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में रखा है। मान्यवर, किस तरह से इस बजट को रखा गया है वह मुख्य रूप से समझने की बात है। इसी तरह इसके सापेक्ष में जो वर्तमान वर्ष में कुल 1695.74 करोड़ के ऋण के सापेक्ष अगले वित्तीय वर्ष में लगभग रुपये 3 सौ करोड़ कम अर्थात् 1395.58 करोड़ रुपये का ऋण लिया जाना प्रस्तावित है, इस तरह हम राज्य के सकल घरेलू उत्पाद से ऋणग्रस्तता के अनुपात को निरंतर कम किये जाने की ओर अग्रसर हैं। मान्यवर, यह बहुत अच्छा संकेत है इस राज्य के लिए, इस नये राज्य के लिए है, वह माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में दिया। मान्यवर, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी बढ़ा–चढ़ा के घोषणाओं के आधार पर, वही इस बजट को उस सुदूर व्यक्ति की अवधारणा के अनुरूप जो अन्तिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति है,

जो कई वर्षों से स्वतंत्रता प्राप्ति के 60 वर्षों तक इस इंतजार में था कि उस अन्तिम व्यक्ति का विकास होगा, उन पर्वतीय जिलों का और महिलाओं का और बेरोजगार लोगों का विकास होगा, यही अवधारणा इस बजट में झलकती है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देती हूँ, उनका आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने आम व्यक्ति के लिए इस बजट को प्रस्तुत किया है। मान्यवर, समस्त लोगों को, चाहे वो व्यापारी वर्ग हों, चाहे महिलायें हैं, चाहे छात्र–छात्रायें हैं, चाहे बेरोजगार नवयुवक या नवयुवतियाँ हैं, उनके लिए यह बजट बहुत खुशहाली लिए हुए बजट है।

मान्यवर, सर्वप्रथम मैं कहूँगी कि 2008–09 का 12441 करोड़ रुपये का सरप्लस बजट है और इसमें जो मुख्य बात है कि एक जेण्डर बजट को पिछले वर्ष 333 करोड़ से बढ़ाकर इस जेण्डर बजट को 656 करोड़ का बनाया गया है। 656 करोड़ रुपये दुगना बजट है और इसमें 20 विभागों की योजनायें इस बजट से होंगी, जिसमें कि महिलाओं का विशेष ध्यान दिया गया है क्योंकि इस राज्य के गठन में महिलाओं ने जो योगदान दिया है उस को भुलाया नहीं जा सकता और उनके लिए इस तरह से अलग बजट की व्यवस्था की और इसके माध्यम से कोई भी महिला विकास से अछूती न रह जाए, ऐसी व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है।

मान्यवर, इस बजट में बिना किसी नये कर को लगाये हुए इस बजट को पेश किया है, जो कि सराहनीय कदम है। मान्यवर, इस प्रदेश में जल का संकट है और पूर्ण मात्रा में प्रत्येक व्यक्ति को जल मिले। उसके लिए जल कर, सीवर कर को समाप्त किया जाना और इससे 24 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना है, यह भी एक सराहनीय कदम है। उपभोक्ताओं के लिए बहुत बढ़कर कार्य किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने राहत का कार्य किया है कि जल जैसी आवश्यक सुविधा किसी प्रान्त में अगर कोई सरकार देना चाह रही है और जल कर को हटा दिया है, यह उपभोक्ताओं के लिए और इस प्रान्त की जनता के लिए एक बहुत बड़ी सौग़ात के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, यह भी एक सराहनीय कदम है, इसके लिए मैं अपनी सरकार का आभार प्रकट करती हूँ।

मान्यवर, आटा, रोटी जैसी मुख्य वस्तु, जिसको कि दो वक्त की रोटी से कोई भी गरीब व्यक्ति, कोई भी निर्धन व्यक्ति नमक के साथ भी उसका उपभोग करके अपना पेट भर सकता है। ऐसे आटा, सूजी, मैदा जैसे गेहूँ के उत्पादों पर से वैट की दर 4 प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत किया गया है, यह भी गरीब जनता के लिए बहुत बड़ी सौगात है, जो कि आज महंगाई से त्रस्त हैं और यह महंगाई जो कि केन्द्र सरकार की देन है उसको कम करने के लिए वैट जो हमारे प्रान्त में लगता है उसको मान्यवर, वैट को तीन प्रतिशत घटाकर, एक प्रतिशत करना यह भी प्रदेश

की गरीब जनता, जो बिल्कुल ग्रास रूट पर हैं उनके प्रति एक सहानुभूति, उनके प्रति एक विचार का, उनके प्रति एक भावनात्मक लगाव माननीय खण्डूड़ी जी का जनता के प्रति दर्शाता है। मान्यवर, बजट में इसका भी प्रयास किया गया कि गरीब व्यक्ति को कुछ राहत मिले।

मान्यवर, राज्य में दो कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालयों की व्यवस्था की गयी है यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कर्मचारियों को अपनी चिकित्सा सुविधा के लिए, बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हो जाती हैं, जोकि कर्मचारी अपने सर्विस काल में इस तरह की बीमारियों की भरपाई नहीं कर पाते है। इसके लिए कर्मचारियों के लिए बीमा योजना शुरू की गयी है, यह भी हमारी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि और सराहनीय कदम है। मान्यवर, हमें चिकित्सा सुविधा मिले और बार–बार हम भी इस बात को इस सदन के माध्यम से सरकार से कहते आये हैं कि हमें चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाना होगा। चूँकि यह एक पर्वतीय राज्य है और इसमें दूरदराज की विषम भौगोलिक परिस्थिति होने के कारण दूरदराज के क्षेत्रों में चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध नहीं हो पाती है। इस हेतु श्रीनगर मेडिकल कॉलेज और अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज, जो ये दो मेडिकल कॉलेज हैं, ये इस प्रान्त की चिकित्सा सुविधा को सुदृढ़ करने के लिए एक रीढ़ का काम करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है।

मान्यवर, श्रीनगर में पठन–पाठन कार्य प्रारम्भ करने के लिए और अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने के लिए जो पाँच करोड़ रु0 की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस वर्ष बजट में की है। यह निश्चित रूप से यह मेडिकल की जितनी भी सुविधाएं हैं, उनको बढ़ाने के लिए हमारे इस प्रान्त के जो बच्चे हैं और जो बालक बालिकाएं हैं वे मेडिकल शिक्षा प्राप्त करके हमारे दूरदराज के अस्पतालों में अपनी सेवाएँ दे सकेंगे, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया है कि इस तरह की स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदेश को मिल सकेंगी। यह निश्चित रूप से गरीब जनता, पहाड़ की विषम भौगोलिक परिस्थितियों में रहने वाली जनता को मेडिकल सुविधाएँ प्राप्त होंगी। मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए उनको रोजगार से जोड़ने के लिए भोजन माताओं का जो वेतन था, जो उनको मानदेय मिलता था, उसमें 25 प्रतिशत की वृद्धि की है।

मान्यवर, भोजन माताएं उन निर्धन परिवार की महिलाएं हैं जो कि दो वक्त की रोटी बहुत मुश्किल से जुटा पाती थीं और उनको यह एक काम मिला है, रोजगार मिला है। पहले उनको जो मानदेय मिलता था वह बहुत कम था, उसमें 25 प्रतिशत की वृद्धि करके हमारी सरकार ने एक सराहनीय कदम महिलाओं के हक में किया है। मान्यवर, भूमि हस्तांतरण में जो स्टाम्प शुल्क था उसमें बार–बार यही बात सामने आ रही थी कि स्टाम्प शुल्क अधिक है और इससे जनता को काफी हानि हो रही

है। हमारी सरकार ने इसे 8 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत किया है, यह भी जनता के हित में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा सराहनीय कार्य किया हैं इससे निश्चित रूप से यहाँ की जनता को इसका लाभ मिलेगा। मान्यवर, किसानों के लिए भी कृषि ऋणों पर, तीन लाख तक के कृषि ऋणों पर स्टाम्प शुल्क नहीं देना होगा यह भी यहाँ के किसानों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दी गयी है।

मान्यवर, इस तरह हमें कृषि के क्षेत्र में, माननीय मंत्री जी से भी मेरा निवेदन है कि हमें कृषि को एक उद्योग के रूप में स्वीकार करना होगा तभी हम पर्वतीय जिलों में, पर्वतीय क्षेत्रों में हम पलायन रोक सकते हैं। मान्यवर, यहाँ की भूमि का उपयोग कर सकते हैं अगर इसको उद्योग के रूप में स्वीकार करेंगे और कृषि को उद्योग के रूप में स्थापित करेंगे तो निश्चित रूप से जड़ी-बूटी और बागवानी कई तरह के ऐसे कृषि के क्षेत्र हैं, इसमें मान्यवर, हम बीजों का भी उत्पादन करके उसको व्यवसाय के रूप में अपना सकते हैं। ऐसा काम अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से पलायन भी रूकेगा तथा यह प्रान्त समृद्धशाली भी होगा, क्योंकि यह मूल रूप से कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ के निवासियों का मूल कार्य कृषि था। उसको हमें बढ़ाना चाहिए, उसमें कई विसंगतियों के बारे में हमारे माननीय सदस्यों के द्वारा भी कहा गया है। जंगली जानवरों से बड़ा नुकसान होता है। जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए भी हमें कदम उठाना चाहिए। जिससे कि कृषि के क्षेत्र में लोगों की जो रूचि हटने लगी है, उस पर उनका विश्वास फिर से जीतने का प्रयास करें, जिससे वे फिर से कृषि का कार्य करें। जो विसंगतियाँ पैदा हो रही हैं, जानवरों के द्वारा जो नुकसान पहुँचाया जा रहा है, उस पर विशेष कार्य करने की आवश्यकता है और कृषि को उद्योग के रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता है, ऐसा मेरा मानना है।

श्रीमन्, अभी पर्यटन के क्षेत्र में भी माननीय पर्यटन मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई विकासकारी परियोजनाएँ प्रारम्भ की हैं, जैसे मेरा क्षेत्र स्वर्गाश्रम है। स्वर्गाश्रम, मुनी की रेती में मेघा पर्यटन परियोजना बनायी जा रही है। यह जो मेघा पर्यटन परियोजना है, यह पर्यटन के क्षेत्र में एक मील का पत्थर होगी। मान्यवर, यह पर्वतीय राज्य है और देवभूमि का जो सौन्दर्य है, उसमें तमाम देश के ही नहीं विदेश के लोग भी आकर्षित होते हैं। हमें इस लायक इस पान्त को बनाना है कि पर्यटक अधिक मात्रा में यहाँ पर आएँ और यहाँ का विकास हो। पर्यटकों के माध्यम से ही यह सम्भव है कि पर्यटन प्रदेश बनाकर यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार दे सकें और इस प्रान्त की आय में बढ़ोत्तरी हो, जिससे कि हमारे इस प्रान्त का विकास होगा। इस सम्बन्ध में मेघा पर्यटन योजना प्रथम कदम के रूप में है। ऋषिकेश, मुनी की रेती और स्वर्गाश्रम के लिए जो मेघा पर्यटन योजना बनायी गयी

है, इसके लिए मैं आभारी हूँ। मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ। इस तरह की योजनाएँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रारम्भ की हैं।

मान्यवर, दिल्ली से देहरादून आने में 7–8 घण्टे का समय लग जाता है। बहुत सारे पर्यटक और अन्य लोग इस राज्य में आना चाहते हैं, चूँकि सड़कें ठीक नहीं हैं और बहुत अधिक ट्रैफिक के कारण भी यहाँ पर टूरिस्ट नहीं आ पाते हैं। इसके लिए भी बहुत ही कल्याणकारी, महत्वाकांक्षी परियोजना बनायी जा रही हैं। दिल्ली से देहरादून तक हिण्डन नदी के किनारे एक्सप्रेस वे परियोजना बनायी जा रही है, जो कि बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है और इसमें बहुत कम समय लगने की सम्भावना है। यह प्राईवेट पार्टनशिप से बनायी जाएगी। मान्यवर, बहुत ही महत्वाकांक्षी और इस प्रान्त के लिए बहुत ही उपयोगी इस योजना के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सहमति दी गयी है और यह बनायी जा रही है। यह पर्यटन के क्षेत्र में हमारे इस प्रान्त के लिए बहुत बड़ी सौगात के रूप में मिली है। मान्यवर, इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करती हूँ।

मान्यवर, गंगा हमारे लिए पूजनीय है और हम इसे माता के रूप में पूजते हैं। हमारी पहचान भी गंगा और यमुना से है। लेकिन ये प्रदूषित होती जा रही हैं। मान्यवर, इनको प्रदूषण मुक्त करने के लिए जो योजना बनायी गयी है, इसमें 15.50 करोड़ रुपये का प्राविधान रखा गया हैं हम गंगा को पवित्र रखने के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं, इस देवभूमि में गंगा ही हमारी पहचान है, यह भी एक बहुत बड़ा कदम है और इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की, अपनी सरकार की आभारी हूँ। मान्यवर, कुम्भ मेला और कुम्भ क्षेत्र भी हमारे इस प्रान्त की एक पहचान है, उत्तराखण्ड की पहचान है और इस कुम्भ मेले के लिए इस बजट में जो 48.50 करोड़ रुपये का प्राविधान रखा गया है, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना के तहत इसके विकास के लिए बजट का प्राविधान किया गया है और हमारे पूरे प्रान्त के विकास का शुभारम्भ इससे होगा। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करती हूँ।

मान्यवर, हमारे इस राज्य में दूर–दराज के क्षेत्रों में यातायात की सुविधा के लिए सड़कों की आवश्यकता है। हम कहते हैं कि सड़क के रास्ते ही विकास पहुँचता है और बहुत बड़ी आवश्यकता है कि दूर–दराज के क्षेत्रों को सड़क मार्ग से जोड़ा जाय, प्रत्येक गाँव को सड़क से जोड़ा जाय और जिसमें हम पिछले सात–आठ वर्षों से पीछे रहे हैं। गाँवों को सड़कों से जोड़ने के जो प्रयास होने चाहिए थे, वह बहुत कम हुये और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय जिस प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का शुभारम्भ किया गया था, उससे हम अछूते रह

गये। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी सरकार के आते ही 200 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना स्वीकृत करके एक क्रान्तिकारी कदम उठाया है और मुझे विश्वास है कि इससे हम एक हजार, 500 और 250 की आबादी वाले गाँवों को यातायात से जोड़ सकेंगे, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करती हूँ कि जिस तरह से उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री रहते हुये हमारे पूरे प्रान्त में सड़कों की एक क्रान्ति लायी थी और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय की एक पहचान बनाई थी कि वास्तव में राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय भी कोई है तो इसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रान्त में भी सड़कों से गाँवों को जोड़ने का काम करेंगे और निश्चित रूप से यह अब प्रारम्भ भी हो गया है, शीघ्र ही और भी सड़कों का निर्माण कार्य प्रारम्भ होगा, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करती हूँ कि दूर–दराज के क्षेत्र को सड़कों से जोड़ने के लिए कई काम किये हैं, जिसमें कि पर्वतीय क्षेत्रों में 6 निर्माण खंडों का निर्माण किया गया है, जो सिंचाई विभाग में कई खण्ड और उपखण्ड थे, उन पर सिंचाई विभाग का कम कार्य था, क्योंकि पानी के स्रोतों की कमी के कारण नहरों का निर्माण कम हो गया है, इसलिए उनको भी लोक निर्माण विभाग में सम्मिलित किया है। जिससे कि सड़कों के निर्माण में गाँवों को यातायात से जोड़ने के लिए क्रान्तिकारी काम किया जा सके, इसके लिए भी मैं उनका आभार प्रकट करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ।

मान्यवर, संस्कृत भाषा हमारे प्रान्त की एक मुख्य भाषा थी और संस्कृत के माध्यम से यह देवभूमि जानी जाती थी, लेकिन धीरे–धीरे संस्कृत विषय विलुप्त सा हो गया था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की है तथा संस्कृत निदेशालय का गठन भी किया गया है। साथ ही जनपदों में भी इसके गठन का जो प्रयास किया गया है वह भी बहुत सराहनीय कदम है। इससे जो हमारे देवभूमि की संस्कृति है, जो हमारी पूजा–पाठ की संस्कृति है, उसको बचाये रख पायेंगे, वहीं दूसरी तरफ इसके माध्यम से अपने बेरोजगारों नवयुवकों को रोजगार से जोड़ जायेंगे, ऐसा मेरा मानना है। इस प्रकार की कई क्रान्तिकारी और महत्वकांक्षी योजनायें माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रान्त में प्रारम्भ की हैं। समाज कल्याण विभाग की, पहले कोई विधवा का बेटा 18 वर्ष का हो जाता था तो उसको विधवा पेंशन से वंचित किया जाता था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विधवा का बेटा भले ही 18 साल का हो जाये, उनकी पेंशन निरन्तर बनी रहेगी, ऐसा कल्याणकारी कदम माननीय मुख्यमंत्री जी ने, विधवाओं के लिए, उन महिलाओं के लिए जो निराश्रित हैं, उनके लिये उठाया है, इसके लिए उन्हें धन्यवाद देती हूँ।

मान्यवर, इसके साथ ही पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था विधेयक लाकर की है, इसके लिए मैं समस्त उत्तरांचल की महिलाओं की ओर से हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी की

आभारी हूँ, मान्यवर, कि उन्होंने महिलाओं के विकास के लिए अपने एक साल के कार्यकाल में जो कदम उठाये हैं ये सराहनीय और हमेशा स्मरणीय रहेगा। मान्यवर, इसके लिए महिलाएँ उनका हमेशा आभार प्रकट करती रहेंगी, इसके लिए मैं भी उनको धन्यवाद देती हूँ, उनका आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएँ प्रारम्भ की हैं। मान्यवर, उनको सम्मान दिया है और क्योंकि त्रिस्तरीय जो पंचायत व्यवस्था है, इसमें महिलाओं ने अपने काम से, अपने जुझारूपन से कर दिखाया है मान्यवर, कि वे कुछ कर सकती हैं। वे राजनीति के क्षेत्र में भी कार्य कर सकती हैं और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन करूँगी कि महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए और अधिक कदम उठाये जाएं, उनको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि आर्थिक रूप से अगर महिलाएं सक्षम होंगी तो वे सशक्त होंगी और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और अधिक प्रयास करेंगे।

(भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पाटी एक बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्यों ने सदन में आकर अपना स्थान ग्रहण किया।) (मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, दूर–दराज क्षेत्रों में महाविद्यालयों की स्थापना का जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है। मान्यवर, वो भी एक सराहनीय कदम है खासकर बालिकाओं के लिए। दूर–दराज के स्थानों पर बालिकाएँ इण्टर पास करने के बाद आगे की शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती थीं, ग्रेजुएशन नहीं कर पाती थीं तो महाविद्यालयों का निर्णय लेना, महाविद्यालयों का निर्माण करना, मान्यवर, यह भी एक अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है। मेरा अनुरोध है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर भी एक दुर्गम, विषम भौगोलिक परिस्थिति की विधान सभा है। इसमें कोई भी महाविद्यालय नहीं है। मान्यवर, इसमें महाविद्यालय खोलने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि मेरे क्षेत्र में भी महाविद्यालय खोले जाएँ। मान्यवर, हमारे जो मैदानी जनपद हैं, उनके साथ–साथ पहाड़ी, पर्वतीय जनपदों में भी उद्योग–धन्धों का विकास करना, उद्योगों को खोलना, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। मान्यवर, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र से लगातार पलायन हो रहा है। कृषि भूमि, उपजाऊ भूमि की बिना सिंचाई के कृषि उत्पादन क्षमता कम होती जा रही है और लोग बहुत बड़ी मात्रा में (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा सदन में प्रवेश)

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे एक नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल अपना बजट भाषण पढ़ा है, सदन के अन्दर रखा है और क्योंकि हमारे तमाम सभी सदस्यगण, विभिन्न समस्याओं को लेकर हमने सदन का बहिष्कार

किया था और इसलिए क्योंकि बजट की प्रतिलिपियाँ हमको, सभी सदस्यों को उपलब्ध नहीं हो पायी हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारा आपसे आग्रह था कि अगर बजट पर जो चर्चा है, सामान्य चर्चा है, उसको कल अगर जारी रखा जाय तो मैं सोचता हूँ कि हमारे सभी सदस्य जो चर्चा में भाग लेना चाहते हैं, तो बजट का अध्ययन भी कर लेंगे और उससे अपनी बात को सदन के पटल पर रख भी सकेंगे। यह मेरा नम्र निवेदन आपसे है।

श्री अध्यक्ष–

सदन की बजट की जो सामग्री है, यह उपलब्ध करा दीजिए और साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बजट भाषण है, वह माननीय सदस्यों को उपलब्ध करा दीजिए। जिन्हें उपलब्ध न हुआ हो, उन्हें उपलब्ध करा दीजिए।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, पर्वतीय जनपदों में अपेक्षित मात्रा में औद्योगिक विकास और पूँजी निवेश नहीं हो रहा था, इससे पलायन बड़ी मात्रा में .... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

वित्तीय वर्ष 2008–2009 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा जारी रहेगी।

नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–53 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड तराई बीज एवं विकास निगम के माध्यम से कृषकों को सब्सिडी वाला बीज उपलब्ध कराने के लिए चलाई जा रही कोर वैली योजना में बीज माफियाओं को कमिशन लेकर बीज बेचने के सम्बन्ध में माननीय सदस्य, श्री पुष्पेश त्रिपाठी की सूचना प्राप्त हुई है। मैं इसे नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूँ।

मण्डल मुख्यालय पौड़ी अन्तर्गत श्रीनगर में पर्यटन विकास हेतु 'गंगा दर्शन मोड़' से पौड़ी क्यूंकालेश्वर मन्दिर तक रोपवे निर्माण के सम्बन्ध में श्री यशपाल बेनाम, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

[श्रीनगर के 'गंगा दर्शन मोड़' से पौड़ी में क्यूंकालेश्वर मन्दिर तक रोपवे के निर्माण की योजना को पी0पी0पी0 मोड (पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशीप) के अन्तर्गत, बी0ओ0टी0 (बिल्ट ऑपरेट एण्ड ट्रांसफर) के आधार पर निर्मित किये जाने

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है। यह परियोजना भारत सरकार की एल0आर0जी0 स्कीम, जिसमें परियोजना की फिजीबिलिटी स्टडी तथा डी0पी0आर0 तैयार करने हेतु परियोजना के 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रु0 25 लाख अनुदान दिये जाने का प्राविधान है, के अन्तर्गत वित्त पोषित करायी जानी प्रस्तावित है। उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र दिनांक 28 अप्रैल, 2006 द्वारा प्रस्तावित परियोजना का सर्वेक्षण तथा परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्यादेश यू0आई0पी0सी0 को दिया गया। यू0आई0पी0सी0 द्वारा परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र दिनाँक 23 फरवरी, 2008 द्वारा परियोजना की डी0पी0आर0 तैयार करने के लिए एल0आर0जी0 स्कीम के तहत अनुदान स्वीकृत करने का प्रस्ताव पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार को स्वीकृति हेतु सन्दर्भित किया जा चुका है।]

जनपद उत्तरकाशी के ग्राम नीलंग एवं जादुंग तहसील भटवाड़ी में पैतृक एवं कृषि भूमि जो कि आई0टी0बी0पी0 व सेना के कब्जे में है, के प्रतिकर भुगतान के सम्बन्ध में श्री गोपाल सिंह रावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

श्री प्रकाश पन्त–

[सन् 1962–63 में ग्राम नीलंग एवं जादुंग के मूल निवासी वर्तमान में बगोरी/बीरपुर एवं डुण्डा में स्थायी रूप से निवास कर रहे हैं तथा ये सभी परिवार जनजाति (भोटिया) जाति के लोग हैं। उक्त गाँव के लोगों को वर्ष 1962 में चीनी आक्रमण के समय सुरक्षा की दृष्टि से उनके पैतृक गाँव नीलंग व जादुंग से हटाकर ग्राम बगोरी व बीरपुर (डुण्डा) में बसाया गया था तथा नीलंग एवं जादुंग स्थित उनकी भूमि सेना व भा0ति0सी0 पुलिस द्वारा प्रयोग में लायी गयी थी। उक्त क्षेत्र सुरक्षा की दृष्टि से गैर सैनिक लोगों के आवागमन हेतु तत्समय प्रतिबन्धित किये जाने के कारण उक्त गाँवों के भूमिधर अपनी भूमि पर काश्त कब्ज़ हेतु नीलंग व जादुंग नहीं जा पाये तथा वहाँ पर उनकी कुछ भूमि सेना/भा0ति0सी0 पुलिस के कब्जे में चली आ रही है तथा कुछ भूमि बंजर पड़ी है। 12वीं वाहिनी भा0ति0सी0 पुलिस द्वारा दिनांक 05 जून, 2007 को यह अवगत कराया गया कि भा0ति0सी0 पुलिस द्वारा ग्राम नीलंग में 53 नाली 07 मुठ्ठी तथा ग्राम जादुंग में 0.7392 हे0 भूमि वर्ष 1983–84 में सम्बन्धित भू–स्वामियों से उस समय के बाजार भाव पर क्रय

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कर ली गयी है जिसमें ग्राम नीलंग की क्रय की गयी भूमि का प्रतिकर रु0 75,336/- तथा ग्राम जादुंग की भूमि की कीमत रु0 1,05,356/- भू-स्वामियों को अदा की जा चुकी है। स्टेशन कमाण्डर सेना विभाग द्वारा 56 ए0पी0ओ0 हर्शिल उत्तरकाशी ने दिनांक 13 जून, 2007 को यह अवगत कराया कि सेना विभाग द्वारा ग्राम नीलंग/जादुंग की नाप भूमि पर कोई कब्जा नहीं किया गया व ग्राम नीलंग की अधिसूचित 1.660 हे0 भूमि की सेना के विधिवत् कब्जे/स्वामित्व में है।

उपरोक्त वर्णित स्थिति में उल्लेखनीय है कि वर्ष 1962-63 में चीनी आक्रमण के दौरान ग्राम नीलंग एवं जादुंग, तहसील भटवाड़ी जनपद उत्तरकाशी की भूमि जो भा0ति0सी0 पुलिस के कब्जे में है, के प्रतिकर का भुगतान उपरोक्तानुसार किया जा चुका है तथा ग्राम नीलंग की अधिसूचित 1.660 हे0 भूमि सेना के विधिवत् कब्जे एवं स्वामित्व में है।]

उत्तराखण्ड के राजकीय तकनीकी संस्थानों में नये आधुनिक पाठ्यक्रम आरम्भ किये जाने के सम्बन्ध में श्री पुष्पेश त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-53 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

श्री प्रकाश पन्त-

[वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में तीन राजकीय इंजी0 कॉलेज एवं 31 निजी तकनीकी संस्थान, एक तकनीकी विश्वविद्यालय तथा 28 राजकीय पॉलीटेक्निकों सहित कुल 41 पॉलीटेक्निक कार्यरत हैं, जिसमें से 05 महिला पॉलीटेक्निक भी संचालित हैं। तकनीकी शिक्षा के प्रसार के लिए गत वर्ष 07 नये पॉलीटेक्निकों की स्थापना की गयी है जिसमें से 01-01 पॉलीटेक्निक आधुनिक उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप सिडकुल, पन्तनगर एवं हरिद्वार में स्थापित किया जा रहा है। पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के अन्तर्गत आधुनिक तकनीकी शिक्षा के लिए एनटीपीसी के सहयोग से कालाढूंगी में भी पॉलीटेक्निक की स्थापना की जा रही है। एन.आई.टी.टी.टी.आर. चण्डीगढ़ तथा आई.आई.टी. रुड़की के सहयोग से उद्योगों की आवश्यकता तथा युवाओं को रोजगारपरक तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2004-05 से सेमेस्टर शिक्षा प्रणाली लागू की गयी है तथा वर्ष 2006-07 में सभी पाठ्यक्रमों को संशोधित किया गया है। सभी पाठ्यक्रमों में कम्प्यूटर की शिक्षा अनिवार्य की गयी है। कुछ डिप्लोमा स्तरीय नये पाठ्यक्रम जैसे आई.टी. कम्प्यूटर सांइस एवं कृषि इंजी0 भी खोले गये हैं। उत्तराखण्ड राज्य में हाइड्रोपावर तथा एनवायरमैन्टल सांइस के क्षेत्र में रोजगार की अपार सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये एन.आईटी.टी.टी.आर.,

---

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

चण्डीगढ़ तथा आई.आई.टी. रुड़की के सहयोग से पाठ्यचर्या इंजी0 पाठ्यक्रमों में सम्मिलित की गयी है। भविष्य की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये कुछ अन्य नये पाठ्यक्रम जैसे ओटोमोबाइल इंजी0, ऐरोनोटिकल इंजी0 एवं पालीमर इंजी0 आदि खोले जाने पर भी विचार किया जा रहा है। तकनीकी शिक्षा के आधुनिकीकरण तथा अध्यापकों के विषय ज्ञान विस्तार हेतु समय–समय पर उन्हें एन.आई.टी.टी.टी.आर. चण्डीगढ़ तथा आई.आई.टी. रुड़की में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

समाज के सभी वर्गों को तकनीकी शिक्षा का उचित लाभ प्रदान करने हेतु सभी तकनीकी संस्थानों में राज्य की आरक्षण नीति को लागू किया गया है। महिलाओं के लिए अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं सामुदायिक विकास योजना चलाई गयी है। विश्व बैंक सहायतित परियोजना "तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम" संचालित है, जिसके अन्तर्गत तकनीकी संस्थानों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। तकनीकी संस्थानों में उपकरणों एवं प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करायी जाती है। प्रौद्योगिक महाविद्यालय पन्तनगर में डिजिटल लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास रूम एवं लैंग्वेज लैब स्थापित किया गया है। प्रदेश के औद्योगिक विकास हेतु प्रशिक्षित तकनीकी जनशक्ति उपलब्ध कराने तथा राज्य के सीमित संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये निजी क्षेत्र में डिग्री स्तरीय स्ववित्त पोषित संस्थाओं की स्थापना हेतु निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जा रहा है। तकनीकी संस्थानों के प्रभावी संचालन, प्रोत्साहन, समन्वय एवं नियन्त्रण हेतु वर्ष 2005 में उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है। उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा फॉर्मा पाठ्यक्रम के आधुनिकीकरण हेतु फ्रांस का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।]

श्री अध्यक्ष–

अब हम कल पूर्वाह्न 11:00 बजे तक के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन की कार्यवाही 03 बजकर 42 मिनट पर अगले दिन के 11:00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

देहरादून,
दिनांक: 11 मार्च, 2008

महेश चन्द्र,
सचिव, विधान सभा,
उत्तराखण्ड।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 15 वि0स0 / 398–29–12–2010–200 प्रतियां (कम्प्यूटर / रीजियो)।